खण्ड-118, अंक-3
बुधवार, 29 माघ, शक संवत् 1874
(18 फरवरी, 1953 ई0)

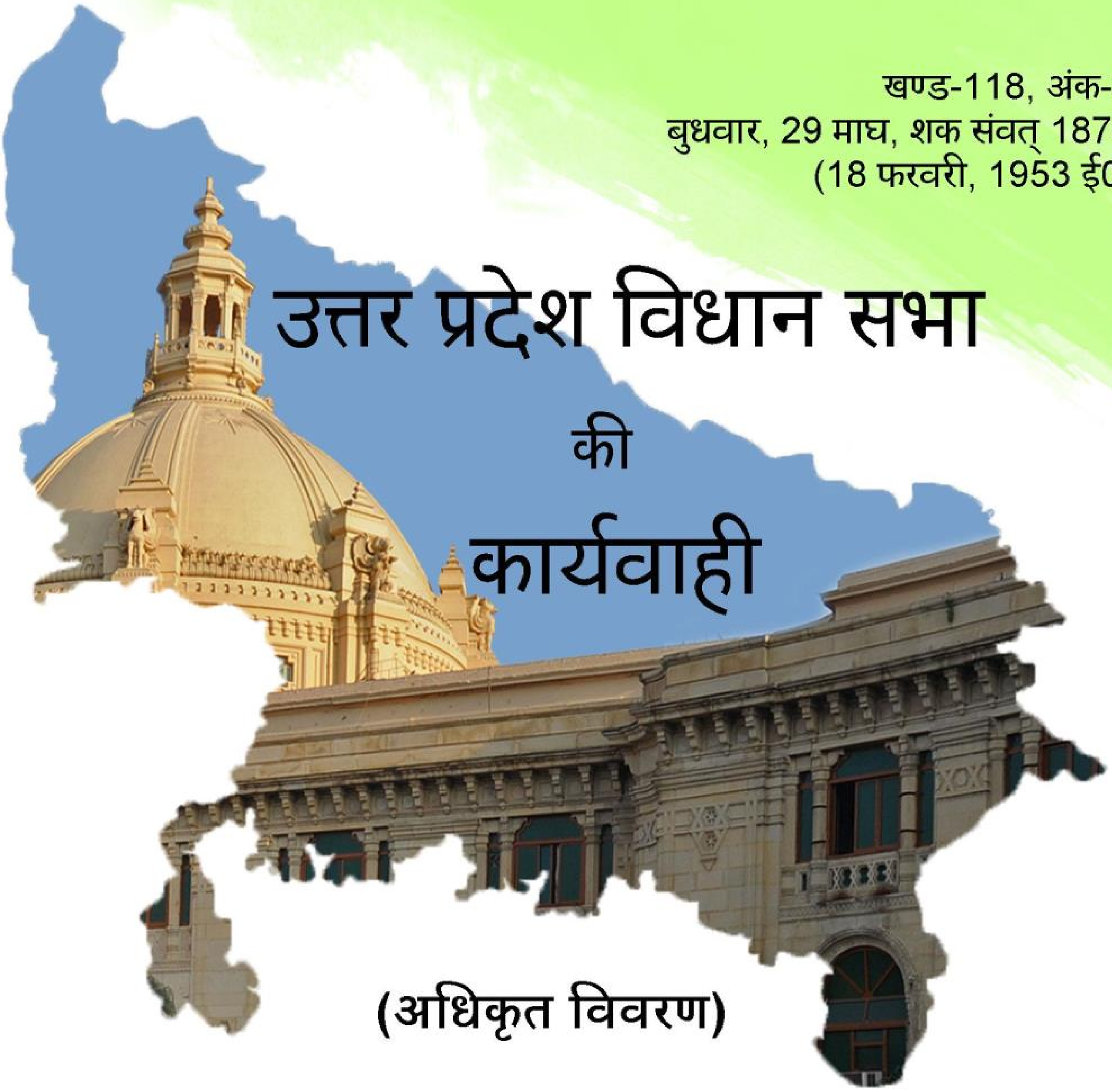

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 118 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १८ फरवरी, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४०)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुलमुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
किन्दर लाल, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री ...
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र, गुप्त, श्री
कृष्णशरण, आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द्र, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाँडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज[illegible]न, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, हाफ़िज़ श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामराज, शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामबचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायणशर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
बिष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१–२—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[१८ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित कये गये।]

*३—श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—[४ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

चावल की सरकारी खरीद

*४—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने अन्न की आवश्यकता प्रतिवर्ष होती है, कितने की कमी पड़ती है और उसकी पूर्ति किस प्रकार होती है?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—माननीय सदस्य कृपया प्रश्न संख्या ३६, जो कि उन्होंने दिनांक ९ जुलाई, १९५२ को पूछा था, के उत्तर का अवलोकन करें।

श्री गेंदा सिंह—मुझे जवाबों की प्रतिलिपि अभी तक नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष—आपके दस्तखत मौजूद हैं इससे मालूम होता है कि प्रतिलिपि आपको प्राप्त हो गई है।

श्री गेंदा सिंह—मुझे जो प्रतिलिपि मिली है और जो माननीय अन्न मंत्री जी ने पढ़ा है वह उससे भिन्न है। उसमें लिखा हुआ है कि माननीय सदस्य कृपया प्रश्न संख्या ३६ जो उन्होंने....

श्री अध्यक्ष—यही बात मैं भी कहने वाला था। माननीय अन्न मंत्री जी ने जो उत्तर मेरे पास भेजा है वह इससे भिन्न है। मेरे पास यह उत्तर आया है कि माननीय सदस्य कृपया प्रश्न संख्या ३६ जो उन्होंने दिनांक ९ जुलाई, सन् १९५२ ई० को पूछा था, के उत्तर का अवलोकन करें। इसमें कौन सा सही उत्तर है?

श्री बनारसी दास—यह उत्तर पहले प्रश्न संख्या ३६ के जवाब में डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार किया गया था? लेकिन अब जो मैंने उत्तर दिया है वही सही उत्तर है।

श्री अध्यक्ष—इसकी प्रतिलिपि आपने मेरे पास नहीं भेजी है।

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं भी मौका चाहूंगा ताकि इसको देखकर सवाल कर सकूं।

श्री बनारसी दास—इसको स्थगित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—मैं इसको कल के लिये रखूंगा।

*५—श्री गेंदा सिंह—इस वर्ष चावल की पैदावार कितनी हुई है? उसमें से कितना चावल सरकार खरीद रही है और क्यों खरीद रही है?

श्री बनारसी दास—इस वर्ष सन् १९५२–५३ में पूर्व अनुमान के अनुसार चावल की पैदावार की संख्या १६,०२,६०९ टन है। प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार के लिये

चावल खरीद रही है। एकाधिकार खरीद न होने के कारण सरकार उतना ही चावल खरीदेगी जो आसानी से उपलब्ध हो सकेगा और जिससे राज्य के अन्दर खाद्य की स्थिति कठिन न हो। जितना भी चावल मिलेगा वह केन्द्रीय सरकार के कथनानुसार अन्य राज्यों को भेजा जायेगा।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी को इसकी खबर है कि कुछ दिन पहले हिन्दुस्तान के खाद्य मंत्री ने यह कहा था कि २८ लाख टन चावल उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाला है?

श्री बनारसी दास---जो आपकी सूचना है वह गालिबन सही होगी।

श्री गेंदा सिंह---इस संबंध में माननीय अन्न मंत्री जी की क्या राय है?

श्री बनारसी दास---यह तो उत्तर में निवेदन किया गया है कि हमारी पैदावार करीब ६,०२,६०९ टन है।

श्री गेंदा सिंह---क्या यह सही है कि इस चावल की खरीद से चावल का भाव तेज हो गया है?

श्री बनारसी दास---जैसा कि अभी बतलाया गया है खुले बाजार से चावल खरीदा जा रहा है इसलिये बाजार भाव पर सरकार की खरीद से कोई अन्तर नहीं पड़ा है।

श्री गेंदा सिंह---क्या बस्ती जिले में तितरी बाजार से जो चावल खरीदा जा रहा है उससे माननीय अन्न मंत्री जी को खबर दी गई है कि वह १७ रुपये से २३ रुपया मन चावल का बाजार चार रोज के भीतर हो गया है?

श्री बनारसीदास---यह तो शायद आजकल कमी की वजह से महंगाई होती है जैसे कि अन्य अनाजों के भाव में भी तेजी आई है। इसलिये इसका असर चावल के भाव पर भी हो सकता है। सरकारी खरीद से कोई अन्तर नहीं आया है।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय अन्न मंत्री जी यह पता लगाने की कृपा करेंगे कि चावल की खरीद की वजह से क्या अन्न के बाजार में तेजी आ गयी है?

श्री बनारसी दास---यह विदित ही है कि जितना चावल हम लेंगे उसके बदले में जितना गेहूं हमें चाहिये उतना केन्द्रीय सरकार से हमें मिल जायगा तो खाद्य स्थिति में इसके कारण कोई अन्तर नहीं पड़ना चाहिये। इसके अलावा बनारस जैसे कमी के क्षेत्रों में सरकार की खरीद होगी ही नहीं।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय अन्न मंत्री जी अभावग्रस्त क्षेत्रों से चावल खरीदने का फैसला कर रहे हैं जहां कि यों ही अन्न की कमी है?

श्री बनारसी दास---समस्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को इस बात का आदेश है कि गेहूं का भाव तेज होने पर सरकार किसी भी मात्रा में गेहूं देने को तैयार है और चावल भी केवल इसी परिस्थिति में खरीदा जा रहा है कि केन्द्र का अश्वासन है कि उन क्षेत्रों के अन्दर जहां कि लोगों की आदत ही चावल खाने की है, उनको चावल ही दिया जायगा। इसके अलावाजब हमें गेहूंभी मिल रहा है तो उसकी परिस्थिति में अन्तर पड़ने की कोई वजह नहीं होनी चाहिये और न कोई कठिनाई ही होनी चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो आंकड़े सरकार की ओर से इकठ्ठे किये गये हैं वह किसके जरिये से इकठ्ठे किये गये हैं?

श्री बनारसी दास---इसका अन्दाजा तो आपको स्वयं ही है कि आर० एफ० सी० के जरिये से ये आंकड़े इकठ्ठा कराये जाते हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बतलाने की मेहरबानी फरमायेगी कि चावल की खरीद के बाद क्या सूबे को इतना हिस्सा मिलेगा कि चावल का भाव कम हो जाय?

श्री बनारसी दास---मैंने यह अर्ज किया कि चावल के बदले में जितनी मात्रा में गेहूं की जरूरत होगी उतना गेहूं देने का केन्द्र ने आश्वासन दिया है। हमारे पास भी इतने स्टाक्स हैं कि अनाज की कोई कमी नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाख़री—क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतायेगी कि जो दाम इस वक्त चढ़ चुका है, खरीद होने के बाद और केन्द्रीय सरकार से अनाज मिलने के बाद वह उसको गिराने की कोशिश करेगी ?

श्री बनारसी दास —इस वक्त आप जानते हैं कि अन्न के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है इसलिये यह तो नहीं कहा जा सकता कि सरकार नियंत्रण करके भावों को गिराने की कोशिश करेगी लेकिन जहां भाव तेज होंगे वहां सरकार सस्ते भाव की दुकानें खोल कर भावों को गिराने की कोशिश करेगी।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने कितना चावल बाहर भेजना तय किया है ?

श्री बनारसी दास—इसके बारे में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है। बाजार में उसकी मोनोपली नहीं है गवर्नमेंट जो खरीद सकती है वह खरीद कर रही है और ऐसा करने में कोई नुक्सान भी नहीं है क्योंकि उसके बदले में हमें गेहूं मिल जायगा।

*६—राजा वीरेंद्र शाह (जिला जालौन) (अनुपस्थिति)—[देखिये आगे पृष्ठ १०२ पर]

*७–८—श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—[४ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर सदर अस्पताल के भवन की मरम्मत

*९—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार को इस बात का पता है कि जौनपुर सदर अस्पताल की इमारत की हालत खराब है ?

श्री बनारसी दास—जी हां।

*१०—श्री बाबूनन्दन —यदि हां, तो सरकार ने उसके लिये कितना धन दिया है या देने जा रही है ?

श्री बनारसी दास—इस इमारत को ठीक करने के लिये इसी वर्ष २९,२६९रु० दिया जा चुका है और काम जारी है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो २९,२६९ रु० इमारत ठीक करने के लिये दिया गया है वह किस अन्दाज से दिया गया है ?

श्री बनारसी दास—वहां मरम्मत कराने का जो तखमीना दिया गया है उसी के अनुसार यह २९,२६९ रु० की रकम मंजूर की गयी है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि वह २९,२६९ रु० सिर्फ मरम्मत कराने के लिये दिया गया है या छोटे कमरों को बढ़वाने के लिये भी दिया गया है ?

श्री बनारसी दास—यह केवल मरम्मत के लिये ही दिया गया है।

श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार को इस बात का पता है कि वहां मरीजों के रहने के लिये वार्ड की कमी है। तो क्या सरकार वार्ड बढ़वाने के लिये भी सहायता करने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास---इस समय तो यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाख़री---क्या माननीय मंत्री जी मेहरबानी करके बतलायेंगे कि जो रुपया अस्पताल की मरम्मत के लिये दिया गया है वह गवर्नमेंट इंजीनियर के जरिये खर्च होगा या प्राइवेट ठेकेदार को दिया जायगा ?

श्री बनारसी दास---यह तो पी० डब्ल्यू०डी० के द्वारा ठेका दिया जाता है। पी० डब्लू० डी० ही इसकी मरम्मत करायेगी और यह तो जाहिर है कि प्राइवेट ठेकेदार के जरिये ही यह रुपया खर्च होगा ।

*११---श्री बाबूनन्दन---क्या यह सही है कि आपरेशन रूम अत्यन्त छोटा है जिससे आपरेशन करने में अत्यन्त कठिनाई होती है ।

श्री बनारसी दास---जी हां ।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आपरेशन रूम व एक्सरे रूम है उसको बढ़ाने के लिये कोई व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री बनारसी दास---जी हां, जिस वक्त मरम्मत का काम खतम हो जायगा उस वक्त आपरेशन रूम बढ़ाने के प्रश्न पर विचार होगा और सरकार आपरेशन रूम बढ़ाने का प्रयत्न करेगी ।

* * * *

जालौन जिला बोर्ड में गबन के संबंध में शिकायत

*६---राजा वीरेन्द्रशाह (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उसके पास जालौन जिला बोर्ड में गबन की शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---जिला बोर्ड, जालौन में इधर गबन के संबंध में सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आई है ।

मेहतरों की हड़ताल के संबंध म कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास श्री मदन मोहन उपाध्याय ने मेहतरों की हड़ताल के तोड़ने के लिये जो कार्यवाही हो रही है उसके बारे में विचार करने के लिये काम रोकने के लिये एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें कई जगह का जिक्र है। कहीं लाठीचार्ज का जिक्र है, कहीं किसी की मृत्यु का जिक्र है। किसी विशेष निश्चित मामले का इसमें जिक्र न होने के कारण दूसरे आम तौर पर अगर उस पर विचार करना है तो एक संशोधन श्री राज्यपाल के संबोधन के सिलसिले में श्री राम सुन्दर पांडेय का आया है जिसमें मेहतरों की हड़ताल का जिक्र है; उसको सामने रखते हुये भी इस पर बोलने का मौका है इसलिये मैं इसको इजाजत नहीं देता हूं। एक तो निश्चित मामला न होने के कारण और दूसरे सदन में इस पर बोलने का मौका आने वाला है, इसलिये मैं इसको पेश करने की इजाजत नहीं देता।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय क्योंकि मैं श्री राज्यपाल के भाषण पर बोल चुका हूं तो क्या मुझे इस विषय पर बोलने की आज इजाजत मिलेगी ?

नोट---तारांकित प्रश्न ६ श्री उम्मेद सिंह ने पूछा ।

श्री अध्यक्ष---इस विषय पर प्रत्यक्ष तो आप नहीं बोल सकेंगे लेकिन अपने साथी श्री रामसुन्दर पांडेय से बोलने के लिये कह सकते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---वे भी बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष---आपके दूसरे और साथी जो बोलने वाले हैं वे इस पर बोल सकते हैं। इसके अलावा बजट भी इसके बाद आने वाला है। उस वक्त आपको इस पर बोलने का मौका मिल जायगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता का प्रस्ताव

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव कल महामहिम राज्यपाल के संबोधन पर उनको धन्यवाद देने का पेश हुआ है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। महामहिम राज्यपाल ने अपने संबोधन में जो कार्य सरकार ने किये हैं या जो वह करने जा रही है उन सब का सारांश रूप में वर्णन किया है। जो काम इस सरकार ने किये हैं वे सर्वतोमुखी उन्नति के हैं। जिस क्षेत्र पर भी नजर डाली जाय उस क्षेत्र में उन्नति की गई है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में कृषि के कार्य के लिये और कृषि के उन्नति के लिये बहुत बड़े आयोजन किये गये हैं और उनमें काफी उन्नति हुई है। करीब, १२ लाख एकड़ जमीन नई तोड़ी गई है। सिंचाई का बढ़ाना, जगह जगह पर बान्ध बनवाना, बहुत जगहों पर नलकूप लगवाना और बहुत से दूसरे काम कृषि की उन्नति के लिये हो रहे हैं। यह सब कृषि के उत्पादन के लिये किये जा रहे हैं। खाद की उन्नति के लिये भी अमोनियम सल्फेट के बढ़ाने का भी इन्तजाम किया गया है। उधर पशुओं को ठीक करने के लिये आयोजन किया गया है। इस तरह से कृषि को बढ़ाने के लिये सब तरह से उन्नति की गई और की जा रही है। इसी प्रकार से जहां तक कुटीर उद्योग का संबंध है उन ग्राम उद्योगों को बढ़ाने के लिये भी प्रबंध किया गया है। मजदूर और मिलमालिकों के आपस के जो संबंध हैं उनको ठीक करने का भी इसमें जिकर किया गया है। उधर हम शिक्षा को देखते हैं तो उसमें भी काफी उन्नति की गई है और हो रही है। शिक्षा के दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है, उसका भी जिकर श्री राज्यपाल ने किया है। इसके अलावा सब से बड़ी जरूरत कृषि के लिये यह है कि चकबन्दी की जाय, किसानों के खेत इधर उधर जो पड़े हैं उनको एक जगह कर दिया जाय ताकि वह अच्छी तरह से तरक्की कर सकें। उसका भी इन्तजाम किया जा रहा है।

इसके अन्दर छोटी छोटी बातों का जिकर नहीं है। मैं यह समझता हूं कि इसमें बहुत छोटी २ बातें नहीं आस कतीं थीं। हमारे विरोधी दलने इसका जिकर किया है कि इसमें अमुक २ बात का जिकर नहीं किया गया है लेकिन यह कैसे हो सकता था कि जरा-जरा सी बात का भी जिकर इस छोटे से संबोधन में आजाता? इसके लिये जो आक्षेप किये गये हैं उनमें बहुत आक्षेप निराधार हैं। विरोधी दल के जो नेता हैं उन्होंने जिकर किया है कि हमारे प्रांत में भय और अभाव बढ़ते जा रहे हैं। मुझे यह सुनकर ताज्जुब होता है। भय कहां पर है? अगर यहां पर भय होता तो सरकार की इस तरह से आजादी के साथ समालोचना नही की जा सकती थी। यहां पर पत्रों को पूरी तरह से आजादी है कि वह सरकार की जिस तरह से चाहें समालोचना करें। यह भय तो वहां पर हो सकता है जहां पर डिक्टेटरशिप है, जहां पर तानाशाही है। वहां पर कोई आदमी जबान नहीं खोल सकता है। आप रूस और चीन में देखें कि अगर कोई आदमी वहां पर जबान खोलता है तो उसको अपना जीवन देना पड़ता है। वहां पर भय है। यहां पर तो पूरी तरह से आजादी है। कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये जो इन्तजाम किया जा रहा है और जो योजना उसके लिये बनाई गयी है उनसे अभाव को दूर करने का प्रयत्न किया

[श्री रतनलाल जैन]

जा रहा है। यह बातें केवल इसीलिये कही जाती हैं कि वह विरोधी दल से संबंध रखते हैं और वहां होने के कारण उनको कुछ कहना ही पड़ता है।

एक बात हमारे भाई ने जमीन के वितरण की कही है। वह वितरण इस समय हमारे देश के लिये अव्यावहारिक व अहितकर है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ। क्या उन्होंने इस प्रश्न की अच्छी तरह से जांच की है। अगर वह इस प्रश्न पर जांच करके विचार करते तो इसका दूसरा उत्तर नहीं हो सकता था। हमारे प्रांत की संख्या ६ करोड़ ३२ लाख है। जिसमें ८६ लाख शहरों में रहने वाले हैं उनको निकालने के बाद ५ करोड़ ४४ लाख रह जाते हैं। जिस जमीन में कृषि हो रही है उसका क्षेत्रफल ४ करोड़ से कुछ अधिक एकड़ है।

अगर हम एक मनुष्य पर बांटते हैं तो आधा या पौन एकड़ आता है। अगर हम एक परिवार के लिये बांटें और एक परिवार में चार आदमी माने तो एक परिवार के पास ढाई या पौने तीन एकड़ आता है। निश्चित हो चुका है कि ७ एकड़ से कम की जमीन उपजाऊ नहीं हो सकती। तो जब सात एकड़ से कम की जमीन उपजाऊ नहीं हो सकती तो हमारे भाई जमीन का पुनः बटवारा कर के ढाई और पौने तीन एकड़ से कैसे देश का लाभ करेंगे? ये टुकड़े टुकड़े करके खेती को नष्ट कर देंगे। अगर ये फीगर्स हैं तो फिर बार बार इस मसले को क्यों पेश किया जाता है। ढाई, तीन एकड़ से कोई किसान आसानी से जिन्दा नहीं रह सकता है। जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक है कि कम से कम सात एकड़ जमीन हो। अगर हम बटवारा करते हैं तो ढाई या पौने तीन एकड़ जमीन मिलती है। इसलिये ऐसा करना देश के लिये अहितकर है और अव्यावहारिक भी है। अव्यावहारिक इसलिये कि बटवारा कोई आसान काम नहीं है। बटवारे के परिणाम बहुत बुरे होते हैं। इसके अलावा बटवारा कब-कब किया करेंगे? संतान बढ़ गई तो क्या फिर बटवारा होगा? इसलिये यह अव्यावहारिक है। समस्या का इलाज यह नहीं है।

मैं यह समझता हूं कि हमारे समाजवादी भाइयों का ध्यान शायद हमारे सूबे में जो बड़े बड़े फार्म हैं उनकी तरफ गया है जिनमें एक हजार, पांच सौ, दो सौ या ढाई सौ एकड़ जमीन है। मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि ये बड़े-बड़े फार्म ऐसी जगहों पर हैं जहां नदी का किनारा है या जो वनों की जमीन है। जो हिस्सा पहले से कृषि में था, जहां पहले से खेती हो रही थी वहां बड़े-बड़े फार्म नहीं हैं। वहां तो किसानों के पास जमीन बंटी हुई है उनके पास छोटे छोटे खाते हैं, दो चार एकड़ के या ८,१० एकड़ के। कोई ही खाता इससे बड़ा होगा। बड़े फार्म तो ऐसे ही हैं जैसे हस्तिनापुर का गंगा खादर जहां लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी थी या वनों में जैसे काशीपुर के पास तराई का इलाका। ये ऐसे इलाके हैं जहां न आबादी है और न मामूली हलों से खेती करना ही संभव है। उस जमीन को तोड़ने के लिये बड़े बड़े ट्रैक्टरों की जरूरत है। वहां पर छोटे छोटे किसान खेती नहीं कर सकते हैं। जो बड़े बड़े फार्म उनको दिखाई देते हैं वे ऐसे हैं जहां बड़े बड़े ट्रैक्टरों के बिना खेती नहीं हो सकती। इसलिये इन तमाम बातों को देख कर मैं उनसे यह कहूंगा कि इस प्रश्न को बार बार इस सदन में रख कर सदन का समय बेकार न किया करें। जो फीगर्स मैंने उनके सामने रखे हैं उन पर वे विचार करें और विचार करने से वे इसी परिणाम पर पहुंचेंगे कि जमीन के बटवारे का प्रश्न अव्यावहारिक भी है और अहितकर भी है। जो जनता बेरोजगार है उसका इलाज यह नहीं है। उसका इलाज तो घरेलू उद्योग धंधे हैं। वह जनता तो तभी उठ सकती है जब हम जापान की तरह स्वीटजरलैन्ड की तरह, इटली की तरह घरेलू उद्योग धंधों को बढ़ावें और उन पर काम करें उसका इलाज मेरी दृष्टि में कुछ और नहीं है सारी बेकारी दूर करने के लिये घरेलू उद्योग धंधों को कायम करना ही इलाज है।

अब मैं जरा सा यह और कह देना चाहता हूं कि मुझे दो बातों की आवश्यकता प्रतीत होती है। एक बात की आवश्यकता तो यह प्रतीत होती है कि हमारे देश का नैतिक स्तर

गिरा हुआ है। इसके लिये हमें और सरकार को कुछ न कुछ करना है। यह मैं मानता हूं कि चरित्र धीरे धीरे ऊंचा होता है। इसलिये मैं सरकार का और इस हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है।

दूसरी बात जिस की मैं आवश्यकता अनुभव करता हूं वह यह है कि हमारे सूबे में और हिन्दोस्तान में जनसंख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। अगर यह जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रहेगी तो हमारे लिये बड़ी पेचीदगी पैदा हो जायगी। इसलिये संतति नियंत्रण (फैमिली प्लानिंग) की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे यह संख्या आवश्यकता से आधिक न बढ़ जाय और इतनी न बढ़ जाय कि उसका प्रबंध करना मुश्किल हो जाय। मैं इन दो आवश्यकताओं के अतरिक्त यह समझता हूं कि जो भी सरकार कार्य कर रही है वह देश की उन्नति के लिये ही कर रही है और वह बहुत ज्यादा है। जिस परिस्थिति से हमारा देश निकला है यदि हम उस परिस्थिति को ध्यान में रखें तो हमें यह कहना पड़ेगा कि हमारा यह प्रदेश और भारतवर्ष बड़ी तेजी के साथ उन्नति के पथ पर हैं और इसकी उन्नति और देशों के मुकाबिले में कम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। इस विभाजन के फलस्वरूप जो बटवारा हुआ और आपस में जिस तरह से खूंरेजी हुई रुधिर की नदियां बहीं, उसके बाद इसका प्रबंध होजाना और अग्रसर हो जाना कितना बड़ा काम है। जिस तरह से राजाओं को समाप्त कर देना, जमींदारी का विनाश करना, बिना एक बूंद रुधिर बहाये हुये इस तमाम कार्य को कर देना, ये संसार के इतिहास में अनोखी बातें हैं। मैं स्वयं जमींदार रहा हूं और जमींदारी पर ही निर्भर था। खुशी खुशी हम से, बहुत से जमींदारों ने इस में योग दिया है। मैं जहां तक समझता हूं इस सदन के अन्दर जितने सदस्य हैं उनमें एक बड़ी भारी संख्या कांग्रेस के अन्दर जमींदारों की है। उन्होंने खुशी खुशी अपनी चीजों को छोड़ा है। उसमें भाग लिया है। प्रोपेगेंडा किया है। इससे ज्यादा सत्य अहिंसा के सिद्धांत की जीत और कौन सी हो सकती है? अगर हम इस चीज को देखें तो हम पायेंगे कि और देशों ने जहां पर सुधार किये हैं वहां रुधिर की नदियां बहाई गई हैं। हम रशा को देखते हैं। सैकड़ों जमींदारों और उनके बच्चों को तलवार के घाट उतारा गया। अगर हम इन चीजों को देखेंगे तो हम पायेंगे कि हमारे देश में सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर क्रांति हो रही है। आज हम अहिंसात्मक क्रांति के दौर में हैं। इस तरह से जो आज यह सरकार कर रही है और जो करने जा रही है, जिसका महामहिम राज्यपाल जी ने अपने संशोधन में वर्णन किया है उसके लिये मैं उन को धन्यवाद देता हूं।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, अपने संबोधन में राज्यपाल महोदय ने अपने इस विश्वास का परिचय दिया है कि इस राज्य की सरकार लोकतंत्र के सच्चे आदर्श की पूर्ति करने के महान् प्रयास में अपना उच्च स्थान बनाये रखेगी।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह मेरा अपनी राज्य सरकार की ओर अनुचित व्यवहार होगा यदि मैं यह कहूं कि इस राज्य सरकार ने भय, अभाव शोषण और अत्याचार का अन्त करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया या इस कदम को उठाने के बाद इस राज्य सरकार को कोई सफलता नहीं मिली, परन्तु श्रीमान् इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि इस राज्य सरकार या इस राज्य का जितना समय और रुपया इसी कदम की ओर व्यय किया गया है उतनी सफलता कदापि नहीं मिली। जहां तक भय का सवाल है श्रीमान् माननीय राजनारायण जी ने कल बताया कि जब तक अभाव, शोषण, और अत्याचार किसी देश में रहेगा, भय कदापि नहीं जा सकता। परन्तु उनकी इस अनैलेसिस के बाद मुझे ताज्जुब हुआ कि भय का कारण जो उन्होंने बताया, मैं समझता हूं वह सर्वथा गलत था। श्रीमन्, कौन नहीं जानता, चाहे वह शहर का रहने वाला हो, चाहे वह गांव का रहने वाला हो, या काश्तकार हो, कि सरकार करोड़ों रुपया नहरों की खुदाई, ट्यूबवेल्स की बनवाई और बांध बंधियों में लगवा रही हैं। परन्तु यह भी सब को मालूम है कि काश्तकार को हमेशा यह

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

भय रहता है कि इतना सब खर्च होते हुये भी, इतनी सब व्यवस्थायें होते हुये भी जब समय पर हमको पानी की आवश्यकता होगी तब पानी नहीं मिलेगा। श्रीमन्, "अधिक अन्न उपजाओ" स्कीम में जिससे हम लोग सेल्फ सफिश्यैंट हों फूड में, इसके लिये सरकार करोड़ों रुपया व्यय कर रही है। तकावियों की व्यवस्था है, परन्तु यदि किसी काश्तकार का बैल मर गया और उसने तकावी मांगी तो साल डेढ़ साल या महीनों के बाद तकावी की अप्लीकेशन सुनी जाती है और साल भर के बाद तकावी मिलती है। श्रीमन्, अगर कहीं ओले गिर गये, वर्षा नहीं हुई और वहां छूट की बात चली तो कानून की रिपोर्ट पर उस छूट का होना न होना निर्भर रहता है परन्तु श्रीमन, यह सत्य है और मैं जानता हूं कि कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि कानूनगो साहब तहसील ही में बैठे बैठे अपनी रिपोर्ट भेजते हैं कि कितना वहां पर नुक्सान हुआ है कितनी छूट मिलनी चाहिये। तो श्रीमन्, राज्य सरकार का इतना रुपया खर्च करने के बाद भी और राज्य सरकार की इतनी व्यवस्थायें होने के बाद भी किसान को यह भय अवश्य रहता है कि उस को उतनी मदद नहीं मिल रही है या समय पर उसको इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी उसको चाहिये।

श्रीमन्, कौन नहीं जानता कि पुलिस विभाग पर यह सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, परन्तु क्या यह असत्य है कि कम से कम ग्रामीण जनता में हर एक को भय रहता है चोर और डकैतों से और पुलिस के अत्याचार से श्रीमन्, कम से कम मैं अपने क्षेत्र के बारे में यह नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि चोर डकैतों के आंतक में कमी नहीं हुई। जहां तक राज्य सरकार के ऊपर के पुलिस आफिश्यल का सवाल है मैं यह जानता हूं और उनको धन्यवाद देते हुये सरकार को यह कहता हूं कि उनमें तो कुछ फर्क आ गया है परन्तु सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स के अत्याचार, जहां जनता अपढ़ और भोली भाली है, मैं गलत न कहूंगा, अगर यह कहूं कि वह बढ़ रहे हैं। मैं तो ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे केसेज जानता हूं कि अगर जनता वहां के किसी एम०एल० ए० के पास आती है और दरख्वास्त देती है तो वह थानेदार साहब की ब्लैक बुक में आ जाता है और अड़ोस-पड़ोस में कोई चोरी डकैती हो तो उन्हीं का नाम ले लिया जाता है। इस तरह की बातें इस राज्य सरकार के नीचे हो रही हैं जो पापुलर वोट पर आती हैं जो जनता के लिये जितना रुपया और परिश्रम व्यय कर सकती है, मैं फिर दोहराता हूं, करती है।

श्रीमन्, शिक्षा पर, कौन नहीं जानता कि राज्य सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। नयी-नयी योजनायें, व्यवस्थायें और स्कीमें लाई जा रही हैं, परन्तु क्या हम में से हर एक को यह भय नहीं है कि इतना रुपया खर्च करने के बाद भी साहबजादे जब बी० ए, एम० ए० पास करके निकलेंगे तो बुद्धू के बुद्धू ही रह जायेंगे। शिक्षा तो कुछ होती नहीं, नालेज तो कुछ बढ़ती नहीं। इंडिसिप्लिन जरूर आ जाती है। काफी हाउस और सिनेमा हाउस में बैठ कर सिगरेट और बीड़ी पीकर नाजायज हरकतें करना जरूर सीख जाते हैं। तो श्रीमन्, इतना रुपया खर्च करने के बाद यदि हमारे एजुकेशन का यही स्टैंडर्ड रहा, और स्टैंडर्ड गिरता ही चला गया तो मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार इतना रुपया खर्च करने के बाद भी क्या भलाई करेगी, इस राज्य का अगर शिक्षा का यही हाल रहा। हमारे माननीय राजनारायण जी का और हमारे अन्य प्रजा सोशलिस्ट भाइयों का यह कहना है कि यह राज्य सरकार की कमी है, इसको अलग कर दिया जाय तो सब ठीक हो जायगा। श्रीमन् मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक कहूंगा कि इससे काम न चलेगा। यदि डेमो-क्रेटिक सोशलिज्म के आधार पर वह भी राज्य सरकार बना लें, वह भी उस ओर बैठ जायं तो श्रीमन्, उन्हें काम तो लेना पड़ेगा हिन्दुस्तानियों से ही। क्या वह रूस से या यूरप से या अमेरिका से अपने राज्य कर्मचारी लायेंगे? नैतिक पतन जो इस देश का हो रहा है केवल यही एक कारण है कि राज्य सरकार चाहे जितना रुपया खर्च करे, चाहे जितना समय व्यय करे वह सफलता

कदापि प्राप्त नहीं होगी जो सफलता इस राज्य सरकार को मिलनी चाहिये । चेंज आफ गवर्नमेंट, श्रीमन्, ठीक है । चेंज आफ गवर्नमेंट से फायदा क्या होगा ।जब कि गवर्नमेंट कोई भी हो, उसको काम लेना उन्हीं से है जिनका नैतिक पतन हो चुका है और जिनके नैतिक पतन को ठीक करने के लिये किसी प्रकार की कोई कोशिश नहीं की जा रही है । इसलिये श्रीमन् मैं आपक द्वारा राज्य सरकार से अन्त में इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि जहां वह करोड़ों रुपया इस राज्य की पढ़ाई के लिये, इस राज्यकी जनता के सुख के लिये,खर्च कर रही है वह यह न भूले कि आखिर हमको इसमें सफलता मिलती क्यों नहीं है; और उसका नैतिकपतन ही एक कारण है जिसकी ओर भी उन्हें ध्यान अवश्य देना चाहिये ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन्, श्री राज्यपाल के संबोधन पर जो प्रस्ताव हमारे मित्र दुब्लिश जी ने इस भवन में प्रस्तुत किया है, मैं एक ओर उसका समर्थन करने , और दूसरी ओर कुछ संशोधन या वह सभी संशोधन जो हमारे भिन्न भिन्न मित्रों ने इस सदन में उस प्रस्ताव के संबंध में प्रस्तुत किये हैं, उनका विरोध करने खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, हमारे जितने भी कार्य थे, इस सरकार के, कांग्रेस सरकार के, उनकी विवेचना काफी हद तक हो चुकी । कुछ सैद्धान्तिक बातों की और कुछ सैद्धान्तिक प्रश्नों को लेकर किन्हीं तराजुओं पर तौलने की कोशिश हमारे प्रजा सोशलिस्ट भाइयों ने राज्पपाल महोदय के सम्बोधन की की । और मुझे ऐसा लगा, जब जब उन्होंने अपने भाषण दिये, उन मौलिक बातों को लेकर जिन्हें सूत्र रूप में राज्य पाल महोदय के सम्बोधन में स्थान मिल चुका था कि उन्हें देखने से इन लोगों को शायद उन बड़ी बातों को समझने का मौका नहीं मिला जो उसमें निहित थीं । भाई राज-नारायण जी ने उत्पादन और वितरण के प्रश्न को लेकर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि हमारे देश में जब तक शोषण का अन्त नहीं हो जाता तब तक भय का अन्त नहीं होगा । मैं उन भाइयों से जो माननीय राजनारायण जी की उस बात के तथ्य को स्वीकार करते हों उनसे कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के संबोधन के तीसरे पैरा में कही हुई बातों की ओर उनका ध्यान नहीं गया । अगर हम प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट को सूक्ष्म दृष्टि से देखें, गौर से पढ़ें तो श्रीमन्, ऐसा प्रतीत होगा कि हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसे राज्य की स्थापना होने वाली है जिसके अन्तर्गत हमारे देश में शोषण का अन्त हो सकेगा । वितरण की ऐसी नयी व्यवस्था निकल सकेगी जिससे कोआपरेटिव की यानी सहकारिता की बुनियाद मजबूत पड़ सकेगी । हमारी कृषि का, हमारे उद्योगों का विकेन्द्रीयकरणहो सकेगा, और उस विकेन्द्रीयकरण के आधार पर शोषण के अन्त होने की पूरी पूरी सम्भावना होगी । प्लानिंग कमीशन की रिकमेनडेशन्स के दो तीन फल तो हमें दिखाई देने लगे हैं । इंडस्ट्रीज़ कंट्रोल ऐण्ड डेवलपमेंट ऐक्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया की ओर से पार्लियामेंट में आया और पास भी हुआ । उसमें क्या है और किस की सि-फारिश से यह हुआ ? यह ठीक प्लानिंग कमीशन की ही सिफारिश थी । उसी कमीशन की दूसरी सिफारिश थी कि मैनेजिंग एजेन्सी सिस्टम करप्ट है, इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये । इस तरफ भी हमारी सरकार ने अपना क़दम उठाया है, और उस काम को पूरा भी कर दिया है ।

हमारे प्लानिंग कमीशन की सिफारिश थी कि मध्यवर्ती को भूमि व्यवस्था से हटा कर छोटे छोटे विलेज कोआपरेटिव आन्दोलन की ओर हमारे देश को जाना है और जब तक इस ओर देश नहीं जाता है तब तक हमारी भूमि व्यवस्था का प्रश्न हल नहीं हो सकता है । इस ओर जाने के लिये जहां प्लानिंग कमीशन ने हमें इंगित किया वहां दूसरी ओर हमने देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश में भूमि व्यवस्था यानी ज़मीदारी के अन्त हो जाने के बाद अब भूमि के स्वामित्व में बहुत सा अन्तर आ गया है । इससे नई शक्ति का संचार हो चला है जिससे ग्रामों में कोआपरेटिव यानी सहकातिरा समितियों के द्वारा जमीन पर उत्पादन क्रिया शुरू हो रही है । यह एक इशारा है , एक संकेत है जिस पर आज हमारा सारा देश चल रहा है । प्लानिंग कमीशन का तज़किरा करके माननीय राज्यपाल महोदय ने उन सारे सिद्धांतों को माना और सारे

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना]

देश को उस ओर इंगित करते हुये कहा कि हमारा लक्ष्य वही है जो प्लानिंग कमीशन ने बताया है और साथ ही साथ सम्बोधन के अन्त में उन्होंने यह भी कहा कि आप को अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा रखनी है। चेतावनी उन्होंने दी है तो हम समझते हैं जो विशाल कार्य आने वाले वर्षों में होने वाला है उसके प्रति निष्ठा रखते हुये हम ऐसे समाज की स्थापना और रचना कर सकते हैं जिससे शोषण का अन्त हो जायागा और एक ऐसे राज्य की स्थापना हो जायगी जिसको बापू "राम राज्य" कहा करते थे जिसमें दैहिक और भौतिक तापों को अन्त करने की शक्ति समाज में स्वयं उत्पन्न हो जायगी।

नारे अच्छे मालूम होते हैं और नारे लगाये भी जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर बैठ कर जहां पर बुद्धि से तर्क से विवेचना करनी है, समस्याओं का हल ढूंढना है और जहां पर आने वाली संतति के भाग्यों का निर्णय होने वाला है तब महज कोरे नारों से, 'हमारे मजदूर सुखी हों' 'हमारे ग़रीब सुखी हों, कहने से काम चलने वाला नहीं है। आज हमे अपनी कमर को कसने की जरूरत है क्योंकि आज हम हजारों वर्ष से गुलाम हिन्दुस्तान का फिर से निर्माण करने वाले हैं। हमारा यह दबा हुआ गुलाम हिन्दुस्तान आज नई करवट लेना चाहता है। इससे नई स्फूर्ति आयगी लेकिन पहले काफी हद तक परेशानी और दुःख का सामना करना पड़ेगा। यही हमारा उद्देश्य है और छोटे मोटे दुःखों के लिये हम कुछ नहीं कह सकते हैं और यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अपने भाग्य का निर्माण करने में असफल होंगे।

मैं एक मामूली सी बात लेना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने मजदूर और मालिक के संबंध का जो तजकिरा किया उसका लोगों ने बड़ा ठट्टा उड़ाया। वह शायद है रैशनेलाइजेशन। उसकी जो उन्होंने परिभाषा की उसके संबंध में मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि यह किसी के नजदीक रैशनेलाइजेशन की परिभाषा नहीं है मैं कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं कहता जब मैं यह कहूं कि हमारे देश के मजदूरों ने निरंतर सन् ४६ से आजतक बराबर उन्नति की है। मैं मजदूर संगठन से ही इसका उदाहरण लेकर यह सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि क्या कोई एसोसियेशन और क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों ही हमें सर्वदा उपलब्ध रही हैं। यही नहीं कि कपड़े और खाने का हमारा सवाल तय हो गया हो अपितु आपसी मेल जोल की और प्रेम की बुनियाद हमारे समाज में संविधान के द्वारा खड़ी कर दी गई है और यह चीज मैं केवल मजदूरों का ही तजकिरा करके उनके सामने सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा।

राजनारायण जी देखें तो उनको मालूम होगा कि ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप में सन् ५१–५२ की मेम्बरशिप से २३६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। और अगर हम सन् ४६ को उसका बेस मान लें तो आज हमारी वृद्धि ५५९ प्रतिशत हुई है। अगर लाक आउट और स्ट्राइक्स को देखा जाय तो सन् ५१ के मुक़ाबले में ४५ प्रतिशत की कमी उनमें हुई है। अगर हम प्ले आफ को देखें तो उनमें भी ३१ प्रतिशत की कमी सन् ५१ के मुक़ाबले में पायी जाती है। अब क्लोजर का सवाल आता है उसमें भी ३७ प्रतिशत की कमी सन् ५१ के मुक़ाबले में हुई है।

राजनारायण जी ने वैसे ही चलते फिरते कह दिया, गवर्नर महोदय की वैलफेयर की बात चीत थोथी मालूम पड़ती है। लेकिन अगर हम लेबरर्स के मेडिकल एड के प्रश्न को ही लें तो हमें मालूम होगा कि लेबर डिपार्टमेंट ने जो भी काम लेबरर्स के वैलफेयर का किया है वह आज ५१ के मुक़ाबले में ५३ प्रतिशत खर्चे के लिहाज से अधिक हुआ है। मेडिकल अटेंडेंस में भी तरक्की हुई है। फिजीकल कल्चर में ६८ फीसदी की ज्यादती हुई है। इसी तरह से रीडिंग रूम्स, ऐन्टरटेनमेंट और चाइल्ड वैलफेयर आदि मजदूरों के सब क्षेत्रों में उन्नति ही दिखलाई देती है और इससे यह सिद्ध होता है कि मजदूरों के प्रति इस सरकार की उदारता की नीति रही है।

एक आवाज—निकाले कितने गये?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—मैंने जो अपनी स्पीच में अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया उसका मतलब ही छटनी या बैठकी से निकलता है। डिसमिसल और डिस्चार्ज की बात मैंने कही नहीं। ऐसे केसेज में भी १०० में से ९० रिइंस्टेट हो जाते हैं। मैं अपने भाई गेंदा सिंह

जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि निकाले जाने के संबंध में तो सब से अनहोनी बात यह है कि हमारे गृह मंत्री माननीय संपूर्णानन्द जी की वजह से उत्तर प्रदेश में मिल मालिकों को इससे नाराजगी ही रहती है कि रोज रोज निकाले जाने के बारे में हम लोग मुक़द्दमे चलाते रहते हैं और निकालने का पूर्ण स्वतंत्रता रूपी कोई अधिकार मिल मालिकों को नहीं रह गया है । आज मजदूरों के अस्तित्व को अगर कोई हानि पहुंच रही है तो वह पार्टियों के झूंठे नाम पर मजदूरों में फूट डालने वाले लोगों की वजह से है। मजदूर संगठनों की नींव को खोखली करने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है। मैं अपने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के भाइयों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां एक ओर मजदूरों की उन्नति के लिये सरकार ने अपनी पूरी शक्ति लगा रक्खी है वहां दूसरी ओर अकाल ग्रस्त क्षेत्रों की पूरी सहायता अपनी पूरी शक्ति लगा कर करती आयी है।

राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में मौलिकता है तथा उसकी एक विशेषता यह भी है कि उसके अन्तर्गत बापू के रामराज्य की रूपरेखा का दिग्दर्शन है, चित्र है। यह उसकी विशेषता है कि उसमें जीवन के सभी क्षेत्रों तक उसको प्रसारित करने की कोशिश की गयी है। पाणिनी के सूत्रवत् लक्ष्य को प्रसारित करने की कोशिश की गयी है। मुझे आशा है कि उस लक्ष्य की पूर्ति के लिये हम लगन से कार्य करेंगे और थोथे नारों से काम न लेंगे। अतः मुझे आशा है कि सदन सभी संशोधनों को रद्द करके माननीय दुब्लिश जी द्वारा उपस्थित प्रस्ताव को ही स्वीकार करेगा।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव पर प्रथम तो बोलने का विचार नहीं रखता था किन्तु जब आज सुबह मैंने एक स्थानीय अखबार को पढ़ा और उसमें मोटे मोटे अक्षरों में "भय, शोषण और दमन" देखा तो मैं इस निश्चय पर आया कि अब इस विषय में कुछ कहना आवश्यक है। इस पर बोलने की आवश्यकता मुझे इस कारण से प्रतीत हुई अध्यक्ष महोदय, कि यह मेरा देश समस्त संस्कृतियों के प्रवाह का संगम है। यही नहीं, जितनी जातियां संसार की हैं उनका नेतृत्व इस देश ने किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, जो आवश्यक बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इसी देश ने सभी धर्मों का समन्वय करके, संसार को एक नारा दिया है। और आज नहीं बल्कि आज से हजारों वर्ष पूर्व जब कि शेष संसार सभ्य कहलाने का दावा नहीं कर सकता था हमने यहां कहा "मा भैषी":। "मा भैषी": का नारा सब से प्रथम इसी देश से निकला था। तो आज जब मैं हजारों वर्ष पूर्व की इस अमर वाणी की तुलना श्री राजनारायण की 'भय, शोषण और अत्याचार' की आवाज से करता हूं तब कुछ परेशानी होती है, कभी हम और हमारे देश के नेता निडर होने का नारा देते थे लेकिन आज यह परिस्थिति हो गयी है कि देश के नेता कहलाने का दावा करने वाले लोग भी, इस बात में चाहे सत्यता हो या न हो, देश के अन्दर भय का नारा लगा रहे हैं और इस महान् भूल का अनुभव नहीं करते, अध्यक्ष महोदय कि यह नारा कब लगा रहे हैं, यह एक भयंकर समय में नारा लगा रहे हैं जब कि संसार में लड़ाई की आग की लपटें दिखलाई पड़ रही हैं और यह संभव हो सकता है कि इस देश में भी वह लपट आजाय और यह नारा वे उस समय में लगा रहे हैं, जब कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान तरह तरह के कुचक्रों को करके हमें उसमें लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे भयंकर समय में हमारे साथी आज चाहे वे विरोधी भले हों, यदि भय का नारा लगावें तो यह उनकी एक महान भूल होगी। अध्यक्ष महोदय, प्रसन्नता इस बात की अवश्य है कि जहां इस तरह की हवा फैलाने वाले लोग हैं वहा इस देश के नेता और हमारे राष्ट्र नायक पं० जवाहर लाल जी नेहरू, पंत जी और उनके साथ चलने वाले लोग भी मौजूद हैं जिनके हाथ में इस देश की बागडोर है। बावजूद ऐटम बमों के बीच में होने के, संसार को अभय होने का नारा दे रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, क्या आप के द्वारा मैं विरोधी दल से यह उम्मीद न करूं कि ऐसे भयंकर समय में, ऐसे कठिन समय में वे अपने मस्तिष्क के संतुलन से काम लें और हिम्मत का वातावरण देश के अन्दर फैलावें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—हम भय नहीं दिला रहे हैं बल्कि आप के कान खोल रहे हैं।

श्री राम नरेश शुक्ल---अभी मैं आप की आंखें खोल रहा हूं। अच्छा हो सच्चाई का सहारा लेकर देश के निर्माण के कार्य में हम आगे बढ़ें। जहां तक पिछले दिनों की बात है, हमारे साथियों ने उसके संबंध में ठीक कहा और बिलकुल ठीक कहा कि संसार के इतिहास में ऐसे कम देश होंगे या जहां तक मुझे पता है शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसने इन कठिन परिस्थितियों में इतने थोड़े से समय में इतनी उन्नति की हो।

जहां तक हमारे माननीय राज्यपाल के भाषण का संबंध है, उस विषय में मेरा यह कहना अनुचित नहीं होगा कि जो वह निर्देश करते हैं और उनके निर्देश में जो हमको रश्मियां मिल रही हैं उन रश्मियों के सहारे भारत का भविष्य बड़ा उज्वल दिखाई पड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर उस काम को देखते जो २६ से १ तारीख तक किया गया और जो उन दिनों में श्रम दान हुआ और जिसमें लाखों आदमियों ने काम किया तो उनको मालूम होता कि कितना काम हुआ है? उन दिनों में करोड़ों रुपये का काम हुआ है मगर वहां उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। उन्होंने या तो देखा नहीं या उनकी देखने की शक्ति गायब हो गयी है। इसलिये मुझे इस बात की आवश्यकता पड़ी कि आप के द्वारा उनसे और उनके साथियों से प्रार्थना करूं कि अगर वह इन ७ दिनों के अन्दर गांवों के अन्दर रहते तो उनको यह काम छोटा दिखाई न देता। मैं यह जानता हूं, इस सरकार का चाहे कोई भी काम हो चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, उनको अच्छा नहीं लगता मगर उनको यह मालूम हो जाना चाहिये कि देश किधर करवट ले रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा यह बताना चाहता हूं कि समय की हवा के विरुद्ध खड़े होने वाले संसार में कम व्यक्ति हुआ करते हैं। मैं यह जानता हूं कि देश में जो निर्माण की भावना पैदा हो रही है और जो देश का बनना आरम्भ हो रहा है उसमें मजबूरी के साथ उनको हमारे साथ आना पड़ेगा। अगर वह हमारा साथ नहीं देते हैं और हमारे साथ नहीं चलते हैं तो न मालूम वह उड़कर कहां चले जायंगे।

विरोधी कक्ष में बैठने वाले दो माननीय सदस्य माननीय ज्वाला प्रसाद और उनके दूसरे मित्र माननीय रणंजय सिंह ने चरित्र निर्माण और शरीर निर्माण की बात कही थी। जहां तक शरीर निर्माण की बात है उसमें तो माननीय रणंजय सिंह जी प्रवीण हैं मैं उस पर कुछ कहने की धृष्टता नहीं करता। केवल चरित्र निर्माण की बात लेता हूं क्यों कि शरीर निर्माण में मैं उनसे पीछे हूं। माननीय ज्वाला प्रसाद जी से आप के द्वारा मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि "पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे"। जिस संस्था से वे या उनके साथी आये हैं वह जैसा काम इस देश में कर रही है। क्या उससे चरित्र निर्माण हो सकता है? चरित्र निर्माण बातों से नहीं हुआ करता है बल्कि कार्यों से हुआ करता है। चरित्र का निर्माण कश्मीर के मैदान में हो रहा है। चरित्र का निर्माण उन हमारे पूज्य नेताओं के कार्य में हो रहा है जो बावजूद इसके कि उनकी अवस्था अधिक होने और शक्ति के कम होते हुये भी देश के निर्माण के कार्य में लगे हुये हैं। चरित्र का निर्माण उस स्थल पर नहीं हो सकता जहां पर प्रजा आन्दोलन के नाम पर कश्मीर को खोने का प्रयत्न किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह क्या सच नहीं है कि ये लोग प्रान्त में इधर-उधर कुचक्र करके कहीं वालिन्टियर, कहीं सभा और कहीं चन्दा करके कश्मीर प्रजा परिषद् के आन्दोलन में हिस्सा ले कर सिपाहियों के हाथों को कमजोर कर रहे हैं। चरित्र का निर्माण इन बातों से नहीं होता है, जैसा कि वह कर रहे हैं। चरित्र का निर्माण अध्यक्ष महोदय, इस बात से भी नहीं होता है कि राजनैतिक दांव-पेंच के लिये प्रांत भर की सारी दीवारों पर मुफ्त के गेरू को लेकर गोवध बन्द करने का आन्दोलन करें जब कि इस प्रांत के अन्दर गोवध होता ही नहीं है। सच्चाई को छिपा कर झूठ का प्रचार करके राजनैतिक दांव-पेंच खेलने वाली पार्टियां इस सदन में चरित्र के निर्माण की नसीहत नहीं दे सकती हैं। मैं आप के द्वारा, अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय को बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं और इसलिये खड़ा हुआ हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो निर्देश किया है वह इस प्रान्त के भविष्य में एक विशेष स्थान रखेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है उसमें कुछ विशेष परिवर्तन होने की आवश्यकता है और वह होगा। यह सच है कि जो शिक्षा प्रणाली वसीयत में अंग्रेजों से हमें मिली

है उस पर चल कर इस देश का निर्माण नहीं हो सकता है। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, अपने मित्र श्री सुरेश प्रकाश जी के भय से और आगे जाता हूं। शिक्षा केवल एम्पलायमेंट के लिये नहीं हुआ करती है। और मौजूदा शिक्षा तो केवल बेकारी ही नहीं पैदा करती है बल्कि दिमाग़ को भी बेकार करती है। इसलिये जब मैं यह निर्देश राज्यपालजी के भाषण में पाता हूं कि शिक्षा की प्रणाली में एक विशेष परिवर्तन होगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। देश के मस्तिष्क को बनाने की आवश्यकता है। देश का मस्तिष्क यदि ठीक रास्ते पर नहीं चलता, तो देश का भविष्य अंधकारमय होगा। इसलिये यह आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन हो।

इसके अतिरिक्त जो उन्होंने और महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं उनमें एक जिला बोर्ड और पंचायत अदालतों का है। यह सच है कि आज के जिला बोर्डों की जो शक्ल व सूरत है उससे देश के बनाने में अधिक सहायता नहीं मिल सकती है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यदि यही अवस्था रही तो सारा समय इस प्रान्त का केवल चुनाव ही में चला जायगा। चुनाव किसी प्रांत या देश में कुछ समय के बीच एक बार होना चाहिये और उसके बाद जो भी संस्था या जो भी व्यक्ति चुनाव में आये उसके हाथ में उस देश के चलाने की जिम्मेदारी आनी चाहिये। मैं तो जब यह चीज़ राज्यपाल जी के निर्देश में पाता हूं तो मुझे आशा बंधती है कि शायद जिला बोर्डों की एक नयी शक्ल आ जायगी।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मुझे एक और बड़ी प्रसन्नता होती है कि अब संभवतः भविष्य में नौकरियों में जो ट्रेड यूनियनिज्म है वह समाप्त हो जायगा। यह रोज़ रोज़ की हड़तालें, ये धमकियां और ये इस्तीफ़े किसी राज्य को मज़बूत नहीं कर सकते। इसलिये आप के द्वारा मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देते हुये अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री कमलासिंह (जिला गाज़ीपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने जो माननीय राज्यपाल को धन्यवाद देने का प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के अन्त में मैं निम्नलिखित शब्द और जोड़ देना चाहता हूं:—

> "किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल ने हरिजनों और पिछड़ी जातियों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिये ठोस क़दमों का सुझाव देना तो दूर रहा। उनका उल्लेख तक नहीं किया।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, १५ अगस्त, १९४७ को जो स्वराज्य इस देश को प्राप्त हुआ, पहले हमारा लक्ष्य था स्वराज्य प्राप्त करना। उसके बाद हमारा दूसरा लक्ष्य यह था कि जितनी जल्दी हो सके हम शोषण को खत्म करें। इसके साथ ही साथ हम यह भी चाहते थे कि कामनवेल्थ की स्थापना भी हमारे देश में हो। महात्मा गांधी जी ने भी यह कहा था कि हमारे देश में एक ऐसे समाज की स्थापना होनी चाहिये जो वर्गविहीन हो। जिस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपना पूर्ण विकास करने का एक अवसर मिले। साथ ही साथ यह भी उन्होंने बतलाया था कि हम यही चाहते हैं कि इस समाज की जो कि वर्गहीन समाज होगा उसकी जो आवश्यकतायें होंगी उनकी भी पूर्ति होगी। और इसलिये यह देखा गया कि पंडित नेहरू ने जब अपनी पंचवर्षीय योजना बनायी तो उसमें उन्होंने जो सब से पहला काम किया वह यह था कि जहालत और ग़रीबी के खिलाफ़ हम अपनी लड़ाई शुरू करेंगे और इसी उद्देश्य से उन्होंने सारा काम किया। इस देश की तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास इतनी जनशक्ति है कि उससे हम बहुत लाभ उठा सकते हैं। साधन की हमारे पास कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि यह जो जनशक्ति का हमारे पास साधन है इसको कैसे लगाया जाय। इसी चीज़ की इस वक्त कमी है। नवयुग आया। उसका एक साल बीत चुका। दूसरा साल चल रहा है। २६ जनवरी से ३१ जनवरी तक गणतन्त्र दिवस मनाया गया इस प्रदेश में। एक नयी लहर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ गयी। बूढ़े से लेकर बच्चे तक देश के निर्माण कार्य में फावड़ा लेकर जुट गये। एक अजीब उत्साह था। नतीजा यह हुआ कि आज इस

[श्री कमला सिंह]

सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने बतलाया है कि बहुत सी सड़कों, तालाबों और नहरों का निर्माण हुआ। यह हमें देखना है कि वह सड़क और वह तालाब जिस को कि करोड़ों रुपया खर्च करने पर भी नहीं बना सकते थे आज इस जनशक्ति के बल पर हम देखते हैं कि बड़ी सी बड़ी तादाद में लम्बी से लम्बी सड़क तैयार कर सकें। हमारे प्रदेश की जनसंख्या साढ़े छः करोड़ है। उसमें से साढ़े चार करोड़ हरिजन का पिछड़ा वर्ग है। जहां तक पिछड़े वर्ग का सवाल है मैं नहीं चाहता कि उसकी परिभाषा या सीमा सीमित रखी जाय किसी खास वर्ग के लिये। किसी भी समाज का आदमी जो पिछड़ा हो, शिक्षा की बिना पर या सामाजिक बिना पर ऐसे लोगों को हमें पिछड़े वर्ग में लेना चाहिये। इन लोगों को उठाने के लिये हमें सबसे पहले उपाय करना चाहिये। अगर हम संविधान की धारा ३४० को देखें तो उसमें दिया हुआ है कि एक कमीशन सरकार की तरफ से नियुक्त होगा। इसका काम होगा कि वह उन तरकीबों की जिनसे पिछड़ा वर्ग आगे बढ़ सकता है खोज करे। उसके बाद उसी सेक्शन में यह भी दिया हुआ है कि सरकार की तरफ से ग्रांट दी जाय ताकि उन कठिनाइयों को हरिजन या पिछड़ा वर्ग के उत्थान के रास्ते से हटाया जाय। साथ ही साथ संविधान की धारा ४५ की तरफ अगर हम देखें तो उसमें भी दिया हुआ है कि दस साल के अन्दर हमारे देश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि हमारे यहां निःशुल्क शिक्षा हो जाय। अब हमारे सामने यह सवाल उठता है कि अगर दस साल के अन्दर हम हरिजन और पिछड़े वर्ग को भी और लोगों को बराबर लाना है तो हमारे सामने बड़ी कठिनाई होगी क्योंकि १० साल के बाद हमारा यह भारतवर्ष या यह प्रदेश बहुत आगे जायगा, उस वक्त वह पिछड़ा समाज जो आज अपने सर को भी ऊंचा नहीं उठा सकता, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता, जिसके पास धन नहीं है जिसे वह काफी पहन सकें और खा सकें और न सहारा है, ऐसे लोगों को उठाने के लिये आगे बढ़ाने के लिये बड़ी कठिनाई उस वक्त होगी। कम्पेटीशन जो एक का दूसरी जाति से होगा या एक आदमी का दूसरे आदमी से होगा वह इतना गहरा होगा कि जो पीछे हैं वह और भी पीछे रहें या इतने कुचल दिये जायं कि वह जहन्नुम को चले जायं, यह भी संभव है।

जो यह सड़कों का निर्माण हुआ, उसमें मैंने देखा कि यही पिछड़ा वर्ग और हरिजन ज्यादा से ज्यादा तादाद में चूंकि देहात में रहते हैं उन्होंने ही अधिक से अधिक कार्य किया। इन सड़कों पर हम मोटर चलायेंगे, साइकिलें और रिक्शा गाड़ी चलायेंगे लेकिन वह ग़रीब, जिनके पास न मोटर है, न साइकिल, न रिक्शा गाड़ी बल्कि वे तो उन्हीं चरण भगवान की शरण हैं और उन्हीं के भरोसे पर एक रास्ते पर भी अपनी गुजर कर सकते हैं। उन्होंने अपने जनश्रम की बद लत सड़कें बनायी, जिन पर अच्छी से अच्छी सवारी लेकर चल सकें, लेकिन यह देखना है कि उनके लिये हमने क्या किया। ये गरीब जो दिन भर काम करते थे, बिला खाये पिये जो काम को जाते थे और जिनकी औरतें और बच्चे ऐसी अवस्था में थे कि वह कमा कर ले आयेंगे तो उनकी भूख मिट जायगी लेकिन काम नहीं मिलता था और उसकी वजह से ही वे करवट बदलते भूखे रात बिताते थे। क्योंकि ये लोग ऐसे थे जिनके पास मजदूरी के अलावा कोई दूसरा पैसा नहीं था और उसी की बदौलत अपनी जीविका निर्वाह करते थे। अपने उत्साह की बदौलत काम पर जाते थे लेकिन भूखे होने की वजह से इतना काम नहीं कर पाते थे जितना कि और लोग कर सकते थे लेकिन फिर भी अपने को मिटाते ही जाते थे। मैं नहीं समझता कि कब तक वह अपने को मिटाते रहेंगे। क्या सरकार पर इसका भार नहीं है? क्या सरकार बतला सकती है कि वह कब तक अपने को मिटाते रहेंगे? हम आप ऐसे हैं जिनके पास धन है, दौलत है, फैक्टरीज का मुनाफा है, उद्योग धंधे हमारे हाथ में है और वह ग़रीब हैं जिनके पास कुछ नहीं है। खाने को भोजन और पहनने को कपड़ा तक नहीं है। वह भूखे इधर उधर मारे मारे फिरते हैं।

हमारे पूर्वी जिलों में एक मुसहर जाति है जिसको मैंने हरिजन लिस्ट में देखा है और हरिजन आफिसर ने बतलाया था कि मुसहर जाति आज बनमानुष के नाम से पुकारी जाती है। अफसोस है कि इस युग में भी एक पिछड़ी हुई जाति को बनमानुष जो बन्दर के बाद का डेवलपमेंट समझा जाता है, उस बनमानुष के नाम से पुकारा जाता है। मैं तो अध्यक्ष महोदय, यह चैलेंज

के साथ बतला सकता हूं कि पूर्वी जिलों में मुसहर जाति के लड़के, अगर आप स्टेशन पर जा कर मिठाई लेकर खाना शुरू करें तो वह अच्छी निगाहों से देखते रहेंगे और इस फेर में रहेंगे कि और टकटकी लगाये रहेंगे कि कुछ झूठा कूठा पूड़ी या मिठाई आप फेंक दें तो वह उसी से अपना जीवन निर्वाह करें। यह ग़रीबी है। अगर उनके घर की तरफ आयें तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जहां तक इस सरकार का या हमारे आदमियों का यह कहना है कि हमने हरिजनों का बहुत बड़ा उत्थान किया है, हमने उनको बहुत ऊंचा उठाया है तो आप उन मुसहरों की तरफ देखिये, उनके घरों को देखिये, । वह बन में रहते हैं और जिनका पेशा है पत्तल और दोने बनाना और उनको बारात में ले जाना। वहां पर झूठा जो लोग छोड़ कर चले जाते हैं उस उच्छिष्ट भोजन पर वह अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। यह हमारी व्यवस्था है और यह ग़रीबी है साथ ही साथ यह भी हमें देखना है कि जेल में जितने लोग हैं, या क़ैदी वग़ैरह हैं, उन क़ैदियों की तरफ अगर देखा जाय तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऐसे क़ैदी हैं जो हरिजन क्लास के हैं। उसके बाद बैकवर्ड क्लास के हैं, उसके बाद और जो निम्न श्रेणी के लोग हैं, उनके लोग हैं। पहले सिटी ऐक्ट था इस हिन्दुस्तान में। उस सिटी ऐक्ट के जरिये जितने लोग एक वर्ग में पैदा होते थे वह पैदाइश के जरिये क्रिमिनल करार दिये जाते थे और बाद में सेटिलमेंट भी बनाया गया। सेटिलमेंट के जरिये लोगों को काम वगैरह दिया गया जिससे यह कहा गया कि इन लोगों का रिफाइनमेंट हुआ। खैर किसी तरह से यह सिटी ऐक्ट एबालिश हुआ। फिर इसके बाद दूसरा इससे बड़ा हैबिच्यूअल आफेंडर्स ऐक्ट आया जिसका दायरा बहुत बढ़ा हुआ था और बहुत से लोग इसके अन्दर आये। साथ ही साथ हमने देखा कि अभी हमारे माननीय सम्पूर्णानन्द जी के नाम से सम्पूर्णानन्द शिविर खोला गया और वहां चन्द्रप्रभा बांध के मुताल्लिक़ जो कुछ कहा गया उसमें हमने देखा कि जब यह क़ैदी वहां काम करते थे तो बड़े उल्लास के साथ काम करते थे और इसकी वजह यह थी कि उन्हें काम दिया जाता था और फिर पैसा भी दिया जाता था। मैं तो यह पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा अपनी सरकार से कि जहां पर कि हमारे क़ैदी या वह लोग जो कि जेलों में बन्द किये जाते हैं और उनका रिफार्मेशन काम और पैसा देने की वजह से हो जाता है तो क्या वजह है और हम ऐसी व्यवस्था क्यों न करें कि जिसके द्वारा हर आदमी को काम मिल सके और पैसा मिल सके। हमें यह जरूरत नहीं है कि हम जेल के अन्दर लोगों को बन्द करने की कोशिश करें। जब काम ही एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से लोग ऐसे अपराध करते हैं और जेल जाते हैं तो सब से पहले हम ऐसी ही व्यवस्था क्यों न करें कि हर आदमी को काम मिले। रूस वग़ैरह में भी देखा जाता है कि वहां उस देश में जो आदमी हैं उनको काम दिया जाता है और काम उनसे कराया जाता है। हमने देखा है और निर्माण कार्य के सिलसिले में मैं काफी मौक़ा मुझे मिला है देहातों में जा कर देखने का और हमारे उपमंत्री रउफ जाफरी साहब हमारे साथ थे, उन्होंने देखा है कि हमारे जिले में कितनी तादाद में लोगों ने जाकर सड़कों का निर्माण कार्य किया है और जब यह निर्माण कार्य ख़त्म हो गया तो वह परेशान हो गये कि हम अब इसके बाद कौन सा काम करें, कोई काम उनके पास नहीं था। हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिसके जरिये हमारे यहां हर एक आदमी को जो काम कर सके, उसको काम दिया जाय ताकि उस काम को करके वह उससे अपनी जीविका समाप्त कर सके।

अब एक चीज और है। हम यह देखते हैं कि सर्विसेज का सवाल सदन में उपस्थित किया जाता है। हरिजन भाई और और लोग भी यह पूछते हैं कि अछूत लोग या हरिजन कितने आदमी इन सर्विसेज में लिये गये। जब सरकार यह कहती है कि इनके लिये इतनी सीटें या १० परसेंट का रिजर्वेशन है, वह भी बहुत कम है, लेकिन जब इतनी जगहों पर भी ये नहीं लिये जाते तो गवर्नमेंट यह कहती है कि इनमें योग्य लोग नहीं मिलते। अयोग्य हैं इसलिये नहीं लिये जाते। तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सन् ४७ से अब तक जब यह मालूम हो गया कि यह लोग अयोग्य हैं तो सरकार ने उनकी अयोग्यता के कारणों को दूर करने का क्या उपाय किया। आज हमको यह देखना है और इसका उपाय करना चाहिये कि इनकी अयोग्यता को दूर करके ज्यादा से ज्यादा इन्हें योग्य बनावें। मैं देखता हूं कि ऐसी जातियों की दो लिस्टें हैं। हरिजन विभाग में एक लिस्ट है जिसमें ३६ जातियां है और लेकिन एक कांफिडेंशियल लिस्ट इस सरकार के पास है जिसमें १५ या १६ जातियां हैं।

[श्री कमला सिंह]

और उन जातियों की तरफ अगर कोई देखे तो उनमें शायद ही एक आदमी पढ़ा लिखा हो। कहा जाता है कि यहां योग्य आदमी हमें नहीं मिलते हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार इसका दायरा और बढ़ावे। अगर १५ जातियों में नहीं मिलते हैं तो ३६ जातियों में देखा जाये और उनको उन्नति करने का मौका मिल सके और वे कह सकें कि हमारे साथ किस तरह की जादिती हुई। इतना ही नहीं बल्कि मैं यह बतलाना चाहता हूं जैसे पाकिस्तान बना उसी तरह यहां अछूतिस्तान का सवाल भी उठ सकता है। मैं कह सकता हूं कि जहां तक अछूतों को सरकारी नौकरी में रखने का सवाल है उसको जल्द से जल्द हल कर देना चाहिये ताकि यह जो जहर आज उगला जा रहा है और एक पाकिस्तान बनाने की तैयारी की जा रही है उसको खतम किया जा सके।

साथ ही साथ एक चीज मेरे दोस्त नें नर्सेज के बारे में यह कही कि हम क्रिश्चियन सोसायटी से अधिक से अधिक नर्सेज दे सकते हैं। इस संबध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे यहां बहुत सी स्त्रियां हैं जो वेश्यावृत्ति का पेशा करती हैं यदि इन स्त्रियों को नर्सेज की शिक्षा दी जाय तो वे देश का भला कर सकती हैं और साथ ही साथ उनका भी सुधार हो जायगा।

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग जो यह इकट्ठे हुये हैं वे सभी अपने देश की भलाई चाहते हैं और सब के सब जनता द्वारा चुन के आये हैं। मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं आपके द्वारा भवन के सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने बड़ी गम्भीरता के साथ (दोनों तरफ के सदस्यों ने) बहस में हिस्सा लिया लेकिन एक बात से मुझे दुख हुआ कि जो संशोधन माननीय राज्यपाल के सम्भाषण के प्रति आये हैं उनमें बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं कि जो सदस्यों के दिल में बातें हों वे उसमें न हों और जिन समस्याओं पर माननीय सदस्य जोर देना चाहते हों उसकी पूरी तस्वीर भी न हो। लेकिन कुछ ऐसे संशोधन हैं जो बुनियादी चीजों पर हैं और साथ ही जिनका ताल्लुक इस स्टेट से नहीं है। मेरा मतलब खास तौर पर उन दो संशोधनों से है जिनमें यह कहा गया है कि हमारे इस राज्य के क्या आदर्श हों, क्या काम हों। इसकी तरफ ध्यान दिलाना है। श्री नारायण दत्त जी ने संशोधन दिया है कि हमारा जनतांत्रिक समाजवादी राज्य हो। तो इन लोगों ने कहा कि इसका जिक्र राज्यपाल महोदय ने नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या जो संशोधन मैंने पेश नहीं किया है उसका जिक्र माननीय सदस्य कर सकते हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने यह संशोधन देखा जिसमें आपका नाम छपा था।

श्री अध्यक्ष—जो संशोधन अभी पेश नहीं किया गया है उसके बारे में आप स्वयं जिक्र कर सकते हैं लेकिन वह संशोधन जिन्हें पेश करना है आप उनका उल्लेख नहीं कर सकते।

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं यह कह रहा हूं कि मैं इस बात को मानता हूं कि मैंने यह कहा था कि जो लिस्ट है उस पर कुछ चीजें ऐसी थीं जो कि नहीं होनी चाहिए थीं यानी कुछ लोगों के दिमागों में ऐसी बातें जिनको कि राज्यपाल महोदय नहीं कर सकते थे, उनके लिये वह लोग चाहते हैं कि माननीय राज्यपाल अपने भाषण में उनका जिक्र करते। मसलन कांस्टीट्यूशन में, विधान में हमने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को माना है। अब इसके बजाय प्यूपिल्स डिमोक्रेसी रखें यह स्टेट के राज्यपाल के सम्भाषण में राज्यपाल महोदय ऐसा कहते मैं इसको समझता हूं कि उचित नहीं होगा और जो इस प्रकार की बातें रखी गई हैं वह चाहे किसी भी आदर्शवाद में विश्वास रखते हों, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि

कल्याणकारी स्टेट के लिये सब लोग काम करें तो मैं कहना चाहता हूं कि उनके दिमाग में आदर्शवादिता है, चाहे कोई राज्य हो, क्या वह कल्याणकारी नहीं होगा ? अगर कल्याण-कारी नहीं है तो उसका जिक्र नहीं होना चाहिये और अगर कल्याणकारी है तो जैसा कि राज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि हम ऐसा राज्य स्थापित करना चाहते हैं कि जो कल्याणकारी हो, तो उसके अन्दर यह आजाता है।

मैं अर्ज कर रहा था कि हमारा और आपका फर्ज यह है कि हम देखें कि हम अपने मुल्क का, अपने देश का कितना लाभ कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं और उसके करने में उसकी तरफ जो हमारे राज्य की सरकार ने कार्यवाही की है, उनसे कुछ काम हुआ है या नहीं, हम जो आगे काम करने जा रहे हैं वह देश के लिये लाभप्रद है या नहीं, कल्याणकारी हैं या नहीं।

सबसे बड़ी समस्या अपने मुल्क में किसान और जमीन की है। हमारे मुल्क में यह तो मानी हुई बात है कि हम गरीब हैं, सरकार गरीब है, हमारे देश में पैसे की कमी है। लेकिन सवाल यह है और देखना यह है कि हमने तरक्की की है या नहीं, जो कदम हमने बढ़ाये हैं उनसे हम आगे बढ़े हैं या नहीं और हम जनता के लिये लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं या नहीं। यह चीज देखने की है।

मैं आपके द्वारा सदन से अर्ज करूंगा कि जहां तक मुल्क का ताल्लुक है जमीन की समस्या से, इसमें तीन बातें मुख्य हैं (१) भूमि, (२) पानी तथा (३) जनशक्ति का इस्तेमाल करना। अब इन तीनों के लिये देखना है कि हमने इस ओर कदम उठाया है या नहीं। मैं अर्ज करूंगा कि जब से सरकार ने अपना काम संभाला है और इन तीनों चीजों में हमने कोशिश की है कि जनता के फायदे की बड़ी से बड़ी जो चीज हो सकती है वह की जाय। भूमि व्यवस्था के लिये जो सब से बड़ी अड़चन थी, जमींदारी व्यवस्था, वह हमने खत्म कर दी और जो उत्पादन में अड़चन हो सकती थी उसको दूर किया। अब हर किसान और हर आदमी जो अपनी जमीन पर काबिज है वह समझ सकता है कि जो पैदावार होगी वह उसकी होगी, कोई दस्तंदाजी करने वाला नहीं होगा। एक भाई ने कहा कि हमने इतनी जमीन तोड़ी तो मैं आंकड़ों में नहीं पड़ूंगा।

पानी की व्यवस्था के बारे में यह है कि अकेले बुन्देलखंड के लिये झांसी में तीन बांध बने हैं और बांदा जिले में रंगवा का बांध बन रहा है। इसके अलावा ६ करोड़ की स्कीम माटा टीला की है। उसके लिये भी हमारे सूचना मंत्री जी ने कृपा करके मंजूरी दे दी है और इस साल बड़े जोरों से काम हो रहा है उसके बनने से बुन्देलखंड में ४० फीसदी सिंचाई बढ़ जायगी जहां कि ज्यादा जमीन होने से पैदावार ज्यादा हो सकती है मगर पानी की कमी रही है। अभी तक डेढ़ करोड़ रुपया इन बांधों में लग चुका है। माननीय राज्यपाल के संबोधन में पूर्वी जिलों में २०० नलकूपों के और बनवाने का जिक्र है। हमारे यहां पानी की समस्या ऐसी है जो देहात वालों को खासतौर से बुरी तरह परेशान करती है। कहीं ज्यादा वर्षा हो जाती है और कहीं कम होती है। जहां ज्यादा होती है वहां के पानी का ठीक इस्तेमाल करने की समस्या भी है। इसे भी सरकार हल कर रही है। इसके अलावा मैन पावर (जनशक्ति) को भी इस्तेमाल करने की बात है और आपने देखा होगा कि अभी जनवरी के महीने में इसका अच्छा इस्तेमाल हुआ। इम्साल इस सप्ताह में जनहित के कामों में जनता को इकट्ठा करके लगाया गया और उनसे काम लिया गया। आप सहयोग की बात तो करते हैं लेकिन जब हम वक्त पर काम करते हैं तो आप आगे नहीं आते। डेमोक्रेसी में देशनिर्माण का कार्य केवल सरकार के करने से ही सफल नहीं हो सकता। जितनी जिम्मेदारी मेजारिटी पार्टी की है उतनी ही अपोजीशन की भी है। अपोजीशन भी कांस्टीट्यूशन की लायल (भक्त) है इसलिये हम सब का फर्ज है कि मिलकर देश निर्माण का कार्य करें, तभी डेमोक्रेसी सफल हो सकती है। हमारे यहां महात्मा गांधी की डेमोक्रेसी है। हम जोर से या डंडे से डेमोक्रेसी नहीं

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

चलाना चाहते। हम सत्य और अहिंसा से इसे सफल बनाना चाहते हैं। इस प्रकार हम इसे आगे ले जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि चन्द सालों में हमारे यहां प्रजातंत्र कितना सफल हुआ है और हर क्षेत्र में हमने काफी काम किया है। इसका हम गर्व कर सकते हैं। आज अगर हम प्रांतीय रक्षा दल के संरक्षण में एक ऐसा दल स्थापित कर सकते हैं जो हमारे देश निर्माण के कार्य को बढ़ाने में प्रयत्नशील रहे तो आपको प्रसन्न होना चाहिये। हर एक मनुष्य को इस कार्य में अपना पूरा पूरा सहयोग देना चाहिये। इसके लिये यह जरूरी है कि हम ऐसी परम्परायें कायम करें जिनका आगे जाकर जनता अनुसरण करे और हमें फायदा मिले।

इसलिये मैं यह अर्ज करता हूं कि जो इस संबोधन के अन्दर बातें हैं उनकी कांस्ट्रक्टिव साइड को भी हमें देखना चाहिये। उसमें यह अवश्य हो सकता है कि कुछ चीजें जो खास माननीय सदस्य चाहें वे न आई हों लेकिन इसके अन्दर वे सब चीजें मौजूद हैं जो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिये जरूरी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी तरफ आपके जरिये माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस पर ध्यान दें। इस जमाने में कुछ तरक्की हुई है या नहीं यह मैं सिर्फ दो तीन आंकड़े दे कर बतलाऊंगा। डेथ रेट के आंकड़े यह साबित करते हैं कि अगर वह ज्यादा हैं तो हालत बुरी है और अगर वह कम हैं तो हालत अच्छी है। वह डेथ रेट सन् १९३१-४१ के बीच २३ था ४१ से इधर २२.५ हो गया है। ४७ में १९ था, ४८ में तो केवल १७ रह गया है और अब इधर ५१ के बाद तो और भी शायद कम हो गया है। दूसरी चीज जो मिनिमम वेजेज (कम से कम मजदूरी) आदमी की थी, सन् १९४० में एवेरेज वेज ६ आने थी और अब रुपये, चौदह आने और बारह आने से शायद ही ऐवेरेज वेज किसी की कम हो। तो इस तरीके से यह कम से कम दुगुना हो गया है। इसके अलावा देहात में खेती पर ११ प्रतिशत और १२ प्रतिशत जहां आदमी और बढ़ गया है वहां इतना होते हुये भी उसमें इतनी गुंजाइश है कि किसान अच्छी मजदूरी दे सकता है। किसानों की हालत अच्छी है। यह सारी चीजें यह बतलाती हैं। इसके अलावा देहातों में इनडेटेडनेस (कर्जदारी) थी उसमें काफी कमी आ गई है। पहले देहात में तीन-चौथाई आदमी ऐसे थे जो कर्जे से दबे हुये थे और आज यह हालत है कि वह कर्जा आधे से भी ज्यादा या तीन-चौथाई खत्म हो गया है। आज एक-चौथाई आदमी ही ऐसे हैं जो कर्जा लेते हैं। यही चीजें हैं जो बतलाती हैं कि आज देहात की दशा कितनी सुधर गई है।

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बमारसी दास)—अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है। उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं इस सदन के बहुमूल्य समय पर पिछले वर्ष के कार्य का सिंहावलोकन करके अतिक्रमण नहीं करना चाहता। महामान्य राज्यपाल ने ठीक ही बतलाया है कि हमारे राज्य का मुख्य लक्ष्य इस प्रांत के अन्दर भय अभाव, शोषण और अत्याचार से मुक्ति दिलाना है। स्वतंत्रता के पांच साल में सबसे बड़ा कार्य तो इस प्रदेश के अन्दर शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करके यहां पर एक कल्याणकारी राज्य के लिये जमीन तैयार करना था। हमें इस बात का गर्व है कि इस पांच साल के अर्से में वह भूमि तैयार कर दी गई जिस पर एक सुदृढ़ मुल्क की नींव रखी जा सके। इसलिये सबसे पहला ध्यान महामान्य राज्यपाल ने इस प्रांत को भय से निजात दिलाने के लिये आकर्षित किया है। जिसमें सबसे पहला सवाल हमारे सामने विदेशी रोटी से मुक्ति का है। हम अपने इस प्रांत में कई सालों से बराबर लगभग ३ लाख टन अनाज बाहर से मंगाते रहे हैं। तीन चार साल के अरसे में काफी भूमि को हल के नीचे ला करके और इस पांच साल के अरसे में करीब १३ लाख एकड़ भूमि पर पानी की व्यवस्था करके और इन पांच सालों में इस बात का निश्चय करके कि हम इस प्रांत की २० लाख एकड़ भूमि को जल पहुंचाना चाहते हैं इस बात का संकेत किया है कि हम इस प्रांत को न केवल अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं जब कि आज हमारे प्रांत में केवल तीन लाख

टन अनाज की कमी है हम चार साल के बाद में इस प्रांत के अन्दर कम से कम ११ लाख टन अनाज की वृद्धि कर देंगे । इससे हमारा प्रांत अनाज के मामलों में विदेशों की तरफ न देखेगा और साथ ही साथ जूट का उत्पादन बढ़ा कर हमारे प्रांत की तीन फैक्ट्रियों की ही पूर्ति न होगी बल्कि हम भारत के और भी भागों की पूर्ति कर सकेंगे। कपास में जबकि हमारी पैदावार लगातार घटती चली जा रही है आज वह लगभग दो लाख एकड़ है। हम चाहते हैं कि यहां चार साल के अरसे में जिस प्रकार कि भोजन के मामले में स्वतंत्र हों वस्त्र के मामले में भी हम पूर्ण स्वतंत्र हों। मुझे आश्चर्य होता है जब विरोधी पक्ष की ओर से यह कहा जाता है कि किस प्रकार से उस कल्याणकारी राज के लक्ष्य की पूर्ति का प्रयत्न किया गया? अभी हाल में इंग्लैन्ड के वामपक्षी मजदूर दल के नेता श्री बेविन ने कहा है कि इंग्लैन्ड में सन् १९२९ से पहले अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। उस वक्त तक इंग्लैन्ड में डिक्टेटरशिप के द्वारा ही राज्य होता चला आया था और सिर्फ १९२९ से ही इंग्लैन्ड में अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा कल्याणकारी राज्य स्थापित हुआ। उन्होंने कहा कि भारत के लिये यह एक साहसपूर्ण कदम है कि भारत ने अडल्ट फ्रेंचाइज के जरिये कल्याणकारी राज्य स्थापित कर लिया है और सच्ची डेमोक्रेसी की नींव डाल दी है। इसके लिये न केवल सारे राष्ट्र को साथ लेने की जरूरत है बल्कि शांतिपूर्वक राष्ट्र के तमाम साधनों को संचय करने की आवश्यकता है। इसलिये जब हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करें, हम देश की प्रगति की ओर ध्यान दें तो हमको यह याद रखना चाहिये कि आखिर कौन से साधनों के द्वारा हम अपने लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते हैं। यह सही है कि जिस तरीके से कारखानों में पैदावार बढ़ सकती है उसी प्रकार से बंदूक के बल पर, तानाशाही के बल पर किसी देश की प्रगति को तेज किया जा सकता है। लेकिन अगर हम शांतिमय तरीकों से, डेमोक्रेटिक ढंग से किसी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अगर जनता यह कहे कि तेज चलें तो सरकार को उसका नेतृत्व करना होगा और अगर वह आहिस्ता चलना चाहती है तो सरकार को रुक कर उसका इंतजार करना होगा। हमको इस दृष्टि से गौर करना होगा। रूस में डिक्टेटरशिप १९१७ में कायम हुई। उसके बाद १९३१ में जब कि वहां पंचवर्षीय योजना लागू की गई तो ४ फरवरी को वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने देश के छोटे छोटे सवालों को हल करने की मांग की। इसी तरह जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर लोग विरोध करते हैं और राज्य के सामने रुकावट पैदा करते हैं और जब राष्ट्र के लिये बलिदान की मांग होती है तो इस बात का नारा लगाया जाता है कि जनता को दबाया जा रहा है। लेकिन स्टेलिन ने कहा कि रूस पर मुगलों ने हमला किया, पोलैन्ड वालों ने हमला किया, इंग्लैन्ड और फ्रेंच ने उसको पददलित किया, लिथोनियन्स ने पददलित किया, लेकिन अब हम अपने राष्ट्र को प्रगति की ओर बढ़ाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, प्रगति को धीमा नहीं करना चाहते। अगर लोगों की आंखों में आंसू आयेंगे तो हमें अपने दिल को कड़ा करना होगा, पसीने बहाना होगा और अपने देश को शक्तिशाली बनाना होगा। आज हमारे सामने केवल लक्ष्य का सवाल नहीं है, हमारे सामने तो सवाल यह है कि हम कल्याणकारी राज्य की पूर्ति के लिये वातावरण कैसा पैदा करें।

अंग्रेजी साम्राज्यवाद को धराशायी करने के लिये इस देश के अन्दर विनाशात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने की जरूरत थी। उस समय राय करके कांग्रेस के अध्यक्ष ने गांधी जी से कहा कि यह नान कोआपरेशन की स्प्रिट राष्ट्र के अन्दर घर कर जायगी और किसी भी राष्ट्रीय सरकार को सत्ता का संभालना और राज्य करना कठिन हो जायगा। गांधी जी ने कहा कि मैं जनता हूं कि मैं आग के साथ खेल रहा हूं लेकिन विदेशी सत्ता के नाश करने के लिये खतरा मोल लेना होगा और उन्होंने अपनी समस्त शक्ति से ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा की भावना पैदा की। लेकिन आज मालूम होता है कि साम्राज्यवाद के मिटाने के लिये जो गांधी जी ने आग का खतरा मोल लिया था और उसके लिये अपना सारा बल लगा दिया था उसी विध्वंसात्मक मार्ग का सहारा हमारे देश की अन्य

[श्री बनारसी दास]

राजनैतिक पार्टियां ले रही हैं। अंग्रेजों के प्रति जो हमारा रवैया था आज के पोजीशन में देश की पार्टियां उसका अनुकरण कर रही हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि विनाशात्मक प्रवृत्तियों की जगह हम रचनात्मक प्रवृत्तियों को स्थान दें। हम घृणा की जगह प्रेम को स्थान दें, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि एक मर्तबा तमाम राष्ट्र के अन्दर जिस प्रकार सन् ४२ के अन्दर "अंग्रेजों भारत छोड़ो" का नारा घर कर गया था, यदि हम तमाम राष्ट्र को इस बात का ज्ञान करा सकें कि प्रकृति ने हमारे देश को जनशक्ति, साधन और प्रतिभा से सम्पन्न किया है तो हमारा देश सुखी हो जाय। हमारे देश के अन्दर दरिद्रता है, हमारी राष्ट्रीय आय करीब २४० रु० है जब कि हम देखते हैं कि हमारी आबादी के ही बराबर का इंग्लैन्ड जैसा देश है जिसका सालाना बजट ६० अरब होता है। वहां हेल्थ और मेडिकल सर्विस पर केवल एक साल के अन्दर ४ अरब से ज्यादा रुपया खर्च होता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि साधन सम्पन्न होते हुये और इतनी प्रतिभा के होते हुये भी इस प्रांत का बजट केवल ६० करोड़ है। उस पर हम यह आशा करें कि हमारा प्रांत क्यों आगे नहीं बढ़ता? अगर हम राष्ट्र निर्माण के लिये तैयार हो जायें तो कोई कारण नहीं कि हमारे यहां का बजट शीघ्र से शीघ्र ६० अरब न हो जाय। पटवारियों की तनख्वाह आदि के बारे में गौर न किया जाय श्री कमला सिंह जी कह सकते हैं कि माननीय संपूर्णानन्द जी। जिस तरह से चन्द्रप्रभा बांध पर कैदियों के द्वारा श्रम लेकर परीक्षण कर रहे हैं। उस तरह से अगर प्रत्येक आदमी को रोजगार दे दिया जाय तो हम जेल जाने के कारणों को दूर कर सकते हैं। तो यह कार्य केवल सोचने से नहीं हो सकता बल्कि राष्ट्र की तमाम शक्तियों को जुटा कर होगा। मैंने निवेदन किया कि यदि आप इस प्रांत के अन्दर ६० अरब नहीं बल्कि केवल ६ अरब का ही बजट दे सकें तो मैं कह सकता हूं कि आप सरकार से इस बात की आशा कर सकते हैं कि हमारे यहां के लोगों की आय में जो विषमता पायी जाती है वह दूर हो जाय और उस वक्त वह ज्यादा उचित भी होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं यदि आप नकारात्मक आलोचना करते हैं, इस देश के अन्दर विकासात्मक शक्तियों को नष्ट करना चाहते हैं और भारत की भौगोलिक एकता को भंग करके भारत के इतिहास को दोहराना चाहते हैं, हम लोग इतिहास से सबक ले सकते हैं और हम गम्भीरता के साथ वक्त की चुनौती को मानें और आगे बढ़ें। यदि हम कल्याणकारी राज्य चाहते हैं तो हमारा यह कर्त्तव्य होगा कि हम अपनी कलम से ऐसा वातावरण पैदा करें, अपनी कविता के अन्दर ऐसी भावना पैदा करें कि भारत बहुत शीघ्र सुख-समृद्धि से भरा पूरा हो जाय।

जिस प्रकार से हमारे पत्रकारों ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय यहां की शक्तियों को प्रज्वलित किया था, उत्तेजित किया था उसी प्रकार पत्रकारों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिये नकारात्मक नहीं बल्कि एक रचनात्मक प्रवृत्ति पैदा करें। और आज जो चारों तरफ अनैतिकता, भ्रष्टाचार, सर्विसेज के अन्दर इनएफिशिएंसी पायी जाती हैं इनके लिये कोई बीच का मार्ग नहीं है। एक मार्ग तो यह है कि हम डिक्टेटरशिप को मानें। हम देखते हैं कि जेकोस्लोवेकिया के अन्दर ब्लेडीनीर क्लीमेंसी और स्लेन्स्वी एक साथ ही फांसी पर लटका दिये गये। रूस ने हथियार बनवाने में शक्ति लगाई और उनके लिये कहा गया कि उत्पादन की कमी के लिये जिम्मेदार हैं। अगर यहां भी बरसात नहीं होती है, कहीं अकाल होता है हम दूसरों को कुर्बानी का बकरा बना कर लटका दें तो अपना भार हलका कर सकते हैं और अशांति को दूर कर सकते हैं। अगर हम डिक्टेटरशिप के रास्ते पर चलें तो प्रगति तेजी से हो सकती है लेकिन यह गांधी जी के आदर्श के खिलाफ जाना होगा। महात्मा गांधी जी ने इसीलिये इस प्रकार से कल्याणकारी राज्य की स्थापना की है और अगर हम इस ढंग से प्रजातान्त्रिक ढंग से जनता के साथ चलें तो हम आगे बढ़ते चले जायंगे। मैं इस तरफ बैठने वालों और उस तरफ बैठने वालों से निवेदन करूंगा कि कि जिस प्रकार से हमने राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त की है उसी प्रकार से आर्थिक स्वतन्त्रता भी प्राप्त करें। और उस आर्थिक स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के

लिये विश्वास लेकर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें तो हमारी विजय निश्चित है। कहीं ऐसा न हो कि जिस प्रकार जब युधिष्ठिर महाभारत के बाद स्वर्ग के लिये चले तो सब भाइयों ने थक कर उनका साथ छोड़ दिया था। स्वराज्य प्राप्ति के बाद आज हमें 'राम राज्य' की मंजिल पर चलना है तो विश्वास और धैर्य्य के साथ बढ़ना होगा। यदि ऊंचाई आये तो हिम्मत से बढ़ना होगा। अपने सुन्दर भविष्य में श्रद्धा और विश्वास रख कर हम अपनी दूसरी मंजिल तै कर सकते हैं। लक्ष्य साफ है। विजय निश्चित है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)— जनाबवाला, मैं इसलिये खड़ा हुआ कि हिज़ एक्सलेंसी गवर्नर के एड्रेस पर उनका शुक्रिया अदा करूं लेकिन उससे पहले मैं जनाब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने, कुछ देर के बाद ही सही, लेकिन मुझे बोलने का मौका दिया। मैं यह कहने के लिये भी इजाजत चाहता हूं कि जहां यह तीन रेड लैम्प लगे हुये हैं वहां पर एक रेड लैम्प बीच में भी लगाया जावे जिससे हम लोगों की आंखें उस तरफ पड़ जाया करें।

हिज़ एक्सीलेंसी गवर्नर का एक खुतबा होता है जो साल या ६ महीने में या जब मौका हो तब यहां पर वह एड्रस करने के लिये आते हैं। और उसके अन्दर जो पालिसी गवर्नमेंट की होती है उसका जिकर रहता है और उसमें वह बयान करते हैं। इस मर्तबा गवर्नर साहब ने बहुत से मसलों पर रोशनी डाली है। इससे ज्यादा चीजें इस खुतबे के अन्दर नहीं समाई जा सकती थीं। सब बातों को इकट्ठा करके बयान नहीं किया जा सकता है लेकिन २, ४ पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है। इस खुतबे के अन्दर जो कुछ कहा गया है वह उतना बिल्कुल सच है या झूठ है यह देखने की और ग़ौर करने की बात है। मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि जो बातें गवर्नर साहब के खुतबे में कहीं गई हैं वह बिल्कुल सही हैं। और उसमें किसी किस्म की ग़लती नहीं है। ऐतराज उस वक्त होता जब मैं यह कहता कि जो कहा गया है वह सही नहीं है। लेकिन इस तरफ़ के और उस तरफ के बैठने वालों ने यह तसलीम किया है कि जो कहा गया है वह सही है और इसके अन्दर कुछ और चीजें भी कहना जरूरी था, यह कहा गया है। बाज़ मसले छोड़ दिये गये हैं या रह गये हैं। इससे मैं खुद इत्तफाक करता हूं कि खुतबे के अन्दर सब चीजें नहीं कही जा सकती हैं।

जहां तक इस सूबे की तालीम का ताल्लुक है, हिज़ एक्सिलेंसी ने उसके मुताल्लिक चन्द अल्फाज में उस पालिसी को या उन कामों को सराहा है कि जो अभी तक किये जा चुके हैं। यकीनन वह काम काबिले तारीफ हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारी यूनीवर्सिटी, कालेज और स्कूल्स के अन्दर खास तरीके की जो डिसिप्लिन थी वह खत्म हो चुकी है। और उनके अन्दर इन्तिहाई दरजे की इन्डिसिप्लिन समा चुकी है। मैं आपकी खास तवज्जह उस तरफ दिलाना चाहता हूं और जनाबवाला के जरिये से यह अर्ज करूंगा कि उनके अन्दर कम्युनल जज्बा भी पैदा हो रहा है। यह हमारे सूबे की तरक्क़ी के लिये इन्तहाई मुज़िर है। यह हमारी आने वाली नस्ल पर बहुत ख़राब असर डालेगा। इसके ऊपर हमको बहुत ग़ौर के साथ चाहे वह इस तरफ से के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों नज़र डालना है और ऐसा अमल करना है जिससे यह फिरकेवाराना जज्बा स्कूलों से खत्म हो जाय। और आगे चल कर वह लड़के हमारे सूबे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी सम्भाल सकें। मैं यह समझता हूं कि अगर पार्टीज इसके ऊपर ख्याल करेंगी और तवज्जह देंगी तो यह काम बहुत आसान हो जायगा।

जहां तक डिसिप्लिन का सवाल है गवर्नर साहब ने जो वाइस चान्सलर्स की कान फरेंस की थी उसके बाद हमारे तालिबइल्मों ने जो मुजाहरे किये थे वह यह

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

बतलाते थे कि हमारे यहां किस हद तक डिसिप्लिन की कमी है। जहां तक इस सूबे का ताल्लुक़ है हक़ीक़त में हमारा सारा मुल्क खेती बाँरी से पनप रहा है। ज़ाहिर है कि इस सूबे के अन्दर भी जो हिन्दुस्तान का सब से बड़ा सूबा है जहां तक खेती बारी के मामले का ताल्लुक़ है, काश्तकारों का ताल्लुक़ है, काश्तकारों की तरक्की का ताल्लुक है निहायत अच्छे क़दम उठाये। अभी अभी हाल में जो ज़मींदारी का ख़ात्मा हुआ है वह भी तरक्क़ी की तरफ एक क़दम समझ कर उठाया गया है और यह समझा गया है कि अगरचे इससे कुछ थोड़े से लोगों को तकलीफ़ होगी लेकिन एक बहुत बड़ी आम पब्लिक को ज्यादा आज़ादी के साथ अपने कारोबार को चलाने का मौक़ा मिलेगा। इसके साथ-साथ मैं यहां पर यह भी अर्ज़ करूंगा कि कई-कई बातों की तरफ हमको एक वक्त तवज्जह करना चाहिये। जब कि हम काश्तकारों के फायदे के लिये एक चीज़ कर रहे हैं तो हमको इसको भी भूल न जाना चाहिये कि जब कि हमने मुआविजा नहीं दिया है तो छोटेछोटे ज़मींदार जिनका भरोसा उस थोड़ी सी ज़मीन पर ही था वह आज मोहताज हो रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट का फर्ज़ है कि जिस क़दर जल्दी हो सके उनको मुआविज़ा भी दे और दूसरी आसानियां भी पहुंचावे। मैं इसको आपकी इजाज़त से अपनी गवर्नमेंट की ख़िदमत में मोअद्दिबाना अर्ज़ करूंगा।

एक चीज़ हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीक़े से अन्जाम दी है और वह है उन गरीबों और मुसीबतज़दा लोगों का फिर से बसाना जो पाकिस्तान में तबाह हो गये और घर से बेघर हो कर हमारे मुल्क में आये और जो हिस्सा हमारे सूबे के अन्दर आया उसके बसाने के लिये मैं समझता हूं कि नाशुक्रगुज़ारी होगी अगर हम यह कहें कि हमारी गवर्नमेंट ने कोई तवज्जह नहीं की। वसायल और ज़राय की कमी यह दूसरी चीज़ है, कुदरती चीज़ है। देहरादून के अन्दर और सूबे की मुख़्तलिफ जगहों के अन्दर उनके लिये ख़ास तवज्जह गवर्नमेंट ने दी। इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज़ करूंगा कि आपको दोनों तरफ़ तवज्जह देना है। वे जो बाहर से बेघर होकर आये और यहां आकर आबाद हुये, हमने कुछ उनको आबाद किया अभी बहुत बड़ा काम करना है और यह हमारा मज़हबी, सियासी और इक्तसादी, हर तरह का फर्ज़ होगा कि हम और ज्यादा तवज्जह दें। साथ ही साथ हमें उनको भी बसाना है कि जो फसाद की वजह से अपने सूबे या मुल्क में रहते हुये भी रेफ्यूजी हो गये हैं। उनकी एक बड़ी तादाद है देहरादून के अन्दर और उसके कुर्बो जवार में। हमको उनकी तरफ भी तवज्जह करना है। इस मौक़े पर मैं एक आध ही मिसाल आपके सामने पेश करूंगा। अभी मौज़ा सतकलां, तहसील नवाबगंज, ज़िला बरेली में हाल में जो फ़साद हुआ था तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गये थे। हालांकि वे लोग जिन्होंने यह तय कर लिया था कि हम अपने मौज़े को न छोड़ेंगे वे फ़साद के ख़ौफ से जैसा कि हुक्काम को मालूम है, जब कि उनके जानो माल महफ़ूज़ न रह सके तो क़रीब के दूसरे मौज़ों में अपने अज़ीज़ों के यहां जाकर रह रहे हैं। बावजूद इसके कि हुक्काम को यह बात मालूम है उन्होंने उनकी तरफ कोई तवज्जह नहीं की बल्कि गलत सलत रिपोर्ट पर उनको कस्टोडियन की नज़र हो जाना पड़ा और आज तक न उनको घर दिया गया न उनकी जायदाद वापस की गयी हालांकि कांग्रेस का काम करने वालों ने और दूसरी पार्टीज़ के लोगों ने इस तरफ उनकी तवज्जह दिलाई लेकिन इस सिलसिले में अभी तक कोई क़दम नहीं उठाया गया।

अभी अभी जनवरी की २६ तारीख़ गुज़री है जो हमारे मुल्क का आज़ादी का दिन है। आज इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि हमने उस दिन जो काम किया वह हमारी अमली कुव्वत को बताता है और मेरे ख़याल से जिस बड़े पैमाने पर अब तक यह काम किया गया है अगर हमेशा के लिये इस काम को हम जारी रखें तो दूसरों का कोआपरेशन हमको हासिल होगा और हम बड़े से बड़े मामले में कामयाब होंगे। हम ऐसे वक्त में आज यहां बैठे हैं जब कि सारी दुनिया के अन्दर मुख़्तलिफ

किस्म की तहरीकें चल रही हैं। अभी मेरे भाई ने इस सूबे के अन्दर जो असरात पढ़े हैं उन तहरीकों के जो काश्मीर के मुताल्लिक चल रही हैं उनका जिक्र किया। मैं उससे मुत्तफ़िक हूं कि ठीक है। हमारे सूबे और हमारे मुल्क के अन्दर इस नाजुक वक्त में जब कि काश्मीर का मसला दूसरों के हाथ में खिलौना बना हुआ है तो उस वक्त इस किस्म की तहरीकात का चलाना महज़ पावर को हासिल करने के लिये यह मुल्क के साथ एक किस्म की गद्दारी है, और गलत किस्म का इकदाम है। लेकिन हमको इसी के साथ साथ यह भी देखना है कि इस सूबे के अन्दर नये किस्म की फिरकेवारियत पैदा हो गयी है। इसको रोकने में पुलिस बाज बाज मुकामात पर बिल्कुल नाकामयाब रही है। जहां तक गोंडे का ताल्लुक है और उतरौला जहां से मैं मुंतखिब होकर आया हूं, अभी तीन चार रोज हुए मैं वहां से आया हूं---वह छोटे छोटे वाजयात होते जाते हैं जिनका बारबार जिक्र करना अपने अन्दर भी मसलहत के खिलाफ है। लेकिन डर यह है कि उसी के करीब बलरामपुर है जहां पर पिछली होली के मौके पर काफी फिसादात हुए। बलरामपुर वह मुकद्दस जगह है जहां पर आज तक कभी भी फिरकावाराना फिसाद नहीं हुआ था। लेकिन कोशिश करके करा दिया गया। आज हमारी गवर्नमेंट को काफी तवज्जह करनी है होली फिर करीब आ गयी है। वहां फिर इस किस्म की कोई गड़बड़ियां न होने पायें। उतरौला के जो मौजूदा सबइन्सपेक्टर हैं वह इतने आजाद हैं कि वह एक मामले की तहकीकात करने गये। एक दूकानदार पर शक हुआ कि घी आया है। उसने कहा कि मेरे यहां नहीं है। जब वह कसम खा रहा है दूकान छोड़ कर बाहर आ गया और कहा कि आप जाइये घर की तलाशी ले लीजिये। जब उन्होंने सख्त कलामी की तो उसने उज्र किया। उस वक्त सड़क पर हिन्दू मुसलमान सभी मौजूद थे। उनके सामने उसको थप्पड़ों और लातों से पीटा। यह अब बरदाश्त नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष----जो अफसर यहां मौजूद नहीं हैं और जवाब नहीं दे सकते उनका नाम लेकर यह कहना उचित नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---तो जहां तक इस किस्म के वाकयात का ताल्लुक है उनको बहरहाल रोकना है। जहां तक मारपीट का सवाल है, यह अब न होनी चाहिये।

एक दूसरा सवाल है गल्ले का। यकीनन गल्ले की सप्लाई के सिलसिले में जो वक्त गुजरा है उसमें बड़ी मुश्किल का सामाना करना पड़ा है। लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि गवर्नमेंट ने तशफ्फी बख्श इन्तजाम किया। जितनी भी वह कोशिश कर सकती थी की। जैसा कि चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि सूबे के अन्दर लोगों को गल्ले की कमी की वजह से भूख से मरने नहीं देंगे। उसमें बहुत कुछ उन्होंने किया। मैं समझता हूं कि अगर नेकनीयती से और भी कोशिश की जायगी तो यकीनन इन चीजों में कामयाबी होगी। लेकिन जरूरत इसकी है, अगरचे सप्लाई मिनिस्टर मौजूद नहीं हैं, लेकिन पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब जिनको मौका मिला और जिन्होंने अपनी राय का इज़हार किया उनसे मैं अर्ज़ करूंगा कि ढाई सेर गेहूं के बजाय सवा दो सेर कर दिया है। अगर आप की माली हालत इजाजत दे और आप दोबारा कोशिश करके फिर ढाई सेर का कर दें तो यह बहुत बड़ी खिदमत होगी और मैं समझता हूं कि आपका ध्यान इस तरफ गया है और आप इस सिलसिले में बराबर कार्यवाही करते रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ यह भी अर्ज करूंगा कि कोई ऐस झगड़ा न पैदा हो, कोई ऐसी चीज न पैदा हो जो गल्ले की पैदावार बढ़ने में हायल हो। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है और नहरें चारों तरफ निकाली जा रही हैं। इलाहाबाद से भी एक नहर गुजर रही है। उस नहर को बनाने के लिए दोनों तरफ से मिट्टी काट काट कर जमा की गयी है ताकि बीच से पानी गुजरे। उसमें उन्होंने वहां पर ऐसे खेतों को भी काट डाला है जिनमें फसल तैयार होने में एक एक, दो-दो महीने बाकी थे। करीब सूखी ऊसर जमीन पड़ी हुई है। वहां से

[श्री मुहम्मद शाहिद फाख़री]

मिट्टी ले कर काम चला सकते थे। इस सिलसिले में मैंने आनरेबिल मिनिस्टर साहब की खिदमत में लिखकर भेज दिया है।

मेरा वक्त खतम हो रहा है। ज्यादा न अर्ज करूंगा। सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि खुतबा में जिन चीजों का जिक्र किया गया है यकीनन उनकी अपनी जगह है। लेकिन अभी हजारों चीजें इस जिन्दगी के गोशे में बाकी हैं, जो तशना हैं जो कि सैराब करनी हैं। उनकी तरफ भी हमको तवज्जह करनी चाहिये और मुझे यकीन है कि हमारी जमाअत इस तरफ खास तवज्जह करेगी।

एक बात अर्ज करके बैठ जाऊंगा। कुछ शिकायतें हरिजनों के मुताल्लिक की गयीं। हो सकता है कि उनमें और ज्यादा तरक्की का जज़बा हो और वह चाहते हों कि उनको और भी मौके दिये जायं, लेकिन जहां तक कांग्रेस की तहरीक का ताल्लुक है वह दो चीज़ पर हमेशा प्रेस करती रही है। एक जमींदारी अबालीशन और दूसरी हरिजन तहरीक। इस पर कांग्रेस को दोष नहीं दिया जा सकता है। उसने काफी हरिजन के लिये किया है लेकिन और जरूरत है उसके करने की। मेरी समझ में इसको प्रायर्टी का मसला नहीं खयाल करना चाहिये बल्कि पूरे मुल्क और कौम और सारे सूबे का मसला बना कर जो पस्त आदमी हैं, जो तालीम में पस्त हों, खेती के ऐतबार से पस्त हों, तिजारत के ऐतबार से पस्त हों उनको हम दयानतदारी के साथ ऊंचा करने में और बढ़ाने में पूरी पूरी कोशिश करें।

श्री बाबूनन्दन (ज़िला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी हमारे माननीय सदस्य ने हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में कुछ इशारा किया है और कल और माननीय सदस्यों ने भी यह भी इशारा किया था कि हमारे गवर्नर महोदय ने इन हरिजनों और पिछड़ी जातियों के विषय पर अपने सम्बोधन में कोई जिक्र नहीं किया, तो मैं आपके द्वारा सदन के समक्ष यह बता देना चाहता हूं कि आज हमारा देश इस उम्मीद पर मुनहसिर है कि हमारे देश में गरीबी, जातीयता दूर होगी। हमारे देश के लिये अत्यन्त आवश्यक है कि हम अपने देश के लिये जो काम करें वह ठोस हो। हमको बनावटी और दिखावटी काम करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं उन माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि उनको जो यह शिकायत है कि गवर्नर महोदय ने अपने सम्बोधन में हरिजनों और पिछड़ी जातियों का तजकिरा नहीं किया है, इसके मैं बहुत ही विरुद्ध हूं। तजकिरे से काम नहीं होता। काम तो करने से होता है और मैं उन माननीय सदस्यों से यह भी अर्ज करूंगा कि पहले हमको और उनको भी देखना है कि हमारा और आपका क्या कर्तव्य है। जो पिछड़ी जातियां हैं, जो ग़रीब हैं उनकी गरीबी कैसे दूर होगी, उसमें हमको सहयोग देना है और काम करना है और ठोस वर्क करना है। आज अगर हम धैर्य से सोचें और ध्यान दें तो हमारी गवर्नमेंट ने पिछड़ी जातियों के लिये अत्यन्त उपयोगी और अत्यन्त ठोस काम किया है। उन्होंने शिक्षा के लिये काफी रुपया दिया है, रहन-सहन के परिवर्तन के लिये काफी रुपया दिया है, उद्योग धंधों के लिये काफी रुपया दिया है, छुआछूत दूर करने के लिये कानून बनाया है और बसने के लिये ज़मीनें दी हैं और तरह तरह की ट्रेनिंग उनके उत्थान और सुधार के लिये जो खोली गयी हैं उसमें भी काफी रुपया दिया है। परन्तु इसमें जो कमी है वह हमारी और आपकी है। हम जानते हैं कि गवर्नमेंन्ट ने हमारे आपके लिये सब कुछ कर दिया है और देखते हैं, परन्तु जहां पर यह कानून और ये व्यवस्थाएं ठीक तरह से नहीं लागू हो रही हैं वहां पर हमारा आपका कर्तव्य है कि हम उस रास्ते को देखें कि आखिर यह तरक्की में बाधा कैसे हो रही है और यह रोड़े कौन अटका रहा है। गवर्नमेंट पर दोषारोपण करने से शिकायतें दूर नहीं होंगी, यह हमको और आपको करना है और करके दिखलाना है।

आज तरह तरह की बातें कही जाती हैं और खास कर देहातों में कहा जाता है कि उनके साथ अत्याचार और जुल्म हो रहा है। मैं मानता हूं, यह बात सही है लेकिन हमारा आपका कर्तव्य है कि उस अत्याचार और जुल्म को रोकें। हम आपकी गवर्नमेंट को रास्ता दिखलाने वाले हैं। हम तो जुल्म और अत्याचार होते देखा करते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम वहां पर जायं और जो अधिकारी बनाये गये हैं, जो कानून हमारे आपके लिये बनाया गया है उसको अमल में लावें और उस चीज को दूर करने की कोशिश करें। और यहां पर आकर के कहने से कोई काम नहीं चलता है। यह शिकायत कोई मामूली शिकायत नहीं है। यह शिकायत आज की नहीं है। यह शिकायत अंग्रेजी जमाने से चली आ रही है। अंग्रेजों के जमाने में तो और भी बुरी हालत थी। उस वक्त हरिजन तथा पिछड़ी हुई जातियों से उन्होंने बहुत बुरे बुरे काम कराये हैं, साइसी करवायी है, बेरागीरी करवायी है, खानसामा का काम करवाया है। आज तो मैं कहता हूं कि उनके जमाने से आज हरिजनों के लिये बहुत ही बेहतरीन रास्ता निकाला गया है। उनके उद्योग धंधों के लिये व्यवस्था की गई है, उनके लिए शिक्षा में काफी प्रगति की गई है और इस किस्म की कई बातें हरिजनों और पिछड़ी जातियों के लिए की गई हैं। लेकिन अगर कोई खराबी रह गई है उसको गवर्नमेंट नहीं दूर करने जायगी। इस चीज को तो हम दूर कर सकते हैं। हम उनकी शिकायतों को दूर कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट के पास उसकी तकलीफों को, उसकी शिकायतों को भेज कर उन्हें दूर करा सकते हैं। यह काम हमारा और आपका है। यह समाज की कुरीतियां जो हैं समाज की बुराइयां जो हैं इनको दूर करने का हमारा और आपका कर्तव्य है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट घर घर इन्हें दूर करने नहीं जायगी। हम और आप जनता के प्रतिनिधि चुनकर यहां आये हुये हैं, जनता की बातों को लेकर यहां आये हुये हैं, हमारा और आपका कर्तव्य है कि जनता की शिकायतों को, जनता की तकलीफों को, उनके दुःखों को सरकार के सामने रखें और जो कुछ कठिनाई इसमें आती है उसको दूर करें और सरकार से उनकी शिकायतें दूर कराने की कोशिश करें। केवल यह कह देने से कि साहब हरिजनों के लिए या पिछड़ी हुई जातियों के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, उनका कोई भला नहीं होने वाला है। यदि आप कहते हैं तो या तो इसका प्रमाण दीजिए या करके दिखलाइये। केवल कह देने से किसी की कोई भलाई नहीं होगी। हमको चाहिए कि हम जिस जिम्मेदारी को लेकर यहां आये हुये हैं उसको मिल जुल कर के पूरा करें, उस काम को करें, जहां क्रिटिसाइज करने का मौका है वहां हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट के सामने अपने सुझाव रख सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो हम गवर्नमेंट को कह सकते हैं और हम गवर्नमेंट को बुरा बना सकते हैं। लेकिन जब कि हम जानते हैं कि जैसे कि प्लानिंग विभाग में हरिजनों के लिए गवर्नमेंट ने काफी रुपया दिया है तो यह अब हमारा काम है कि हम देखें कि प्लानिंग में जो रुपया दिया गया है वह रुपया इनके ऊपर सुचारु रूप से खर्च किया जा रहा है या नहीं और अगर नहीं किया जा रहा है तो हमको क्या करना चाहिये। यह मैं अपने जौनपुर जिले के बारे में बताता हूं कि सन् १९४२ ई० से आज तक हरिजनों को मकान बनाने के लिये जो रुपया दिया गया था वह रुपया सिर्फ कागज पर टाइप करके ही दिया गया था। उसका आज तक कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था। इस साल वहां की कमेटी में जब मैंने जाकर देखा कि जो रुपया दिया गया है वह सिर्फ कागज पर ही है तो मैंने जाकर उस कमेटी में कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट कुछ कहना चाहता हूं। अध्यक्ष ने कहा कि आप दो नहीं चार मिनट का टाइम ले। तो मैंने कहा कि यह जो रुपया हरिजनों को मकान बनवाने के लिये दिया गया है क्या यह सिर्फ दिखलाने के लिए है और कागज पर ही रहने के लिए है या इससे उनके लिए मकान बनवाये जायंगे। यह तो गवर्नमेंट करने नहीं आयेगी। यह तो हमीं आपको करना है तो उन्होंने कहा कि नहीं, जरूर इस पर कार्यवाही की जायगी। मैंने जाकर उस कमेटी में रखा कि नोटिस दे दी जाय कि अगर इस समय तक खर्च नहीं होता तो जिनको दिया गया है

[श्री बाबूनन्दन]

उनसे लेकर दूसरे को दे दिया जायगा। इसी प्रकार की तरह तरह की शिकायतें होती हैं। सुरक्षित सीटों की जो सुविधायें दी गई हैं उसमें हमारा और आपका यह कर्तव्य है कि जाकर हर बस्ती में यह देखें कि गवर्नमेंट ने जो सुविधायें दी हैं उनके अनुसार कार्यवाही हो रही है या नहीं। यदि नहीं हो रही है तो उसमें क्या करना चाहिये। मैंने खुद जाकर के कलेक्टर से कहा और गवर्नमेंट को भी सूचित किया कि यहां पर जो हरिजनों को सुरक्षित सीटें दी गई हैं उसके मुताबिक काम नहीं किया गया है। उस पर मुझे आश्वासन दिया गया कि आप घबड़ाइये नहीं, आवश्यक कार्यवाही की जायगी और सब सुविधा मिलेगी। इस प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट उसको महसूस करती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि सब से बड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है चूंकि जनता ने हमें और आपको यहां चुनकर भेजा है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बाबूनन्दन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भवन के सम्मुख अछूत जाति के संबंध में कह रहा था कि हमारी गवर्नमेंट जो सुविधायें हरिजन को दे रही है फिर भी उसमें क्यों शिकायत बाकी रह जाती है। उसका मुख्य कारण यह है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट हरिजनों की शिक्षा के संबंध में बहुत काफी रुपया दे रही है लेकिन फिर भी यह शिकायत कहीं कहीं देखने में आती है कि जो सहायता उनको किताबों के लिये दी जाती है या छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें कहीं कहीं न उनको किताबें मिली हैं और न छात्रवृत्ति दी गई है। इसका कारण यह है कि जो रुपये दिये हैं उनका सदुपयोग नहीं होता। यही कारण है कि यह शिकायत का मौका लोगों को कहने के लिये मिल जाता है। इस के लिये हमारी गवर्नमेंट का कर्त्तव्य यह होना चाहिये कि वह इसके कारण की जांच करे कि क्यों नहीं जो सुविधायें इनको दी जाती हैं वे कार्यरूप में परिवर्तित हो पातीं। इसके लिये शिक्षा के उच्च पदाधिकारियों के पास कोई ऐसा आर्डर जारी करना चाहिये कि वे इन रुपयों के सदुपयोग का शीघ्र से शीघ्र इंतजाम करें।

इसी प्रकार से उनकी सुरक्षित सीटों के लिये जो गवर्नमेंट की तरफ से आदेश जारी किये गये हैं कि उनके लिये प्रत्येक विभाग में १० प्रतिशत सीटें रिजर्व की गई हैं उनके लिये देखना चाहिये कि इनमें कहां कहां पूर्ति हुई है और अगर नहीं हुई है तो क्या कारण है और इसके लिये हमारी गवर्नमेंट का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह इसकी एन्क्वायरी कराये और यह देखें कि यह बाधा क्यों आई है और इसके लिये क्या व्यवस्था करनी है और व्यवस्था करने पर भी अगर ठीक नहीं होता है तो उनके साथ जिन लोगों के कारण इस कार्य में बाधा पड़ रही है उनके खिलाफ क्या स्टेप्स लेने चाहिये। यह करने के बाद ही शिकायत का मौका नहीं रहेगा वरना यह शिकायत का मौका हमेशा बना रहेगा। इसलिये मैं अपके द्वारा सदन के सम्मुख माननीय सदस्यों से स्पष्ट कह कह देना चाहता हूं कि जो यह शिकायत आज भवन के सम्मुख आई है वह जिले से आई है, जिले से आती है कि हरिजनों के लिये यह नहीं किया जाता वह नहीं किया जाता, उनके दुखों को दूर नहीं किया जाता। इसके लिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इन सब चीजों को दूर करने के लिये जल्द से जल्द कोई व्यवस्था करनी चाहिये जिससे यह शिकायत आइन्दा न आये और उनको कहने का मौका न मिले। सचमुच सरकार हरिजनों के लिये जो कार्य कर रही है जो स्कीमें चल रही हैं वेस राहनीय है उसमें हमको कुछ नहीं कहना है लेकिन हम लोगों की जो शिकायत है वह उन कर्मचारियों के प्रति है जिनकी वजह से यह हमारी चीजें आज हम को प्राप्त नहीं हो रही हैं। इसलिये माननीय सदस्यों से तथा गवर्नमेंट से यह अपील है कि वे लोग इसकी जिम्मेदारी को महसूस करें और यहां से जाकर जिलों में उनकी व्यवस्था करें और उनकी शिकायतों को दूर करें यही मेरी आप लोगों से आखिरी प्रार्थना है।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय राज्यपाल के सम्बोधन के प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :

"किन्तु खेद है कि सम्बोधन में राज्य के निम्नकर्मचारियों जैसे मेहतरों, भिश्तियों, पटवारियों और स्कूल मास्टरों की हड़तालों को रोकने के लिये उनके असंतोष के मूल कारणों को दूर करने का कोई सुझाव नहीं रखा गया है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि माननीय राज्यपाल ने इसे वेल फेयर स्टेट कहा है। यह इस साल भी कहा गया, पिछले साल भी कहा गया था और कई साल से बराबर कहा जा रहा है कि हमारी सरकार वेल फेयर स्टेट बनाने की ओर प्रयत्नशील है। लेकिन जब हम सरकार द्वारा किये कार्यों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो यह कल्याणकारी राज्य न होकर अकल्याणकारी राज्य मालूम होता है। जब हम अपने यहां के निम्नश्रेणी के कर्मचारियों पर दृष्टिपात करते हैं तो हम उनकी हालत बराबर खराब पाते हैं। जो हालत उनकी अंग्रेजों के जमाने में थी वह अब भी जारी है। उनकी गरीबी का कारण यह है कि जो समाज में निम्नश्रेणी के कर्मचारी हैं वे अपने पेट के लिये आज जब हड़ताल करते हैं तो हमारी सरकार जिस तरह से हो सकती है उसको क्रश करती है। आज पटवारियों की हड़ताल को इसी तरह क्रश किया जा रहा है। तो इन बातों को देखकर तो मैं कहता हूं कि वाकई वेल फेयर बनाने का यह सरकार का नारा मात्र ही है। वेल फेयर स्टेट की कोई भी बात नहीं सोची जाती है। आज उन हड़तालों को क्रश किया जा रहा है यह तो उनकी बुनियादी मांग है उन मेहतरों, पटवारियों आदि के वेल फेयर के लिये नहीं सोचा जाता है। जब रोटी की मांग की जाती है तो उनको गोली दी जाती है। आज मेहतरों, भिश्तियों, पटवारियों और स्कूल मास्टरों की हड़तालों को बुरी तरह से क्रश किया जा रहा है। जब हमारी सरकार वेलफेयर स्टेट बनाने जा रही है तो फिर आज यह हड़तालें क्यों हो रही हैं? इसके लिये यह कहा जाता है कि यह तमाम हड़तालें अपोजीशन पार्टियों द्वारा कराई जा रहीं हैं तो मैं आपके द्वारा सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि यह जो मेहतरों की हड़ताल हो रही है उसको किसने आरगनाइज किया है? कांग्रेस के एम० एल० ए० ने। उसको अपोजीशन पार्टी नहीं संचालित कर रही है। वाकई मेहतरों की मांग ऐसी है जिसको चाहे अपोजीशन वाले रक्खें चाहे कांग्रेस के एम० एल० ए० रक्खें जो मांग उनकी न्यायसंगत है उसको सरकार के सामने रखना जरूरी है। आज जब कि उनको २० रु० महीना वेतन मिलता है तो इतने कम वेतन पर अपने परिवार का भरणपोषण कैसे कर सकते हैं और यदि इस मांग के लिये वे हड़ताल करते हैं तो जायज करते हैं। पटवारियों की हड़ताल के बारे में हमारे माननीय माल मंत्री ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है उसको पढ़ने से साफ जाहिर है कि एक वेलफेयर स्टेट के मंत्री का यह स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए और ऐसा मालूम होता है कि यह स्टेटमेंट मालन शाही के किसी मंत्री महोदय द्वारा दिया गया है। इसमें उन्होंने पटवारियों को धमकी दी है। ३५ रुपये माहवार वेतन मिलता है, अगर वह इस महंगाई के जमाने में अपने बच्चों के पालन पोषण के लिये तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है तो क्या गुनाह करता है? उसकी बात सुनने के बाद उसको धमकी दी जाती है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह तो वेल फयर स्टेट की तरह से मसला नहीं सुलझाया जा रहा है। अगर हम दूसरे प्रांतों के पटवारियों की स्थिति को देखें और अपने यहां के पटवारियों से उनका मिलान करें तो हम जमीन आसमान का अन्तर पाते हैं। दिल्ली में पटवारियों को वेतन ६०) रुपये माहवार मिलता है, महंगाई २५ रुपये, ४ रुपये सवारी के मिलते हैं और एक रुपया स्टेशनरी का मिलता है इस तरह से सब मिलाकर उसको ९० रुपये मिलते हैं। पंजाब में ३० रुपये वेतन, ३० रुपये महंगाई, सवारी ४, स्टेशनरी ८ रुपये और मकान किराया ६ रुपये मिलता है इस तरह से कुल मिलाकर ७८ रुपये माहवार मिलते हैं। राजस्थान में ४० रुपये वेतन और २० रुपये महंगाई मिलती है इस तरह से ६० रुपये मिलते हैं और हमारे अभागे प्रान्त में जिसको वेल फेयर स्टेट कहा जाता है उसको २५ रुपये वेतन और २२ रुपये महंगाई मिलती है। इस

[श्री गजेन्द्र सिंह]

तरह से कुल ४७ रुपये माहवार वेतन मिलता है और फिर उससे तवक्को की जाती है कि वह ईमानदारी से काम करें।

मैं कहता हूं कि पटवारी सब बेईमान हैं, हम तो यह बात बहुत दिनों से कह रहे हैं, लेकिन आज आप कहते हैं कि वह बेईमान हैं। इसकी वजह से गांवों में बड़ी स्फूर्ति है। इस चीज को हम बहुत पहले से कहते आये हैं, जब दस गुना लगान वसूल किया जा रहा था, उस समय हम कहते थे कि पटवारी बेईमानी कर रहा है लेकिन आप खामोश थे और जब गल्ला वसूल किया जा रहा था उन दिनों में वह ईमानदार क्यों,किथा वह लगान वसूल करने में गल्ला जमा कराने में आपकी मदद करता था, इसलिये उस समय वह ईमानदार था नेकनियत था, क्योंकि वह गल्ला वसूल करवाता था, लगान वसूल करवाता था। आज वह बेईमान है क्योंकि आज वह भूख की ज्वाला से पीड़ित होकर रोटी की मांग करता है, इसलिये बेईमान है। मैं कहता हूं कि ९५ प्रतिशत पटवारी बेईमान हैं लेकिन इनको बनाने वाला कौन है, वह है आज की समाज की व्यवस्था जिस पर यह इमारत खड़ी हुई है। अगर यह बात नहीं थी तो उनकी हड़ताल के साथ सहानुभूति दिखाई जाती और आज नहीं तो कल वेतन बढ़ाये जाने की बात कही जाती। लेकिन यह नहीं कहा गया और हमारे माननीय मंत्री जी ने एक तानाशाही स्टेटमेंट दे दिया। इसके साथ साथ जब पटवारी तहसील में आते हैं तो उनको कोई भी मार्ग व्यय नहीं दिया जाता है। एक तरफ तो हमारी विधान सभा के सदस्यों को तीन २ फर्स्ट क्लास के टिकट दिये जाते हैं, चाहे वह थर्ड क्लास में ट्रैविल करें चाहे इंटर क्लास में ट्रैविल करें दूसरी तरफ कर्मचारियों को कुछ भी न दिया जाय जब पटवारी तहसील में आता है तो तीन आने उसको खुराक दिये जाते हैं जब कि आजकल की महंगाई के जमाने में इन तीन आनों में चबैना भी नहीं चबाया जा सकता है। इसी के साथ साथ वह स्टेशनरी अपने पास से खर्च करता है और उसको पैमाइश का भी सामान लेना पड़ता है। यह उनकी हालत है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह पटवारियों से दस गुना तनख्वाह लेकर लखनऊ में रहें तो पता चलेगा कि वाकई पटवारी बेईमान हैं या वह बनाये जा रहे हैं।

इसके साथ साथ मैं वेल फेयर स्टेट को बनाने वाले मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि जहां तक हमारे इस प्रान्त के अध्यापकों का सवाल है उनको २० रुपये से लेकर ६० रुपये तनख्वाह मिलती है, पेप्सू में ५० रुपये से लेकर ८५ रुपये मिलती है, ईस्ट पंजाब में ४० रुपये से लेकर १२५ रुपये मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में २५ रुपये से लेकर ८० रुपये मिलते हैं, देहली में ३५ रुपये से लेकर ७० रुपये मिलते हैं, बम्बई में ३५ रुपये से लेकर ९० रुपये मिलते हैं, मध्य प्रदेश में ३५ रुपये से लेकर ८० रुपये मिलते हैं और मदरास में ३० रुपये से लेकर ९० रुपये तक मिलते हैं लेकिन हमारे अभागे उत्तर प्रदेश में जिसे वेलफेयर स्टेट कहा जाता है २० रुपये से लेकर ६० रुपये माहवार वेतन मास्टरों को मिलता है, यानी सब प्रान्तों से कम वेतन हमारे यहां दिया जा रहा है। यह हमारे प्रान्त के मास्टरों की शोचनीय दशा है, जो कि हमारे बच्चों के भाग्य को बनाने वाले हैं। जब वह अपने बाल बच्चों के पालन-पोषण के लिये तनख्वाह बढ़ाने की बात कहते हैं तो उन पर गोली चलाई जाती है।

जहां तक मेहतरों का संबंध है श्री बाबू नन्दन जी ने कहा कि हरिजनों के साथ हमारी सरकार भलाई के काम कर रही है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)------उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि गोली कहां चलाई गयी ?

श्री गजेन्द्र सिंह——हलद्वानी में गोली चलाई गयी और पिछले साल यहां चलायी गयी। अभी भी कई स्थानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। मैंने यह कहा था कि अगर रोटी की मांग की जाती है तो गोली दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि इसी तरह से भंगियों के साथ भी व्यवहार हो रहा है। उनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है और जुल्म और अत्याचार किये जा रहे हैं। आज हर तरफ मेहतरों की हड़ताल दबाने की कोशिश की जा रही है। हलद्वानी में महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और एक महिला के ऊपर पुलिस न ट्रक चला दी और वह मर गयी। अल्मोड़ा में १०० से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, छोटे छोटे बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इटावा में एक महिला के ऊभरे हुये कुचों पर लाठी चार्ज किया। छोटे छोटे बच्चों को गिरफ्तार कर के जेल में ठूंस दिया गया। आगरा में नवीं क्लास के विद्यार्थी के दांत तोड़ दिये गये। इलाहाबाद और देहरादून में लाठी चार्ज किया गया। अतः मैं आपके द्वारा माननीय सदन के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में यह जो बातें हो रही हैं वे वेलफेयर की नहीं है बल्कि नंगे तौर पर मानवता को क्रश किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। कांग्रेस मेंम्बरों की तरफ से हमारी मांगों और जायज मांगों को भुलाने के लिये दूसरे तरह तरस के नारों को लगाया जाता है। हमसे कहा जाता है कि पाकिस्तान का डर है। आज जनता की मांगों को ठुकराने और दबाने के लिये पंडित नेहरू, हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि हिन्दू महासभा और जनसंघ बढ़ता जा रहा है, इसके अतिरिक्त पाकिस्तान का डर हम लोगों को दिखाया जाता है। रामनरेश जी भी हमें पाकिस्तान का डर आज दिखाना चाहते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आज पाकिस्तान बनाने वाले आपकी गोद में अधिक बैठे हुये हैं। जो पाकिस्तान बनाने के जिम्मेदार थे उन्हीं को आपने बड़ी बड़ी पोजीशन्स पर बिठाया हुआ है, ऊंचे ऊंचे ओहदे और पोजीशन्स उनको दे रखी हैं। पाकिस्तान से तो इसलिये उन्हीं को अधिक डर होना चाहिये। यह आप सिर्फ जनता को दबाने के लिये करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जनता में सिविल सेंस पैदा न हो। आपकी यह धमकी चल नहीं सकती।

माननीय राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा है कि "मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता होती है कि अपराधों की रोकथाम में सर्वतोमुखी सुधार हुआ है लेकिन वस्तुस्थिति कुछ दूसरी ही है क्योंकि आज पहले से ज्यादा डकैतियां होती हैं, पहले से ज्यादा चोरियां होती हैं। जब गांवों के रहने वाले लोग थानों में रपट लिखाने के लिये जाते हैं तो उनकी रपट नहीं लिखी जाती। इस तरह सरकारी कागजात में चाहे उनकी कमी जरूर दिखा दी जाती हो लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि चोरी और डकैतियां पहले से ज्यादा होती हैं। अगर डकैती होती है तो चोरी की रपट लिखी जाती है और अगर चोरी होती है तो दूसरी दूसरी किस्म की रिपोर्ट लिखी जाती हैं। आज ७५ फीसदी रपट तो लिखी ही नहीं जाती। सरकार की तरफ से यह कहा गया कि वेलफेयर स्टेट की बुनियाद डाली जा रही है, लेकिन हमें तो कोई चीज ऐसी दिखाई नहीं देती।

सरकार की तरफ से कहा गया कि सिंचाई के बहुत से साधन बढ़ाये गये हैं। एटा में २० नलकूप कोआपरेटिव बेसिस पर बनाये गये लेकिन क्या सरकार को यह भी मालूम है कि वे चल रहे हैं कि नहीं? सरकार के कागज में तो यह होगा कि उनसे इतने बीघा जमीन की सिंचाई हो रही है और इतना गल्ला पैदा हो रहा है। लेकिन उसकी सिंचाई साढ़े तीन रुपया बीघा पड़ती है जिसकी वजह से लोग उस पानी को लेना चाहते हैं तो जो आप इन नलकूपों की बात करते हैं तो इन तमाम चीजों को देखना पड़ता है। सभी मानते हैं कि हमें वस्तुस्थिति की तरफ देखना चाहिये। कहा जाता है कि विरोधी पार्टी की तरफ से कोआपरेशन नहीं मिलता। जहां तक कोआपरेशन का ताल्लुक है हम लोगों ने हमेशा कोआपरेशन दिया। देश की आजादी के दिनों में कोआपरेशन दिया, देश की भुखमरी और दरिद्रता को दूर करने में भी हम लोगों ने कोआपरेशन दिया और तभी हम आपके आपोजिट में आये। अगर हम आपोजिट में नहीं आये होते तो आप सो जाते और आज हमारे विरोध के बावजूद भी

[श्री गजेन्द्रसिंह]

आप सोये हुये हैं। जो यह कहा जाता है कि हम वेलफेयर स्टेट बना रहे हैं तो वास्तव में यह वेलफेयर स्टेट नहीं है।

जहाँ गृह उद्योग धंधों की बात कहते हैं, यह कहा गया है कि गृह उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान अलीगढ़ जिले के ताला व्यवसाय की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज और कल दो दिनों से महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन पर जो भाषण हो रहे हैं उनपर दृष्टि डालने से ऐसा लगता है कि हमारे विरोधी दल की स्थिति उस रोगी की सी हो रही है जिसे पिलिया हो गया है। पिलिया हो गये रोगी की केवल दृष्टि ही नहीं बदल जाती या उसे केवल दृष्टि दोष ही नहीं होता बल्कि उसका जायका भी बदल जाता है और शहद भी उसे कड़ुवा लगता है। यही वजह है कि आज जो हमारी सरकार जन कल्याण के लिये कार्य कर रही है उन कार्यों में उसे जन कल्याण की भावना दिखलाई नहीं देती। वास्तव में मैंने जैसा कहा कि विरोधी दल एक निर्धारित दृष्टिकोण से हर चीज को देखता है, यदि वह अपनी दृष्टि से स्पष्ट और विस्तृत रूप से देखने की कोशिश करे तो हमारा ख्याल है कि वह सही नतीजे पर पहुंच सकता है। लेकिन हमको इससे घबड़ाने की कोई बात नहीं है। एक तत्वज्ञानी रोमन सम्राट मार्क्स एलेसिया ने यह कहा था कि "निन्दा का पात्र बनना और परोपकार करते रहना राज्य सत्ता चलाने वालों के लिये भाग्य की बात है।" तो ठीक उसी प्रकार निन्दा के पात्र बनकर हमारी सरकार जिस प्रकार से जन कल्याण के कार्यों को करती चली आ रही है और जिस प्रकार उसने अपने कार्यक्रम को हमारे सामने पंचवर्षीय योजना के रूप में रखा है उसे देखते हुये भले ही यह विरोधी दल इस प्रकार की बातें कहें लेकिन उसका परिणाम जनता के लिये हितकारी होने वाला है और जिससे केवल हमारे ही देश की जनता को नहीं बल्कि उसके परिणाम स्वरूप संसार को शान्ति का सन्देश देने की ताकत हमारे देश में आने वाली है, इसका हमें पूर्ण रूप से आभास मिल रहा है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय------पहले पिलिया रोग को ठीक कर लीजिए।

श्री देवदत्त मिश्र--पिलिया रोग से ग्रस्त यदि दूसरे को पिलिया रोग से ग्रस्त समझें तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। इसलिये यदि श्री मदन मोहन उपाध्याय को पिलिया रोग दिखाई देता है तो यह तो स्वाभाविक है, इसमें कोई असंगति नहीं है। खैर, मैं यह कह रहा था कि आज हमारे सामने प्रश्न है जनकल्याण की योजनाओं को कार्य में परिणत करने का। जो हमारा संविधान है उसमें हमारे सामने कुछ लक्ष्य रखा है आर्थिक और सामाजिक समानता का। और उन लक्ष्यों को सामने रख कर हमने जो कार्यक्रम बनाया है उसमें सबसे पहले प्राथमिकता किसानों को दी गयी है और दूसरा जो उसमें स्थान है वह छोटे-छोटे उद्योग धंधों के लिये है। क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि जब तक हम अपने उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण नहीं करेंगे तब तक हम छोटे छोटे घरेलू उद्योगधंधों को विस्तृत रूप नहीं देंगे। तब तक हमारे सामने जो गरीबी की समस्या है, बेकारी की समस्या है उसको हल नहीं कर सकते हैं। बड़े-बड़े कारखानों को खोलकर हम थोड़े लोगों के हाथ में आर्थिक साधन देते हैं और साथ ही साथ उसका जो उत्पादन होता है वह भी सीमित रूप से होता है। इसलिये हम सब की आवश्यकताओं को ठीक से पूरा नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि हमारे प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल ने अपने हैदराबाद के भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि हमको इस बात पर जोर देना है कि हम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करें। उद्योगों का राष्ट्रीय करण करने की दिशा में हम अपना कदम बढ़ायें और साथ ही हम छोटे उद्योग धंधों को और घरेलू उद्योगधंधों को प्रोत्साहित करें और प्रश्रय दें।

जहां भूमि के वितरण का प्रश्न है उसके विषय में हमारे मित्रों ने बतलाया है कि इससे समस्या हल नहीं हो सकती है। समस्या का हल तो तभी हो सकता है जब उस भूमि पर उत्पादन

बढ़ाया जाय। उत्पादन बढ़ाने के बाद हमारे सामने वितरण का प्रश्न आयेगा। हम इस बात को जोर देकर कहते हैं कि हमारा वितरण इस तरह का होना चाहिए कि जिससे जनसाधारण का स्तर समुन्नत हो। उसका रहनसहन ऊंचे ऊठे। लेकिन जैसा भाई रतनलाल जी ने कहा और दूसरे भाइयों ने कहा कि भूमि के वितरण से समस्या हल नहीं हो सकती है जो कि हमारे सामने मौजूद है। इसलिये पंचवर्षीय योजना की मखौल उड़ाई जाती है। जब जनतंत्र प्रणाली की दुहाई दी जाती है तो हंसी आती है। हमारा ऐसा ख्याल है कि जनतंत्र की दुहाई देने वाले जनतंत्र की ए० बी० सी० डी० को भी नहीं जानते हैं। अभी उनको और पढ़ना चाहिये तब वह इस तरह से बहस कर सकते हैं। आज कोई भी जो जनतांत्रिक भावना रखते हैं उनका यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि जब तक सरकार किसी बात को सोचती है और सोचने के बाद कोई निर्णय करती है तो उस निर्णय को जनतांत्रिक भावना को मानने वाले व्यक्तियों का यह कर्त्तव्य है कि वह उस फैसले को पार्टी का फैसला न मानकर काम करें बल्कि स्टेट गवर्नमेंट का फैसला मानकर काम करें और उसी के अनुसार कार्य करने के लिये उद्यत होना चाहिये। उस योजना को सफल बनाने के लिये उनको प्रयत्नशील होना चाहिये। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो जनतांत्रिक प्रणाली पर कुठाराघात करते हैं और वह जनहित के ऊपर चोट पहुंचाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि न उनके सामने जनहित का प्रश्न है और न उनके सामने जनतंत्र का सवाल है। हम जिस जगह पर नहीं है उस जगह कैसे पहुंचा जाय, अपने को उस जगह पर पहुंचाने के लिये वह बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ऊंचे स्लोगन्स लगाते हैं। लेकिन आज हमारी जनता इतनी बुद्धू नहीं है कि जो स्लोगन के बहकाये में आजाय।

आज हमारे मित्र ने हरिजनों की समस्या पर बोलते हुये कहा कि हरिजन सरकारी नौकरियों में और समाज में नीचे के स्तर पर है और वह दूसरी तरफ कहते हैं कि हरिजनों की स्थिति इस तरह की है कि वह रास्ते में खड़े हुये खोंचे खाने वालों के पत्तों की तरफ देखा करते हैं। यदि इस प्रकार की उनकी स्थिति है तो फिर यह शिकायत क्यों? अगर हरिजनों की स्थिति उस प्रकार की है तो जहां तक नौकरियों का प्रश्न है और और दूसरे समाज के उच्च स्तर पर उनको लाने का प्रश्न है वह उठता ही नहीं जब तक उनकी वैसी स्थिति न हो। बात ऐसी नहीं है। खोमचों की पत्तलों की तरफ नजर डालने की जो बात है वह तोहमारे देश की साधारण आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, उसमें हरिजन भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं। लेकिन जहां तक हरिजनों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का संबंध है वह तो जो हमारे भाई कमला सिंह जी ने कहा वह शायद ५० साल पहले की बात कहते हैं। आज की बात अगर वह कहते तो हरिजनों के अन्दर इतने योग्य व्यक्ति हो चुके हैं कि उनको इस बात की शिकायत होती है कि उनको उन जगहों पर पहुंचाया नहीं जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि हरिजनोंका स्टेस, उनका सामाजिक स्तर सुधर रहा है, उनके अन्दर शिक्षा का समावेश हुआ है।

एक सदस्य—यह आपने किया है।

श्री देवदत्त मिश्र—बेशक, यह हमने किया है। हम गर्व के साथ यह कह सकते हैं कि सब से पहले कांग्रेस ने हरिजनों के उत्थान के लिये अपना कदम आगे बढ़ाया। यह बात सही है कि ऐसा करके दूसरे वर्ग के व्यक्तियों के साथ हो सकता है कहीं कहीं अन्याय भी होता हो, जैसे पी० सी० एस० के एग्जामिनेशन में १८ नम्बर पर आने वाला व्यक्ति यदि वह हरिजन है तो उसको ले लिया जाता है जबकि कुल ६ या७ आदमी लिये जाने वाले होते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि दूसरे उससे ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनके साथ अन्याय होता है। लेकिन चूंकि एक जाति के साथ सदियों से अन्याय होता चला आया है, इसलिये यदि एक क्षणिक अन्याय दूसरे वर्ग के लोगों के साथ होता है तो उसके लिये हमें कोई शिकवा नहीं है। लेकिन हमारी यह नीति है और हम यह चाहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य में किसी तरीके का सामाजिक या सांस्कृतिक भेद न रह जाय। और आर्थिक स्थिति के संबंध में तो मैंने जैसा कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी तरफ के बैठे हुये भाई स्लोगन्स लगाना छोड़ कर के और इस प्रकार की बातें छोड़ कर के जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, पंचवर्षीय योजना जो हमारे सामने है,

[श्री देवदत्त मिश्र]

जिससे देश का उत्थान होगा और उसके साथ साथ व्यक्ति का उत्थान होगा, उसमें लग जायं और अच्छी तरह से जनता को इस बात के लिये तैयार करें कि इसी में हमारा हित है, देश का हित है, तो हमारा ऐसा ख्याल है कि हो सकता है कि उनके इस प्रकार के प्रयास से जनता उनकी तरफ आकृष्ट हो और वह यह समझें कि ये जनहित का कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। कुछ दिन पहले अभी डाक्तर लोहिया ने उन्नाव में एक भाषण देते हुये कहा था कि सरकार हमारी योजनाओं को जिस वक्त हम उठाते हैं उस वक्त उन पर गौर नहीं करती लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी रीढ़ मरोड़ मरोड़ कर उन्हें कार्य में परिणत करती है और यह जो श्रम दान सप्ताह हुआ यह उन्हीं की योजना की रीढ़ मरोड़ कर के अपने कार्यक्रम में सम्मिलित किया। हो सकता है उसके लिये उस वक्त उपयुक्त अवसर न हो। फिर भी आपको इसके लिये कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है "Better late than neuer" देर से ही सही। अगर उस काम को जिसे आप अच्छा समझते हैं कांग्रेस ने उठाया तो फिर शिकायत किस बात की है? उचित तो यह है कि आप उसमें सहयोग दें। आपकी जितनी शक्ति है उसको उसमें लगायें तब हम देश का हित कर सकते हैं। इन बातों के साथ मैं महामान्य राज्यपाल के संबोधन के संबंध में जो बधाई का प्रस्ताव माननीय दुब्लिश जी ने रखा है उसका हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया। मैं महामान्य राज्यपाल जी के संबोधन के समर्थन के पक्ष में ही यहां पर बोलने खड़ा हूं।

महोदय, मैंने देखा कि राज्यपाल जी के संबोधन में कोई ऐसा विषय नहीं जो समाज के हर अंग को न छूता हो। लेकिन फिर भी उसमें कुछ लोगों को शिकायत है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार की शिकायतें तो आदि काल से होती चली आयी हैं जब कि देव और दानवों में भी इस प्रकार के लोग होते आते थे। कहने का मतलब यह है कि जो दानवीय लोग होते थे वह कुछ न कुछ द्रोह किया ही करते थे। आज सरकार ने राज्य को जो नया जीवन दिया है और पंचवर्षीय योजना चालू करके मुल्क में जो नया जीवन और नया उत्साह भरा है उसके लिये सारा देश सरकार का आभारी है।

अंत में विशेष न कहकर इतना ही कहूंगा कि अगर पंचवर्षीय योजना हिन्दुस्तान में सफल हो जाती है तो उसमें हमारी सुनिश्चित विजय है और सरकार की उसमें ही वास्तविक विजय है।

इतना कह कर अपने कथन को मैं समाप्त करता हूं।

श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सत्र का उद्घाटन करते हुये महामान्य राज्यपाल जी ने जो संबोधन किया है उसके संबंध में उपस्थित धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मुझे यह कहना है कि राज्यपाल जी ने अपने संबोधन में हम सदस्यों को एक इशारा दिया है कि हम अपने कर्त्तव्यों को पूरे तरीके से पालन करें। और प्लानिंग कमीशन के आधार पर इस प्रदेश में बनी हुई पंचवर्षीय योजना के लिये अपना पूरा समय इस तरीके से दें कि सारा काम ठीक तरीके से सम्पादित हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम इन कर्त्तव्यों की ओर ध्यान देते हैं तो कुछ न कुछ कठिनाइयां हमारे अपने सर्किल में पड़ती हैं। उदाहरण के लिये हम देखते हैं कि जमींदारी विनाश हुआ और उसके सिलसिले में छोटे जमींदार जो बिलकुल ही दरिद्र से हो गये हैं उनको इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि उनको मुआविजा मिलेगा या नहीं। इसी प्रकार से शिक्षा के संबंध में जो अध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा दे रहे हैं और जिनकी मांग कई वर्ष से चल रही है वह समय समय पर हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अनशन करते हैं उनका भी सवाल हमारे सामने आता है।

इसी प्रकार से अक्सर जगहों में जहां पर कि मिल मालिक और मजदूरों के बीच में बात पड़ती है वहां पर भी उसका सामना करना पड़ता है । इसी प्रकार से और भी कई बातें हैं जिनको बीजांकुर रूप से महामान्य राज्यपाल ने अपने संबोधन में दिया है मुझे आशा है कि सरकार इनकी ओर ध्यान देगी । जो कार्य सरकार ने किया है वह बहुत ही अच्छा है । लेकिन यदि यह काम जिनकी वजह से हमें और हमारे साथी सदस्यों को और सरकार को भी ऊंची नीची बातें सुननी पड़ती है उनकी तरफ यदि सरकार ध्यान दे तो मैं समझूंगा कि सोने में सुगंध का काम किया गया है । अभी हाल ही में जहां तक मुझे ख्याल है और मैं निश्चित समझता हूं कि अध्यापकों ने नोटिस दिया है कि वह हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और अनशन करेंगे । उन्होंने कहा कि पिछली बार आश्वासन दिया गया था लेकिन कोई मांग पूरी नहीं की गयी । यदि इस किस्म से अविश्वास हुआ तो इसमें संदेह नहीं कि हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ जाता है । मुझे तो कभी कभी यह एक बड़ा ही असमंजस सा होता है कि जिस जमाअत ने, जिस जनता ने अंग्रेजों को निकाल करके भारत में भारत राज्य कायम किया, जिस कांग्रेस ने यह पद पाया है, उस कांग्रेस के खिलाफ कोई बोलता क्यों है । लेकिन बोलने का कारण कुछ तो अवश्य ही है और वह कारण इसलिये है कि बड़ी बड़ी योजनायें सामने हैं । बड़े बड़े महापुरुष उन कामों को करते हैं । इसमें कोई संदेह नहीं, वह महान कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर अपने पड़ोस में ही, अपने पैर के पास ही छोटी छोटी बातें थोड़ी थोड़ी इस किस्म से रह जाती हैं जिनकी तरफ पूरा ध्यान नहीं जाता और उनके कारण जनता में रोष, कुछ अनेक प्रकार की कठिनाई पैदा होती है जिसके कारण हम को कुछ विवश हो कर के उनकी ऊंची से ऊंची बातें सुननी पड़ती हैं । मैं आपके द्वारा सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार निश्चित तरीके से अपना वह कदम उठाये जिससे कि यह जो वातावरण फैल रहा है जिसके कि कारण हमारे विरोधी दल के भाई भी उपयुक्त समय समझ करके अपने हाथ में शासन की बागडोर आने की प्रतीक्षा में ऐसे काम करते हैं, भड़काते हैं कि जनता कांग्रेस के विरुद्ध होकर के किसी दूसरी विरोधी पार्टी की तरफ बढ़े । मैं समझता हूं उनका यह काम बहुत निन्दनीय है और अवश्य-मेव निन्दनीय है । क्योंकि जो काम सरकार ने किये हैं उनको तो कोई भूल सकता ही नहीं है, लेकिन जो काम करने बाकी हैं यदि उनमें वे पूरा सहयोग नहीं दे सकते किन्तु मौजूदा सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं तो यह तो निन्दनीय कहा ही जा सकता है ।

एक सदस्य——आप ही के साथी करते हैं ।

श्री गंगाधर शर्मा——मैं समझता हूं, कहां तक आप सही कहते हैं ।

इसलिये आप से अधिक न कहकर के आपके द्वारा सरकार से यही कहना उचित समझता हूं कि जहां पर महामान्य राज्यपाल के संबोधन पर हम लोग बधाई देते हैं वहां पर थोड़े से काम और हम करेंगे जिससे हमारे इस बढ़े हुये काम में पूर्णता आ जाय और वर्त्तमान सरकार सब प्रकार से फलित-फूलित कही जा सके । ओ३म शम् !

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने दो दिन से श्री राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के ऊपर वाद विवाद हो रहा है । उसके सिल-सिले में माननीय राज्यपाल महोदय जी ने जो सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात हमारे सामने रखी है वह पंचवर्षीय योजना के विषय में है । अभी देवदत्त मिश्र जी ने इसके विषय में बोलते हुए विरोधी पक्ष के लोगों को इस बात का संकेत किया है कि हम सब मिल कर इस फाइव ईयर प्लान को पूरा करें तो देश काफी आगे बढ़ जायगा । पंचवर्षीय योजना के विषय में मुझे दो बातें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन के सामने पेश करनी हैं । जब से सन् १९२४ के बाद सोवियत यूनियन में कई पांच साला योजनायें कायम हुईं तब से उसकी देखा देखी पूंजीवादी देशों में भी कई साल की योजनायें, कहीं-कहीं ३ साल की, कहीं ५ साल की, कहीं-कहीं ७ साल की बननी शुरू हो गयीं । उन्हीं के अनुकरण में हमारे देश में भी इस साल फाइव ईयर प्लान लागू किया गया है । लेकिन इसके विषय में मैं एक बात बुनियादी सदन के सामने साफ कर देना चाहता हूं कि पूंजीवादी व्यवस्था के रहते हुये या पूंजीवादी सामंत शाही के रहते हुए, या किसी प्रकार की शोषण व्यवस्था के रहते हुये जो प्लानिंग किया

[श्री झारखंडे राय]

जाता है तो केवल मैक्सिमम प्राफिट, अत्यधिक मुनाफे के दृष्टिकोण से होता है। पूंजीवादी समाज में या किसी भी शोषणमय समाज में, जो लूट होती है, जो जनता का शोषण या दोहन होता है वह एक अव्यवस्था पैदा करता है, अराजकतामय होता है अर्थात एनार्किक एवं क्योटिक होता है। उसको प्लांड बनाने के लिये उसको सुयोजनापूर्ण बनाने के लिये प्लानिंग पूंजीवादी समाज में की जाती है। हमारे देश में जो फाइव ईयर प्लान बनाया गया है वह तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक जैसा कि बनारसी दास जी ने अभी कहा है कि कोई भी योजना किसी भी देश में तब तक न लागू हो सकती है और न सफल हो सकती है जब तक कि जनता में उसको पूरा करने के लिये उत्साह न हो जब तक जनता में मनोवैज्ञानिक झुकाव पैदा न किया जाय कि लोग जुटकर के काम को करें। लेकिन इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक जनता इस बात के लिये विश्वास न हो कि उस काम का पूरा फल उसको मिलेगा जब तक जनता में को वह विश्वास पैदा हो नहीं सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि फाइव ईयर प्लान में वह चीज नहीं हो सकती। फाइव ईयर प्लान में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है। हिन्दुस्तान में आज विदेशियों को चाहे वह अंग्रेज जिनकी पूंजी लगी है, वह हों, चाहे अन्य पूंजीपति पूंजीपतियों का जो दुनिया में सरदार बना हुआ है अमेरिका उसकी डालरशाही पूंजी हो, या दूसरे विदेशी पूंजीपतियों की पूंजी लगी हो, इन विदेशी पूंजीपतियों को जनता को लूटने की छूट दी गई है और उनकी सहायता के लिये हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों को छोड़ दिया गया है। उनकी लूट से जनता की रिहाई का कोई इशारा इस प्लान में नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में नहीं समझता कि जनता को उत्साह कैसे होगा कि वह फाइव ईयर प्लान में जुटकर के काम करें। इस फाइव ईयर प्लान में आने वाले पांच वर्षों में हमारे देश में उद्योग धंधे नहीं बढ़ेंगे। अधिक से अधिक अगर यह प्लान पांच वर्ष तक ठीक से चलता ही रहेगा तो हमारा देश कच्चे माल पैदा करने का एक बहुत बड़ा जखीरा ही होगा। हमारे देश के ऊपर इसका नतीजा यह होगा कि विदेशी पूंजीपतियों का शिकंजा और तेज बैठ जायगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९५१–५२ में हमारे देश में १५ करोड़ ८ लाख विदेशी पूंजी लगी है। जब कि कांग्रेस शासन के शुरू से लेकर, सन् ४७ के सत्ता हस्तांतरण के बाद से सन् ५० के आखीरी समय तक केवल ७ करोड़ विदेशी पूंजी लगी थी। केवल १ साल के भीतर दुगुनी विदेशी पूंजी हो गई। १९५१–५२ के वित्तीय वर्ष में जो २१ नये कारखाने हमारे देश में खोले गये उनमें १८ वे कारखाने हैं जिनकी पूंजी में बहुत बड़ा हिस्सा और गहरा हिस्सा विदेशी पूंजीपतियों का है। उसके विषय में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उन कारखानों में २ अमरीकी कारखाने हैं, ७ ब्रिटिश हैं, १ जापानी है और एक जर्मनी का तथा एक में ब्रिटिश और जर्मनी की मिली जुली पूंजी है। इस तरह से जब हिन्दुस्तान के अर्थ तंत्र के ऊपर यहां की इकानामी के ऊपर विदेशी पूंजीपतियों की पकड़ को छुड़ाने का उपाय नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में जनता इस प्लान पर विश्वास नहीं कर सकती कि फाइव ईयर प्लान के लागू हो जाने के बाद उसके जीवन का स्तर ऊंचा हो जायगा। उसकी जो दैनिक आवश्यकतायें है उसकी पूर्ति हो जायगी। साथ ही साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे देश में विदेशी पूंजी पिछले चार वर्षों में लगी है वह इर्विन, वेलिंगटन, और लिनलिथगो जैसे वाइसरायों के समय में भी जो पूंजी लगी थी उससे भी अधिक लगी है। सन् २५-२७ में २८४ लाख रु० विदेशी पूंजी हमारे देश में लगी, सन् ३२–३४ में ५६७ लाख रु० की विदेशों की पूंजी आयी, ३४.३६ में १३६ लाँख रु० पूंजी लगी और सन् ४७ के बाद ७ करोड़ तो ५० तक और उसके बाद एक ही साल में १५ करोड़ ८ लाख रु० विदेशी पूंजी हो गई। इसके अलावा जो उद्योग धंधे हमारी केन्द्रीय सरकार शुरू कर रही है उनमें भी बहुत कुछ विदेशी पूंजीपतियों का ही हिस्सा है। जब हमारे देश के किसानों की गाढी कमाई का करोड़ों रुपया विदेशियों को पेंशन के रूप में दिया जाता है, जब जमींदारी अबालीशन के बाद भी हजारों एकड़ जमीन बड़े बड़े भूस्वामियों को रखने का, दूसरी शक्लों में, मौका दिया जाता है, जब परती और बंजर जमीन को भी खेत किसानों के करीब मजदूरों में नहीं बांटा जाता है, जबकि

छोटी तनख्वाहवालों की कोई बात सुनने के लिये सरकार तैयार नहीं है, जबकि जो पददलित लोग जो अंग्रेजों के जमाने में दुखित थे और जो आज भी यदि ज्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं, दुखी हैं, तो ऐसी अवस्था में मैं साफ कहना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना केवल लागू हो जाने से देश में कोई तरक्की नहीं हो सकती और न वह उत्साह पैदा हो सकता है जिसकी चर्चा माननीय दुब्लिश जी ने कल की थी कि जो दृश्य हमारे देश के लोगों ने चीन में देखा वह उनके जिले मेरठ में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वह दृश्य मुझे कहीं पूर्वी यू० पी० में नहीं दिखाई पड़ा और न वहां के उधर के लोगों को ही दिखाई पड़ा है।

श्रमदान कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन यदि यह पशुबल के ऊपर आधारित करके लोगों से लिया जाय तो जैसे फौज, पुलिस, जेल और कचेहरी ये चारों उसमें राजनैतिक विज्ञान में माने गये गये हैं, तो यह ठीक नहीं है, पशुबल के ऊपर आधारित जब कोई शक्ति श्रमदान का संघटन करती है तो मैं कहता हूं कि यह नये प्रकार की बेगार है जिसके बारे में १ करोड़ रुपये की बचत और २० लाख आदमियों को काम पर लगाने की बात कहकर श्री फूलसिंह जी ने आत्माभिमान दिखाया है। १६ तारीख के "आज" में जो माननीय फूलसिंह जी के वक्तव्य की रिपोर्ट छपी है उसमें लिखा है उसके छठवें पेज पर कि जनसंघ वालों ने तथा खासतौर पर कम्युनिस्टों ने इस श्रमदान में सक्रिय हिस्सा लिया। मैं जानता हूं कि गाजीपुर में किसी कम्युनिस्ट ने हिस्सा नहीं लिया और यह बिलकुल गलत रिपोर्ट है और अगर ऐसी ही रिपोर्टों पर सरकार और माननीय फूलसिंह जी निर्भर रहेंगे तो वह भी अन्धकार में रहेंगे और हमारे प्रदेश की करोड़ों जनता भी अन्धकार में रहेगी।

जब विरोधी पक्ष की ओर से भूमिवितरण की बात कही जाती है तो उसका जवाब यही हमशा दिया जाता है कि बार बार यही कहा जाता है और मानो यह एक तोते की रट हो गई है। इसके विषय में मैं सन्त विनोबा भावे के उद्धरण को रखना चाहता हूं जो उन्होंने बनारस में १२।१३ मार्च को कहा था। उन्होंने कहा था कि तेलंगाना में कम्यूनिस्टों को जो यश मिला उसके कारणों की खोज करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उसका सवाल भूमि का है। तेलंगाना में जो समस्या आज खड़ी हुई है वह कल सारे भारतवर्ष में उपस्थित हुये बिना नहीं रह सकती। उन्होंने आगे कहा कि इसीलिये इसके हल की तैयारी में वह प्रवृत्त हुये। यह समस्या ऐसी नहीं है जिसे हम मखौल की तरह खत्म करदें और इसकी परवाह ही न करें। आज जिस चकबन्दी की बात माननीय राज्यपाल जी ने कही है वह चकबन्दी भी असफल होगी यदि चकबन्दी के पहले भूमिवितरण नहीं किया गया।

मैं शिवनारायण जी की बात से सहमत हूं कि पटवारियों को सरकार ने बरखास्त नहीं किया लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि सरकार ने ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं कर दी जिससे मजबूर होकर पटवारी लोग त्यागपत्र देने के लिये तैयार हुये। मैं इस बात को साफ कह देना चाहता हूं कि चाहे कोई मजदूर हो या सरकार का कम वेतन पाने वाले कर्मचारी हों, वह हड़ताल कोई शौक से नहीं करता है। अपने भूखे बच्चों के पेट पर और ज्यादा पट्टी बांधने की नौबत आजाती है। जो आधी रोटी खाते हैं वे उससे भी महरूम होने के लिये हड़ताल नहीं करते। वह हड़ताल तब करते हैं जब मजबूर हो जाते हैं। जहां तक भड़काने की बात है जैसा कि कई भाइयों ने उस तरफ के कहा है कि हमारा बहुमत है और आपके ही शब्दों में जनता के ऊपर आपका अपार प्रभाव है तो आप ही क्यों नहीं उनको उलटा भड़का देते हैं। लेकिन आप तो यह कह कर केवल एक समस्या की ओर से आंख मूंदना चाहते हैं कि पटवारियों को भड़का दिया गया, मेहतरों को भड़का दिया गया या कल को अध्यापक या और कोई हड़ताल करने पर मजबूर हो गये तो उसके लिये भी यही उत्तर आपको होगा।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—क्या माननीय सदस्य बतलायेंगे कि कि बनारस में जो मेहतरों की हड़ताल हुई थी उसमें कम्युनिस्टों का हाथ नहीं था और वह सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई, इसलिये कि बहुत से मेहतर हड़ताल छोड़ कर भाग गये?

श्री झारखंडे राय——मुझे उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बातें कहनी थी मुख्य मंत्री जी बैठे हुये हैं। अगर माननीय सदस्य जो उस तरफ बैठे हुये हैं उनका यही ख्याल है कि सिर्फ भड़काने से ही ये बातें होती हैं, और यह असंतोष फैला हुआ है। तब ठीक है आप भी शुतुर्मुर्ग की तरह से बालू में अपना मुंह छिपा लीजिये। और एक दिन ऐसा बवंडर आयेगा जब न बालू रहेगा और न शुतुर्मुर्ग रहेगा।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी के लिये जो धन्यवाद का प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करता हूं और इसलिये करता हूं कि उन्होंने जो लेखा राज्य की सर्वांगीण उन्नति का खींचा है वह अभी तक के हमारे काम का सही लेखा है और साथ ही उन्होंने आगे के लिये भी उन योजनाओं का जिक्र किया है कि जो हमारे प्रान्त के लिये आवश्यक है। इसमें यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारा उत्तर प्रदेश विकास की योजनाओं में देश के सबसे आगे बढ़ते हुये प्रदेशों में से है। जो आलोचनायें इस भवन में हुई हैं मैं समझता हूं कि वे वास्तविकता की उपेक्षा करके ही हुई हैं। अभी अभी मेरे से पहले जो वक्ता महोदय भवन में भाषण दे रहे थे मुझे तो उसे सुनकर आनचर्य हुआ कि वे इस बात पर गर्व कर रहे थे कि गणतंत्र सप्ताह में जो काम हुये हैं उन कामों में उनकी तरफ से कोई योग नहीं किया गया। यह कहने में गर्व के बजाय लज्जा का अनुभव होना चाहिये था कि जनता के लाभ के लिये जो काम होते हैं कोई दल उनमें सक्रिय सहयोग न दे।

राज्यपाल महोदय, ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण सामूहिक कार्य का और श्रमदान का सारे प्रदेश के सामने रखा है। अभी अभी मुझे यह कहने में हर्ष और गर्व है कि मेरे जिले में जब वे गये थे तो मेरे गांव में अपने हाथों से एक स्कूल की इमारत बनाने के लिये उन्होंने श्रमदान किया। ग्रामोद्योग इंटर कालेज जो पुखरायें का है उसमें कन्नी, बसूली और ईंटा गारा लेकर उन्होंने स्वयं कार्य किया और विद्यार्थियों के लिये एक आदर्श उपस्थित किया कि वे अपने विद्यालय के लिये भवन स्वयं बना लें। तो यह सिद्ध हो गया कि पिछले गणतंत्र सप्ताह का जो लेखा हमारे सामने है उससे यह ज्ञात होता है कि जनता में अपार उत्साह है और जनबल के उपयोग द्वारा गांवों की सर्वांगीण उन्नति की सब योजनायें पूरी करने का अवसर है और ऐसी योजनायें जिनको सचमुच हम धन से पूर्ण नहीं कर सकते। अभी पूर्ववक्ता ने कहा था कि एक करोड़ रुपये और २० लाख आदमी श्रमदान दें यह सन्देह की बात है। मेरा अनुमान यह है कि अगर ये आंकड़े हैं तो न्यूनता की ओर हैं, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें जिन लोगों ने जितनी संख्या में श्रमदान दिया है वह हमारी आशा से, कल्पना से बाहर है। एक नया उत्साह लोगों में दिखाई दिया और अगर यही उत्साह पंचवर्षीय योजना में रहा कि जनता स्वयं अपने उत्साह से पंचवर्षीय योजना को पूरा करेगी तो हम सब लोगों को अपना भविष्य बहुत उज्ज्वल दिखाई दे रहा है।

मैं एक बात यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ हुआ है और आगे हमें जो कुछ करना है वहां उससे अधिक हो सकता है यह भी हम को भूल नहीं जाना चाहिये कि पिछले सप्ताह में जो काम हुये हैं उनमें जनता का तथा सरकारी अफसरों, विद्यार्थियों, किसानों, आदि सब का सहयोग रहा है। उसमें मुख्य कार्य करने वाली संस्थाएं हमारी पंचायतें रही हैं। आज हमारे प्रांत में ३५ लाख के लगभग पंचायतें हैं। यदि हम उनको सक्रिय बना सकें तो हमारे प्रदेश में ग्राम निर्माण के कार्यों में बड़ी सफलता मिल सकती है और पंचायतों से हमें बड़ी आशायें हैं। लेकिन मैं अपने भाव प्रकट किये बिना नहीं रह सकता कि पंचायतों का विकास जितना हमको करना चाहिये उतना हमने नहीं किया और जितने साधन हमें उनको देना चाहिये वह उनको नहीं दिये। टैक्स लगाने के अधिकार दे देना यह कोई उनको साधन देना नहीं है। प्रारम्भ दर्जे में यह उनके काम में रुकावट डालती है और यदि टैक्स कम से कम लगाया जाय तो काम में अच्छी प्रगति होगी। अधिकार देने वाली बात में हमारी नीति यह होनी चाहिये

कि हम उन पंचायतों, अदालती पंचायतों, ग्रामसभाओं को अधिक अधिकार दें जिनका काम सफलता से होता चला जाय। उनके अधिकार और शक्तियां उनकी सफलता के ऊपर निर्भर होनी चाहिये। जितने अधिक कार्य यह कर सकें उतनी अधिक आर्थिक सहायता राज्य सरकार की ओर से दी जाय यह हमारी नीति होनी चाहिये। इन पंचायतों द्वारा हम जितना पिछले वर्षों में काम हुआ है। उसमें १० गुना, २० गुना काम करा सकते हैं; यह बातें हमारे गणतंत्र दिवस से सिद्ध हो गई।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि राज्यपाल महोदय ने जहां तक अपनी बहुत सी योजनाओं का जिक्र किया है उसमें ग्राम उद्योग का भी जिक्र किया गया है और यह बतलाया है कि हमारे प्रदेश में इसके लिये एक बोर्ड की स्थापना कर दी गई है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम उद्योग कार्य में जितना ध्यान सरकार दे रही है उससे अधिक ध्यान देना चाहिये। सच पूछिये तो हमारा प्रदेश इस मामले में अन्य प्रदेशों से बहुत बढ़ा हुआ है। हमारे देश की बनी हुई चीजें दूसरे देशों के बाजारों में जाती हैं। लेकिन दशा यह है कि उन उद्योग धंधों का सम्पर्क अभी तक हम पूरी तरह से नहीं कर पाये हैं जो मिल की बनी हुई अथवा विदेशी चीजों से मुकाबला करती हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण यह देना चाहता हूं कि शुगर की मिलों में जो फिलटर का कागज इस्तेमाल होता है वह अधिकतर बाहर से ही मंगाया जाता है लेकिन अभी कालपी में फिलटर का कागज तैयार किया गया और आज शुगर मिलों में यह कागज इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि जहां सरकारी कामों में इसका प्रयोग होता था वहां अब भी विदेशी फिलटर का प्रयोग हो रहा है। यह बात ध्यान देने योग्य है। अगर हम ध्यान दें तो करोड़ों रुपये की चीजें ग्राम उद्योग द्वारा हमारे प्रदेश में निर्मित की जा सकती हैं। केन्द्रीय सरकार ने और हमारी प्रादेशिक सरकार ने एक निश्चय कर लिया है कि १५ प्रतिशत मूल्य में रियायत देकर ग्राम उद्योग की चीजें खरीदी जायेंगी। यानी मिल की बनी हुई माल की कीमत यदि १०० रु० हो और ग्राम उद्योग की ११५ रुपये तो भी ग्राम उद्योग की चीज को प्रोत्साहन दिया जायेगा। मैं इसके लिये जहां बधाई देता हूं तहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसकी अगर अच्छी तरह से जांच की जाय तो बड़ी तादाद में हमारे प्रदेश में ऐसी चीजें मिल जायंगी जो सरकार द्वारा खरीदी जा सकती हैं लेकिन नहीं खरीदी जा रही हैं। अगर इतना कर लिया जाय तो हमारे प्रदेश में ग्रामोद्योग को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिल जायगा।

एक बात की मुझे बहुत ज्यादा संभावना दिखाई देती है जैसे कि हमें श्रमदान और जनबल का एक मंत्र महात्मा गांधी जी ने दिया था उसका हमने जरा सा प्रयोग किया तो हमें अपार शक्ति दिखाई दी। इसी का एक प्रयोग महात्मा जी ने जेलखानों के बारे में बतलाया था और कहा था कि यह हमारे जेलखाने कारखानों के रूप में परिणत किये जा सकते हैं। हम सब लोगों को इसका पूरी तरह से अनुभव है और कितनी बड़ी जनशक्ति वहां पड़ी हुई है, कितना समय और अवकाश उनको इस्तेमाल करने का है! मैं समझता हूं कि हमने अभी तक उनका उपयोग नहीं किया है, यदि करें तो हमें वहां भी श्रमबल और जनबल का एक बड़ा अच्छा अनुभव मिल सकता है।

एक बात की ओर और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने सिंचाई के साधनों का जिक्र किया है अपने एड्रेस में। जिस प्रकार कि हजारों की संख्या में नल कूप यानी ट्यूबवैल्स और नहरों का निर्माण और बढ़ावा हमारे प्रदेश में हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे प्रदेश में एक बड़ी समस्या है बाढ़ के पानी के उपयोग करने की। कितने ही साल से ऐसा होता है कि हमारी खेती को बड़ी हानि बाढ़ से पहुंचती है और इसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। अभी पिछली बार इस भवन में जिक्र आया था और एक कमेटी इसके लिये बिठाई गई थी और लगभग ४।५ वर्ष हो गये और अभी तक उसकी योजना बनकर तैयार नहीं हुई है। मैं समझता यह हूं कि इस प्रकार की उपेक्षा या अवहेलना ऐसे आवश्यकीय

[श्री राम स्वरूप]

कामों में हमें नहीं करनी चाहिये। जब हर साल हमारे सामने यह दुर्घटना आती है और लाखों आदमियों की जान माल खतरे में होती है और ५ वर्ष से रिपोर्ट तक नहीं दी गई तब फिर इसको कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा। यह सोचकर जरा शर्म आती है।

यह जो स्वाभाविक और प्राकृतिक साधन हमारे प्रदेश में मौजूद हैं यदि हम उनका उपयोग करें तो हमारा प्रदेश धन धान्य से सम्पन्न हो सकता है। इसमें जरा भी संदेह करने की बात नहीं है। अन्न के बारे में हम लगभग स्वावलम्बी हो गये हैं। लेकिन जो कुछ बात मैंने आपके सामने कही अगर उसका उपयोग करें तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम दूसरे देशों की सहायता भी अपने प्रान्त के पैदा किये हुये अन्न से कर सकते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल के सम्बोधन का समर्थन करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं। वैसे तो मैंने बहुत ध्यान पूर्वक माननीय राज्यपाल का सम्बोधन सुना और बहुत ध्यान से पढ़ा भी। वह इतनी विद्वता और दूरदर्शिता से पूर्ण है कि मेरी टीका टिप्पणी करना फजूल सी चीज होगी लेकिन जो विचार मेरे हृदय में जागृत हुये हैं उनको प्रगट करना आवश्यक समझ कर मैं माननीय सदन के सामने अपने विचार प्रस्तुत करता हूं। मुझे हर्ष है कि इस सम्बोधन में माननीय राज्यपाल ने यह बतलाया कि आठ हजार एकड़ भूमि में वन लगाने की जरूरत सरकार को है। अभी तक सरकार विदेशी थी उसकी सर्वदा यही मंशा रही कि ज्यादा से ज्यादा पोलिटिकल एम्स को प्राप्त करने के लिये कार्य करे और देश के निर्माण पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया और जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश में बहुत ज्यादा जंगल काटे गये और ज्यादा से ज्यादा लकड़ी रेल की पटरियों और विदेश के दूसरे निर्माण कार्यों के लिये काटी गयी जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारे जंगलों की अवस्था बहुत ही ज्यादा शोचनीय हो गयी। मुझे हर्ष हुआ कि हमारी सरकार अब इस ओर कुछ ध्यान दे रही है। मेरी तो इच्छा यह है कि पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाने की व्यवस्था की जाय। और जो अधिक कटाव अंग्रेजों के जमाने में हो गया है उस कमी को हम पूर्ण रूप से पूरी कर लें। अच्छा तो यह हो यदि इन पांच सालों में जंगलों के ठेके ही न दिये जायं। लेकिन अगर यह मुनासिब न हो तो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारे देश में जंगल लगाने का काम भी हो। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि हर एक माननीय सदस्य का ध्यान ग्रो मोर फूड की ओर लगा हुआ है, मैं समझता हूं कि जंगलों का विषय भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं यह मानता हूं कि हम में से हर एक का कर्त्तव्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा अन्न अपने देश में पैदा करें लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपकी रुचि इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि आपको जंगल भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में लगाना चाहिये। जंगलों की ओर अगर आप लोग जरा भी ध्यान देंगे तो एग्रीकल्चर के मुकाबिले में कहीं ज्यादा रिटर्न आपको मिल जायगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप १० रुपया खेती पर खर्च करते हैं और उससे आपका रिटर्न ५० रुपया होता है तो जंगलों से उससे कम समय में और कहीं ज्यादा रिटर्न हो सकता है।

इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि हमारी जंगलों की जो व्यवस्था रही है वह बहुत पुराने ढंग की रही है। अगर उसको १०-वीं शताब्दी की कहूं तो भी अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि हमारे देश में जो जंगल काटे जाते हैं और उनकी जो लकड़ी काम में लाई जाती है उस लकड़ी का ८० प्रतिशत बेकार चला जाता है, और वहीं पड़ा रह जाता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि माडर्न तरीके से फारेस्ट्स का ऐक्सटैंक्शन किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। यह मामूली ऐकोनोमिस्ट भी कह सकता है कि रा मेटीरियल के बजाय अगर फिनिश प्रोडक्ट के रूप में हम जंगलों की चीजों को लें तो हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। अगर आज किसी दरख्त की कीमत ३० रुपया मिलती है तो फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में कई हजार

रुपया उससे हम कमा सकते हैं। इसलिये मैं आपसे यह आशा करता हूं कि ग्रो मोर फूड की भांति आप ग्रो मोर ट्रीज पर भी ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो एक जमाना ऐसा आने वाला है जबकि अगर इसी प्रकार जंगलों की कमी होती रही तो हमारे देश की दौलत नष्ट हो जायगी और मकान बनानें और जलाने के लिये लकड़ी का मिलना मुश्किल हो जायगा और हमारी भावी संतानें कहेंगी कि हम लोगों ने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया। इसलिये हमारी सरकार ने जो ८ हजार एकड़ भूमि पर जंगल लगाने का विचार किया है उसमें अगर देवदारू, अखरोट और कामर्शियल टिम्बर आदि के बहुमूल्य पेड़ लगाये जायं तो कहीं अच्छा होगा।

इसके अतिरिक्त पहाड़ों पर मैडीसनल हर्ब्स भी बहुत सी उगाई जा सकती हैं। जो कि बहुमूल्य बिक सकती हैं। एक अमेरिकन ऐग्रीकल्चरिस्ट ने जो काश्मीर में मुझे मिले थे बतलाया कि अमेरिका में एक ऐसी चीज पैदा हुई है जो कि पंद्रह सौ डालर प्रति पौंड बिकती है। और वह चीज यहां पर इन पहाड़ों में, हिमालयन रीजन में काफी तैयार की जा सकती है। और काश्मीर में उन्होंने उस पर बहुत कोशिश भी की है और उसमें बहुत कामयाबी भी हुई है। अगर ऐसे ही किस्म के मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स हमारे हिमालयन रीजन कुमायूं में लगाये जायं, कुमायूं में फारेस्ट लगाये जायं तो हमारे पर्वतीय देश का बहुत विकास हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार इस ओर भी जितना ध्यान दे सके, दे।

इसके अलावा मैं आप सब महानुभावों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पहाड़ी इलाकों में कई जगह ऐसी हैं जहां बहुत मिनरल वेल्थ हैं। जैसे, तांबा, लोहा, कोयला, माइका गंधक। कई चीजें ऐसी मिलती हैं जो आज भी कूड वे में कई जगह काम में लायी जाती हैं। जैसे जहां सोना बालू से निकलता है वहां मैंने खुद देखा कि बालू छान कर वह बहुत थोड़े रूप में निकाला जाता है लेकिन अगर इधर ध्यान दिया जाय तो इसका विकास हो सकता है। तांबे का नमूना तो मेरे पास मौजूद है। जो महानुभाव इसमें दिलचस्पी रखते हों वे देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे तांबा हमारे देश में निकलता है। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो बहुत कुछ विकास हो सकता है। इसके अलावा हम लोग एक और योजना सरकार के सामने रखने वाले हैं। मुझे आशा है कि सरकार उस पर ध्यान देगी और उसे कार्य रूप में परिणत करने की कोशिश करेगी। जिस तरह से आपके यहां मैदानों में नहरों की महानता है उसी तरह से वहां पहाड़ों में मोटर रोड का होना बहुत जरूरी है। जिससे आयात निर्यात सुमगता के साथ हो जाय और तभी वहां का टूरिस्ट ट्रेड भी बढ़ सकता है और सारे पहाड़ों को फल प्रोड्यूसर एरिया बना सकते हैं। पहाड़ों पर एग्रीकल्चर का विकास नहीं हो सकता है। अगर विकास हो सकता है तो सिर्फ हार्टिकल्चर का और पोटेटो प्लांटेशन का हो सकता है। यह चीज तभी विकसित हो सकती है जब कि वहां ज्यादा से ज्यादा मोटर रोड बन जायं। एक योजना जो पहाड़ों के विकास के लिये वहां के लोगों की एक कमेटी ने बनायी है वह इस सदन के सामने आयेगी। वह ऐसी योजना है कि नेपाल इलाका और चारों पहाड़ी जिलों से होते हुये एक सड़क बनेगी जो जुलाघाट से होते हुये अल्मोड़ा, नैनीताल, टेहरी गढ़वाल को आपस में मिलायेगी और इससे एक दूसरे का सम्पर्क बढ़ेगा। अगर ऐसा हो जाय तो मुझे पूर्ण आशा है कि लाखों मन आलू जो वहां पैदा होगा और पेटियों फल जो वहां पैदा होंगे वे सब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजे जा सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस योजना की ओर भी ध्यान देगी।

इसके बाद मैं आपसे यह प्रार्थना के रूप में रखना चाहता हूं कि सरकार ने इसमें जिला बोर्ड और ग्राम पंचायतों का भी जिक्र किया है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर भी ध्यान देगी। इस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की जो मौजूदा व्यवस्था है वह बिलकुल तसल्लीबख्श नहीं है। हमारे यहां के जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकारी हैं वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रुपया अपने काम में ही लगा लेते हैं जिससे सरकार बदनाम हो रही है। मैं अपने जिले का हाल बतलाऊं। वहां के अस्पतालों में दवाइयां बहुत कम हैं। हर मरीज को दो-दो पैसे की दवाई मिलती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके साथ ही मुझे भी हाड़ी अस्पतालों के मुआयना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आपने भी देखा कि एक एक

[श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट]

मरीज को दो पैसे से अधिक की दवाई नहीं मिलती है। वहां पर दो पैसे की दवाई से क्या हो सकता है। वहां बड़े बड़े सीरियस केस आते हैं और आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अस्पतालों को चलाने के लिये आप चार सौ रुपया सालाना देते हैं तो फिर इससे कैसे काम चल सकता है? जहां पर हजारों मरीज दवा के लिये आते हों वहां चार सौ रुपये से क्या होगा? डाक्टर वगैरह के लिये तो आप अधिक रुपया खर्च करते हैं लेकिन दवाई के लिये बहुत कम देते हैं।

इसके अलावा पुलों के बनाने की बात है, सड़कों के बनाने की बात है, स्कूलों के बनाने की बात है। स्कूलों को मान्यता तक नहीं मिलती है जिससे सरकार बदनाम होती जाती है। मैं तो चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को बिलकुल समाप्त कर दिया जाय। अगर इनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है तो इनसे क्या फायदा हो सकता है? यह तो अध्यापकों की तनख्वाह भी दे नहीं पाते हैं तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चलाने की कोई जरूरत नहीं है। खासतौर से जब हमारे यहां पंचायत राज कायम हो गया है, मैं समझता हूं कि पंचायत राज को अगर यह अख्तियार दे दिया जाय तो यह पंचायतें उस काम को बहुत अच्छी तरह से चला सकती हैं और जनता का सम्पर्क भी ज्यादा हो सकता है।

इसके अलावा थोड़ी सी बात मैं श्रमदान के बारे में कहना चाहता हूं कि उसके लिये पहाड़ी इलाकों में बहुत उत्साह है। गणराज्य दिवस के एक सप्ताह तक बहुत उत्साह के साथ उन लोगों ने कार्य किया है। इसमें, २, ४ बातों की कमी रह गई है तो उसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जितने आदमी काम करने के लिये आते हैं उनको टूल्स यानी औजार नहीं मिलते हैं और उनका समय व्यर्थ जाता है। वहां पर हजारों आदमी आते हैं और १५, २० औजार वहां पर रहते हैं जिससे सब आदमी काम नहीं कर पाते हैं। कई जगहों पर गरीब लोगों की जमीन कट जाती है। तो उसके लिये भी कुछ ध्यान होना चाहिये कि उनको वह जमीन किसी दूसरी जगह मिल जाय। अगर किसी ऐसे आदमी के पास जमीन नहीं है तो उसको जमीन जरूर किसी दूसरी जगह पर मिलनी चाहिये। इसके साथ ही एक बात यह है कि सड़क बनाई जाती है अगर उसमें कहीं पर पुल आजाता है तो वह पुल जरूर बनना चाहिये, क्योंकि उसके वगैर वह सारी सड़क बेकार हो जाती है और यातायात का साधन न रहने से कोई लाभ नहीं होता है। कई जगहों पर सख्त चट्टानें होती हैं जिसको ग्रामीण जनता काट नहीं सकती है तो उसके लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये और उस सड़क के लिये उन पत्थरों की कटनी की जाय।

अन्त में मैं केवल आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि तराई भाबर में जो आजकल जमीन दी जाती है उसमें उन लोगों को जो पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं सब से पहले उनको हक होना चाहिये, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन बिलकुल नहीं है, वह बहुत गरीब हैं। वहां पर भोटिया लोग रहते हैं उनका तिब्बत से व्यापार बन्द हो जाने के कारण वे बेकार हो गये हैं। तो ऐसे लोगों की तरफ सरकार का ध्यान होना चाहिये। उस जमीन पर उन लोगों का सब से पहले हक होना चाहिये जिससे वह जमीन उन लोगों को दी जा सके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह जमीन रिफ्यूजीज को मिल रही है। मैं इस बात का हृदय से समर्थन करता हूं मगर इसके साथ साथ यह भी होना चाहिये कि पहाड़ी इलाके के लोगों को उस जमीन पर सब से पहले हक होना चाहिये। उनको मिल जाने के बाद दूसरे लोगों का हक समझा जाना चाहिये क्योंकि अगर उन लोगों को यह सरकारी जमीन नहीं मिलती है तो उनके लिये यह बहुत बड़ी समस्या हो जायगी और वह अपने जीवन का किस तरह से पालन-पोषण कर सकेंगे।

शिक्षा के संबंध में जो परिवर्तन लाने की योजना है और ग्रामीण जनता के साथ सम्पर्क बढ़ाने की जो योजना है उसके बारे में सरकार ने ध्यान दिया है और मैं इसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं। यदि सरकार स्कूलों में गर्मी व जाड़ों की छुट्टियां रबी व खरीफ की फ़सल कटाई के वक्त दे तो अति उत्तम हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव रखता हूं कि इस प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं

> "किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल ने सम्बोधन के दूसरे पैरा में शब्द "कल्याणकारी" के स्थान पर शब्द "जनतांत्रिक समाजवादी" प्रयुक्त नहीं किय।"

श्रीमन्, संविधान की धारा १७६ की अनुसार सरकार की आने वाले वर्ष की वार्षिक नीति को महामहिम राज्यपाल ने एक नीरस गद्य काव्य के रूप में हम लोगों के सामने रखा है। इस सदन में कल से माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों से सरसता लाने पर भी उस नीरस गद्य काव्य में रस की पूर्ति नहीं हो सकी। जहां कहीं भी प्रजातांत्रिक परम्परायें विद्यमान हैं वहां पर इस प्रकार के संबोधन जनता को नयी प्रेरणायें देने के लिये किये जाते हैं। इंग्लैन्ड में भी इस प्रकार का वार्षिक संबोधन किया जाता है और उसे (grand inquest of the nation) माना जाता है। लेकिन श्रीमन् तमाम प्रयत्नों के बाद भी मैं अपनी असफलता मानता हूं कि मैं इस संबोधन के अन्दर एक इनफार्मेशन डिपार्टमेंट के पैमफ्लट से ज्यादा प्रेरणा नहीं पाता। इस प्रकार की सूचनायें लगातार सरकार की तरफ से रिपोर्टों में दी जाती हैं। वही पारम्परिक बातें, कोई नयी बात नहीं, जनता के लिये नयी प्रेरणायें देने के संबंध में कोई आख्यान नहीं। कल्याणकारी, यानी वेलफेयर स्टट का प्रयोग किया गया। वेलफेयर स्टेट का ट्रूमैन साहब और आइसनहोवर साहब भी दावा कर सकते हैं कि पूंजीवादी देश में वेलफयर स्टेट कार्य कर सकती है। हिटलर भी दावा करता था कि उसकी तानाशाही स्टेट भी वेलफयर स्टेट होती है। प्रश्न उठता है कि कल्याणकारी राज्य कैसे सामाजिक ढांचे में स्थापित किया जा सकता है। कैसी ही सुन्दर हमारी योजनायें क्यों न हों जब तक हम व्यवस्था की ओर अपना ध्यान नहीं देते तब तक मैं समझता हूं कि कोई भी राज्य वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य नहीं माना जा सकता है। मेरा तो विश्वास है, श्रीमन्, कि जब तक सामाजिक व्यवस्था जनतांत्रिक समाजवादी आधार पर नहीं बनती तब तक कोई भी स्टेट वेलफयर स्टेट नहीं हो सकती। पंचवर्षीय योजना, जिसके आधार पर हम वेलफयर स्टेट बनाने जा रहे हैं, वह रचनात्मक कार्यों की सुवर्ण रेखायें होते हुये भी अपने अच्छे अच्छे स्वरूप में भी केवल एक लिबरल प्लान ही कहा जा सकता है। श्रमदान का प्रश्न बकारों के लिये नहीं है। वह तो जो लोग रोजी में लगे हुये हैं उनके लिये यह प्रश्न उठता है। जो बेकार हैं उनके लिये श्रमदान का कोई महत्व नहीं है। श्रमदान उन्हें रोजी नहीं देता। प्रश्न यह उठता है कि इस पंचवर्षीय योजना से किसका कल्याण होगा। जिनके पास सत्ता है, साधन, है जिनके पास छोटी छोटी जायदादें हैं उनके लिये तो शायद कुछ कल्याण हो जाय लेकिन जो कि खेतिहर मजदूर हैं या जो देश का इतना बड़ा निम्नवर्ग है जिसके पास कोई सम्पत्ति नहीं है, कोई खेती नहीं है, उनका क्या कल्याण होने वाला है? फिर प्रश्न उठता है कि पंचवर्षीय योजना में मदद करनी चाहिए। इसी सम्बोधन में भी कहा गया है कि हमें पंचवर्षीय योजना को मानते हुये कार्यान्वित करना चाहिये। लेकिन मैं तो यह देखता हूं कि हमारे राज्य की जो पंचवर्षीय योजना है वह प्लानिंग कमीशन के भी सिद्धांत के खिलाफ है। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था:

"In determining food policy there is no room for any proposal or experiment which detracts from this responsibility or exposes the economy to risk uncertainty

सब से ज्यादा जोर दिया गया था मूल्यों के बार में कि जो मूल्य हैं वे किसी प्रकार बढ़ने नहीं चाहिये। आज, श्रीमन्, किसी दिन का अखबार उठा कर देख लें तो मालूम होगा कि उरई में गेहूं के दाम बढ़ गये, फलां जगह दाम बढ़ गये, यहां तक कि सरप्लस डिस्ट्रिक्ट में भी दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। लखनऊ के अन्दर एक सेर दस छटांक और डेढ़ सेर इस प्रकार आटे की कीमत है। सरकारी गोदामों में तो सवा दो सेर है ही और बाहर भी लगातार मूल्य बढ़

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

रहे हैं। महामान्य राज्यपाल अपने भाषण में कहते हैं। "अतएव, सरकार को विवश होकर सरकारी दुकानों में बिकने वाले गेहूं का भाव बढ़ा कर ढाई सेर से सवा दो सेर प्रति रुपया कर देना पड़ा। भविष्य के विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।" वही अनसर्टेन्टी जिसके बारे में प्लानिंग कमीशन हमसे कहता है कि अनसर्टेन्टी किसी हालत में नहीं होना चाहिये। वही अनसर्टेन्टी राज्यपाल के इस संबोधन में है, जिसमें यह कहा गया है कि हम प्लानिंग कमीशन की राय के अनुसार चल रहे हैं हमारा प्रोग्रसिव डिकंट्रोल कामयाब होगा या नहीं यह भी एक अनसरटन्टी है। कैसे हम पंचवर्षीय योजना को कामयाब कर सकेंगे अगर हमारा प्राइस स्ट्रक्चर इसी प्रकार का रहेगा। श्रीमन्, इसके साथ-साथ मैं तो यह कहता हूं कि हमारी पंचवर्षीय योजना बनाने के हेतु कृषि व खाद्य आवश्यकता के बारे में तीन प्रकार का सर्वे किया गया, एक आफिशल सर्वे, एक नेशनल सैंपिल सर्वे और एक रायबरेली सर्वे। जो फूड की प्लानिंग के बारे में की गई। तो नेशनल सैम्पुल सर्वे में बतलाया गया कि हमारे देश में ६० मिलियन टन अनाज का कंजम्पशन है। लेकिन आफिशल सर्वे कहती है कि कंजम्पशन ४८ मिलियन टन है। तो बताइये, श्रीमान् १२ मिलियन टन का फर्क है आकड़ों में। तो किस आधार पर पंचवर्षीय योजना चलेगी।

हमारे माननीय बनारसीदास जी ने कहा कि तीन लाख टन की हमारे पास कमी है। और हम बिलकुल स्वावलम्बी हो जायेंगे। लेकिन जो यह सर्वे की रिपोर्ट है उसमें तो एक अकाल्पनिक कल्पना की गयी है कि देवरिया के पूर्वी जिले में तो एक वयस्क किसान औसतन एक दिन में नौ छटांक खाता है और पश्चिमी जिलों में एक दिन में १७ छटांक। इतना बड़ा फर्क है सर्वे में। किस प्रकार पंचवर्षीय योजना कामयाब होगी? एक सर्वे कहता है ९.२ छटांक रोजाना कंजम्शन है और दूसरा कहता है कि १०·२ छटांक है। इतना बड़ा फर्क जब कि हमारे आंकड़ों में है और ऐसी ही सरवे के आधार पर योजना हो रही है तो कौन सी योजना कार्यान्वित करें, और किसका विश्वास करें, यह एक भ्रम उठ ही जाता है। श्रीमन्, इसके अलावा आगे सिंचाई की बात आती है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन का ध्यान माननीय श्री वेंकटेश नारायण तिवारी जी के उस लेख की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने बतलाया है कि सन् १९४६ में इस यू० पी० के अन्दर जो सिंचाई की नहरें थी वह २६ हजार मील थीं। लेकिन आज जो हमारी पंचवर्षीय योजना बनी है उसमें भी २६ हजार मील लम्बी नालियां १९५६ में जाकर बनेंगी। माननीय बनारसी दास जी ने बतलाया कि १३ लाख एकड़ जमीन सींची जा चुकी है। लेकिन १३ लाख का आंकड़ा न मालूम कब तक चलेगा? १३ लाख एकड़ पिछले साल भी थी, १॥ साल पहले मुख्य मंत्री जी की रिपोर्ट में भी थी, और आज एक साल बाद भी १३ लाख एकड़ ही है।

माताटीला डैम की बात कही गयी, बुंदेलखंड और झांसी की सिंचाई के लिये। लेकिन मध्यभारत सरकार कहती है कि हम से नहीं पूछा गया। हमारे खेत उजाड़ दिये गये। मंत्री जी कहते हैं कि इस साल यह डैम शुरू होने वाला है, लेकिन मध्यभारत सरकार कहती है कि हम विचार कर रहे हैं। तो यह हमारी स्टेट प्लानिंग है। इसके साथ साथ प्रश्न आता है और कहा जाता है कि हमारे निम्न कर्मचारी बड़ी मांग करते हैं। हम कहां से रुपया लायें? रुपये का प्रश्न रखा जाता है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि राशन को हटा कर और गेहूं के दाम बढ़ा कर इस राज्य सरकार ने सात करोड़ रुपये की बचत की है। अभी फाइनेंशल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हमारी सरकार को चार करोड़ की इन्कम टैक्स के बारे में आमदनी हुई है। इस तरह से ११ करोड़ रुपये की बचत या आमदनी सरकार को हुई है। क्या हमारी प्रान्तीय सरकार, गरीब पटवारियों, अध्यापकों, मेहतरों चपरासियों आदि को ढाई करोड़ रुपया इस बजट में नहीं दे सकती है जब कि ग्यारह करोड़ रुपये की बचत और आमदनी है?

बनारसी दास जी ने दावा किया कि यह सरकार गांधीवादी रास्ते पर कार्य कर रही है। पटवारियों के सिलसिले में माननीय माल मंत्री जी ने जो रवइया अख्तियार किया है उससे मालूम होता है कि हमारी सरकार उस गांधी वादी रास्ते से हटती चली जा रही है। गांधी जी समझौते का रास्ता हमेशा खुला रखते थे। जिन्ना साहब से मिलने गांधी अपने घर से बम्बई गये और २२ दिन तक जिन्ना साहब को समझाने की चेष्टा की। लेकिन हमारी सरकार गांधीवादी रास्ते को मानती है, लेकिन गरीब पटवारियों से कहती है कि हमारे कैबिनट रूम के द्वार आपके लिये बन्द हैं। क्या यही गांधीवादी तरीका है?

शराबबन्दी के सम्बन्ध में क्या गांधी जी ने कहा था। प्राहीबीशन की बात मैं क्या कहूं। कुछ सदस्यों को शिकायत होगी कि एक सम्बोधन में सब चीज कहां आ सकती है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि प्राहीबीशन तो 'डायरेक्टिव आफ स्टेट पालिसी' में आता है, जो संविधान की धारा २७ में लिखा हुआ है कि प्राहिबीशन सिर्फ दवा को छोड़ करके हर स्टेट में लागू करना पड़ेगा। उसके सम्बन्ध में एक भी शब्द सम्बोधन में नहीं है। या तो हम कांस्टीटयूशन में अमेंडमेंट करवा दें कि धारा २७ निकाल दी जाय, लेकिन वह तो डायरेक्टिव स्टेट पालिसी में है। हमारी प्लानिंग में है। तो उसके बार में चुप्पी क्यों? आज हमारे शहरों में कहीं चले जाइये, मैं अपने इलाके के बारे में बतलाता हूं कि शराब के ठेके हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं।

शिक्षा के बारे में भी हमारे राज्यपाल ने लखनऊ यूनीवर्सिटी के कनवोकेशन में कहा था कि 'एजूकेशन थ्रू कलक्टिव वर्क' लेकिन किस प्रकार प्रोफेसर कलक्टिव वर्क में सहयोग दे सकता है जब कि उनसे कहा जायेगा कि तुम्हारी 'सर्विस बुक' रहेगी 'रेकार्ड या करेक्टर बुक' रखी जायगी। अध्यापकों के लिये सिफारिश आई है कि उनके लिये भी रिकार्ड बुक रखी जायगी। विद्यार्थी जो कि भर्ती होते ही यूनीवर्सिटी यूनियन के सदस्य हो जाते थे, अब यह किया जा रहा है कि सदस्यता 'वालंटरिली' होनी चाहिये। आजादी की लड़ाई के समय हम सभी ने कांग्रेस पार्टी के आदेश से मांग की थी कि यूनियन की सदस्यता कम्पलसरी होनी चाहिये। उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झंडे यूनियन पर लगाने का प्रश्न उठा था और उस समय माननीय जवाहलाल नेहरू का आशीर्वाद भी हमें कम्पलसरी सदस्यता के लिये प्राप्त था। जब आपको कलक्टिव वर्क भी उनसे करवाना है, श्रमदान भी उनसे लेना है तो ऐसी अवस्था में भी यूनियन की सदस्यता भी कम्पलसरी ही होनी चाहिये, लेकिन आश्चर्य है कि इस प्रकार की सिफारिशें होती हैं और हमारी सरकार उनको मानने के लिये तैयार सी मालूम होती है।

फिर प्रश्न उठता है आर्डिनेंस का। जहां हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं वहां यूनिवर्सिटी आटोनामी के ऊपर चुप्पी है। जौनसार बावर ऐक्ट तक की बात तो करते हैं लेकिन आर्डिनेंस जो आगरा यूनीवर्सिटी के बारे में निकला था उसके बारे में कोई शब्द नहीं उसे भूल जाते हैं। कहा जाता है कि शिक्षा की वजह से बेकारी बढ़ रही है लेकिन उच्च शिक्षा का क्या होने वाला है? क्या वहां सरकार का नियंत्रण रख कर के ही यह प्रश्न हल किया जायगा?

पुलिस का प्रश्न उठता है। आज पुलिस भी एक अजीब रूप से काम कर रही है। हरिद्वार में नगीनी देवी को ट्रक से कुचल कर मार दिया गया, पीलीभीत में सियाराम को हवालात में जिन्दा जला दिया गया और दो महीने पहले इसी लखनऊ शहर में सआदतगंज में पुलिस के विरुद्ध गवाही देने पर यासीन नामक व्यक्ति को पिटवा कर मार डाला गया, इसी प्रकार के पुलिस के कृत्य जनता के अन्दर एक नया विक्षोभ पैदा कर रहे हैं।

मैं क्या करूं? मैं भी चाहता था कि राज्यपाल को धन्यवाद दे सकता। परम्परा तो यही थी। मैं उनके गद्य काव्य के लिये धन्यवाद भले ही दे दूं लेकिन उस

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सरकार को नहीं दे सकता जो इस वक्त हमारे सामने ऐसी उदारवादी मनोवृत्ति लिये बैठी है। यह प्रश्न नहीं है कि मैं उनके कार्यों की सराहना नहीं करता। मैं तो चाहता हूं कि वह और अत्यधिक आने वाले वर्षों में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी कर सकें और जनतांत्रिक समाजवाद की स्थापना कर सकें। लेकिन मैं तो देखता हूं कि एक प्रकार की मृग-मरीचिका में हम और हमारा राज्य और हमारा प्रदेश, और हमारी सरकार सब विलुप्त से होते चले जा रहे हैं। राज्यपाल के सम्बोधन को सुनकर जो कि उनके मुख से सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया, ऐसा मालूम होता है कि जैसे युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा के लिये कहा था, "अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा", उसी प्रकार के सत्य भाषण की उक्ति आज चरितार्थ हो रही है।

श्री मुहम्मद फारूक चिश्ती (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल ने परसों हम लोगों को एड्रस किया। उसके लिए रिजोल्यूशन उनको धन्यवाद देने का पेश किया गया है। मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। रिवाजन और मसलन नहीं बल्कि वाकई उनका एड्रस इतना जायज और इतना मुकम्मिल है कि वाकअन धन्यवाद का रिजोल्यूशन पेश करने के और कुछ नहीं किया जा सकता। राज्यपाल महोदय ने स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को हर ऐंगिल से जज करके उस पर रिव्यू किया है। लेकिन अपोजीशन के माननीय सदस्यों को उसमें बहुत कमी नजर आई है जिसे उन्होंने मुख्तलिफ अल्फाज में आपके सामने पेश किया है। उनके चन्द पैटेंट जुमले कि उन्हें एड्रेस से मायूसी हुई, एड्रेस में बहुत कमियां हैं, यह कहने के बाद हमने यह सुना कि ढूंढ़ते-ढूंढ़ते चन्द बातें उन्होंने इस किस्म की पेश कीं कि अनइम्प्लायमेंट का मसला उन्होंने नजरअन्दाज कर दिया है। मैं निहायत अदब से गुजारिश करूंगा कि इस ऐड्रेस को गौर से पढ़ने के बाद मालूम होगा कि महामान्य राज्यपाल महोदय इस फिक्र में डूबे हुए हैं और उन्हें इसकी फिक्र है कि अनइम्प्लायमेंट का मसला हल किया जाय। एजुकेशन की अहमियत को और इसको आम करने की जरूरत को जाहिर करते हुए उन्होंने इसके सिस्टम में सख्त तब्दीली पैदा करने की जरूरत की तजवीज भी पेश की है। विकास जो हमारे स्टेट का सबसे अहम काम है इसके मुताल्लिक महामान्य राज्यपाल ने खास तरह से तवज्जह फरमायी है। ऐसी सूरत में यह कहना कि महामान्य राज्यपाल महोदय ने जरूरी चीजों को अपने ऐड्रेस में नजर अन्दाज कर दिया है। हरगिज मुनासिब नहीं है। इसके बाद हमारे एक लायक दोस्त ने उसमें यह कमी दिखलाई कि पटवारियों के मसले के मुताल्लिक महामान्य राज्यपाल ने गौर नहीं किया। मुझे यह बात एक हद तक मजाक सी मालूम हुई। हमारे माननीय सदस्य ने जिन्होंने यह बात पहले पहल पेश की कुछ इस तरीके से इस 'नान वे कमिटल वे' में इसको पेश किया कि मेरी समझ में यह नहीं आया कि आया वह पटवारियों की हिमायत में हैं या उनका मंशा सिर्फ एक बात कहने का था। इसलिये मैंने तो यह समझा कि इस बात को वह अपना नहीं सकते। उस वक्त उन्होंने यह हिम्मत नहीं की कि पटवारियों की हिमायत में कुछ कह सकते। मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस ख्याल से इसे अपनाना मुनासिब नहीं समझा कि उन्होंने यह समझा कि जनता थोड़ी बहुत जो उनके साथ है वह सबकी सब उन्हें छोड़ देगी। या पब्लिक का कोई सेक्शन उनका साथ हमारे ख्याल में इस बात के लिए देने के लिए तैयार नहीं हो सकता कि वह पटवारियों की हिमायत में कुछ कहें या उनकी तरफ कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल करें। इसलिये उन्होंने बिल्कुल नान कमिटल वे में यह कहा कि पटवारियों के इस्तीफे पर कुछ नहीं कहा गया है और इससे बेकरी और भी बढ़ जायगी। मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि पटवारियों ने जो इस्तीफे पेश किये वह गवर्नमेंट को इम्बैरेस करने के लिए पेश किए। उनका

और कोई मंशा नहीं था। उनका यह मंशा नहीं था कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वह मंजूर कर लिया जाय। अगर यह मंशा होता तो उनकी तरफ से व्याख्यान क्यों होता और उनका मामला इस मौके पर क्यों पेश किया जाता ? तो जब उनका मंशा यह था कि वह गवर्नमेंट को इम्बैरेस करें और उस सूरत में भी गवर्नमेंट ने यह फैसला नहीं किया कि उनकी इस हरकत पर उन्हें बरखास्त कर दिया जाय, या उन्हें कोई सजा दी जाय या उनकी सर्विसेज टर्मिनेट की जायं, बल्कि यह फैसला किया कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाय।

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अभी इसका भी कोई एलान नहीं किया गया है कि अगर उनमें से कुछ अच्छे समझे जावेंगे तो वे किस तरह से एबजार्व किये जावेंगे तो फिर कोई इलजाम लगाना मौके के खिलाफ होगा।

फिर मेरे लायक दोस्त ने यह बड़े जोश से फरमाया कि ये जो सड़कें बतलाई जाती हैं कि इतनी बन गई और इतना रुपया सर्फ हुआ ये सब काग़ज़ी घोड़े हैं और महज अख़बारों में दे दिया जाता है वर्ना हक़ीक़त में कुछ नहीं है। इसके मुताल्लिक़ मुझे सन् १४ की लड़ाई का एक वाक़या याद आ जाता है। २, ३ साल तक लड़ाई चल चुकने के बाद दो दहकान आपस में गुफ्तगू करते हैं कि लड़ाई वड़ाई कहीं कुछ नहीं हो रही है और चन्दा लेने के लिये ही सरकार की तरफ से अख़बारों में छाप दिया जाता है। मैं कहूंगा कि यह वाक़या बिल्कुल इस बात पर लागू होता है कि सड़कें कहीं नहीं बन रही हैं और ऐसे ही गवर्नमेंट की रिपोर्टें मुरत्तब होती हैं और यह बात इस काबिल भी नहीं हैं कि उसका कंट्रडिक्शन पेश किया जाय। माननीय राज्यपाल ने कोई भी बात जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिये जरूरी है अपने एड्रेस में छोड़ी नहीं है। उन्होंने सब बातों की तरफ हम लोगों की तवज्जह दिलाई है। अगर यह कहा जाय कि उनमें कमियां हैं तो यह हम लोगों का काम है। उन्होंने तजवीजें दे दीं और हम लोगों को इशारा दे दिया है कि यह काम होना चाहिये। फाइव ईयर प्लान के मुताल्लिक उन्होंने हम लोगों से कहा है कि इसे इम्पलीमेंट करना चाहिये और कामयाब बनाना चाहिये। इससे मुल्क की तरक्की है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो कमियां बताई गईं मेरे ख्याल से उनका एड्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने तो यह बतला दिया है कि यह काम होना चाहिये और यह हम लोगों का फर्ज है कि उसे किस तरह से करावें। उन्होंने इन सो मैनी वर्ड्स यह कहना मुनासिब नहीं समझा कि हम लोगों में क्या क्या कमियां हैं। लेकिन उन कामों की तरफ इशारा किया है जो एड-मिनिस्ट्रेशन को एफीशैंट बनाने के लिये जरूरी है। ऐसी सूरत में मैं यह अर्ज करूंगा कि राज्यपाल महोदय बेशक शुक्रिया के मुस्तहक हैं कि ऐसा जामे और मुकम्मिल ऐड्रेस हम लोगों के सामने पेश किया है और वाकई उन्होंने निहायत जांफिशानी के साथ और मेहनत से सारे ऐडमिनिस्ट्रेशन का रिव्यू किया है। उस ऐड्रेस को पढ़ने के बाद यह मालूम होता है कि उनको हमारी तमाम दिक्कतों का अहसास है। मुल्क में जो तमाम दुश्वारियां इस वक्त दरपेश हैं उनका पूरा पूरा उन्हें ख्याल है और वह जो कुछ कर सकते थे कि हम लोगों की तवज्जह उस पर दिलाते वह उन्होंने कर दिया। अब यह हम लोगों का काम है कि मिल-जुल कर उन कामों को करें और इसमें किसी तरह से हमें रोड़ा अटकाने का अहसास नहीं करना चाहिये।

गृह मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव कि हमारे सामने रखा गया है उस पर कई संशोधन सदन के सामने उपस्थित किये गये हैं। उन संशोधनों को देखने से एक बात तो निश्चय ही प्रतीत होती है कि जिन मित्रों ने संशोधन उप-स्थित किये हैं उनको राज्यपाल महोदय के प्रति अटूट श्रद्धा है। वह चाहते हैं कि राज्यपाल जी के मुंह से या उनकी कलम से जो चीज निकले वह हर दृष्टि से

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

आदर्श हो। हमारे यहां प्राचीन ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि जो रेलीजस डाकूमेंट्स हों या कोई अच्छी पुस्तक, तो उसमें तीन तरह के दोष नहीं आने चाहिये। उक्ति, पुनरुक्ति और अनुक्ति। उक्ति के माने हैं कि कोई ग़लत चीज नहीं आनी चाहिये। पुनरुक्ति के माने यह है कि कोई चीज एक बार कह दी जाय तो फिर उसको दोबारा न दोहराया जाय और अनुक्ति से तात्पर्य है कि जो चीज कहना है छूटे नहीं। हमारे मित्रों ने अनुक्ति पर बहुत ही जोर दिया है और न जाने कितनी बातें कहीं गयी हैं। कि साहब फलां चीज छूट गई, फलां चीज छूट गई। हर चीज़ उन्हें कहना चाहिये था यह निश्चय ही उनकी श्रद्धा का बहुत बड़ा प्रमाण है। एक बात जो नारायण दत्त जी ने कही कि बड़ा ही नीरस गद्य काव्य है, तो जिस तरह से संशोधन उपस्थित किये गये हैं अगर वे आ जाते तो निश्चय ही उसमें सरसता आ जाती और यह सरस गद्य-काव्य हो जाता। परन्तु जिन बातों की चर्चा यहां की गयी मेरा अपना ऐसा ख्याल है कि उनमें कई ऐसी चीजें हैं जिनके अस्तित्व का भी राज्यपाल महोदय को पता नहीं होगा, उनको ही पता नहीं है हममें से बहुत से लोगों को पता नहीं है। इतना ही नहीं जब मैं "हम" शब्द का प्रयोग करता हूं तो मेरा अर्थ केवल उन्हीं लोगों से नहीं है जो इस सदन में बैठे हुये हैं बल्कि मेरा ऐसा विश्वास है कि इस सदन के बाहर भी इस प्रदेश के रहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इसका पता नहीं है। उदाहरण के लिये श्री राजनारायण जी ने जो कि इस वक्त यहां उपस्थित नहीं हैं बहरहाल वे विरोधी पक्ष के नेता हैं, और निश्चय ही वे अपने कर्तव्य को समझते होंगे, सदन के हर सदस्य का और विशेष रूप से विरोधी पक्ष के नेता का यह कर्तव्य है कि एक एक शब्द को तौल कर कहें, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने शब्दों का प्रयोग करें। वे विरोधी पक्ष के नेता हैं तो उनके मन में भी हो और शायद बाहर के लोग भी समझते होंगे कि सम्भव है एक दिन शासन सूत्र उनके हाथ में आवे तो उनको अपनी बातों को बहुत नापतोल कर कहना चाहिये। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल जी के भाषण में इस चीज की चर्चा नहीं है कि हमारे प्रदेश में भय, अभाव, शोषण और कुत्याचार में अपार वृद्धि हुई है। यदि वे इतना ही कहते कि हमारे प्रदेश में भय अछ बढ़ गया है और हमारे यहां कुछ अत्याचार है, शोषण है, यदि इतना ही कहते तो शायद बात समझ में आ सकती थी। अगर यह भी कहते कि वृद्धि हुई है तो भी शायद कुछ गुंजायश होती लेकिन "अपार वृद्धि"। भाषा आपकी बेजबान गुलाम है, उस कम्बख्त को क्या अधिकार है जो चाहे बोझ उस पर लाद दीजिए वह बरदाश्त करेगी चाहे कुछ कह न पावे और कह नहीं सकती। परन्तु एक बात होती है। एक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है। कुछ व्यंग्यार्थ होता है, कुछ अभिधार्थ होता है। कुछ ऐसे अर्थ होते हैं जो ध्वनितार्थ होते हैं। जब उस अर्थ के बाहर जिसका प्रयोग होता है उसका क्या जवाब दिया जाय। यह लिखना तो मुश्किल होता है कोई किसी का मुंह तो नहीं रोक सकता। बरसात के मौसम में जमीन पर पानी गिरता है और समुद्र पर भी पानी गिरता है, जमीन के गड्ढे पानी से भर जाते हैं यदि कोई शख्स उन गड्ढों को देख कर कहे कि यह समुद्र है और इनमें अथाह पानी भरा हुआ है तो कोई उनके मुंह को रोक नहीं सकता। सबको बोलने का अधिकार है लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि कुछ लोगों ने बतलाया कि आज जनता में भय की वृद्धि है। तो क्या आज हमारे यहां सड़कें चलना बन्द हैं, कौन सा ऐसा काम है जो बन्द है, सभी काम हो रहे हैं। हां यह जरूर है कि हमारे यहां चोरियां भी हैं डकैतियां भी होती हैं लेकिन उनकी रोकथाम का प्रबन्ध भी है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां ६ करोड़ की आबादी हो और जहां क्राइम इतने कम होते हों। दुनिया में किसी देश की मिसाल हमारे सामने दी जाये जहां इतने कम क्राइम होते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई भी मिसाल आप लोग दें। हमारा जितना विस्तार है हमारे

यहां की जितनी जन संख्या है और साथ ही इन परिस्थितियों को देखते हुये मैं कह सकता हूं कि हमारे क्राइम कम हैं। आज हमारे यहां जमींदारी अबालिशन हुआ तो लोगों का ख्याल था कि क्राइम बढ़ जायेंगे, लेकिन इन सब बातों के होते हुये भी हमारे यहां जितने कम क्राइमस हैं उतने अन्य किसी प्राविन्स में नहीं होंगे। लेकिन बावजूद इन सब बातों के मैं जानता हूं कि भय की वृद्धि नहीं हुई है यदि कहीं कहीं किसी पुलिस अफसर से ज्यादती हो गई तो वे भी मनुष्य हैं। लेकिन जहां हमको उसका पता लगता है हम उसकी रोकथाम करते हैं। एक दो वाकये हो गये उसमें यह कह देना कि जनता में भय है और पुलिस ज्यादतियां करती है कहां तक उचित है? अभी नारायण दत्त जी ने जिक्र किया कि पीलीभीत में पुलिस ने ज्यादती की। उनको कहने के लिये पूरी तौर से अधिकार है वह कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी आया उसके बदन में आग लगी थी, कैसे आग लगी यह मैं नहीं कह सकता। वह आदमी अस्पताल में गया उसकी वहाँ मृत्यु हो गयी। उसके बाद पुलिस के एक इंसपेक्टर मुअतल किये गये, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, अब वह जमानत पर छूट गया है उसको अदालत ही बता सकती है मैं तो नहीं कह सकता। नारायण दत्त जी कह सकते हैं कि उसे आग लगायी गई थी। जो मामला अदालत में है उसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। इसी तरह हरिद्वार में मेहतरों की हड़ताल के समय में एक स्त्री की मृत्यु जो हुई उसका हवाला दिया गया। उस सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि जब कुछ मेहतर गिरफ्तार होकर एक लारी में बैठाये गये तो उनको एक जेल से दूसरे जेल ले जाने की बात थी। वे लोग एक लारी में बिठाये गये। वे लोग नारे लगा रहे थे। उस लारी में पुलिस वाले भी बैठे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि औरत को लारी से धक्का लगा और वह गिर गई तो लोग उसको अस्पताल ले गये वह अस्पताल में जाकर मर गई। कुछ लोग उसका जलूस निकालना चाहते थे। अब वह कैसे मरी इसकी जांच हो रही है अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। यदि किसी इंसान से ऐसी कोई ग़लती होती है तो कोई वजह नहीं है कि उसको सजा न मिले। जब हमको किसी का कसूर मालूम होता है तो हम उसको गिरफ्तार करते हैं, जेल भेजते हैं, अदालत भेजते हैं, अदालत का क्या निर्णय होता है यह किसी को पहिले से नहीं मालूम होता। इतने बड़े प्रदेश में एक दो चीजें लेकर कह देना कि पुलिस बड़ी अत्याचार कर रही है यह ग़लत बात है। इससे ग़लत तस्वीर बनती है, किसी जिम्मेदार आदमी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये।

इसी तरीक़े पर यह भी कहा गया है कि अभाव की अपार वृद्धि हुई। अभाव के माने कमी के हैं। हां, हो सकता है कि कुछ जगहों में जिम्मेदारी के अभाव की वृद्धि हो गई हो, नासमझी की हो गई हो। हम अभाव को मानते हैं। कितनी ही चीजों की कमी थी। कितनी मुसीबत थी कपड़े के मामले में। कपड़े की त्राहि त्राहि मची हुई थी। खरीदने वाले दया के पात्र थे, खुशामद करते थे। बाजार में सौदा खरीदना क्या हुआ, बड़ी मुसीबत थी और अच्छा बुरा कपड़ा लेकर आना पड़ता था। पहले दिक्कत थी लेकिन आज कपड़े की कोई दिक्कत नहीं है। पहले शक्कर की भी दिक्कत थी लेकिन आज कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आज मिट्टी के तेल की भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि बहुत सी चीजों का अभाव गायब हो गया है। हां, अन्न की बात, जरूर तकलीफ है और कोई ऐसा जादू नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है, जिसके जरिये उसके अभाव को एक दम दूर कर सकें। लेकिन अब अन्न का अभाव बढ़ गया है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। नई नई जमीनें तोड़ी गईं और जब जमीन तोड़ी जाती हैं तो उसमें अन्न जरूर पैदा होगा। नई जमीन नहीं तोड़ी गई इसे कोई नहीं कह सकता। जमींन गंगा खादर में टूटी या नहीं, तराई में टूटी या नहीं या और जगह टूटी या नहीं लेकिन उसके टूटने से ही तो काम नहीं चलता है। उसको वर्ष दो वर्ष लगते हैं और बाद में मालूम हो सकता है कि कितने अन्न की वृद्धि हुई।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

इसके अलावा जिक्र किया गया कि पानी वक्त पर नहीं पहुंचता। हो सकता है कि कहीं कहीं पानी वक्त पर न पहुंचा हो। लेकिन इसका सवाल नहीं है। आज न जाने क्या समझ कर कहा जाता है कि अभाव की वृद्धि हो गयी। आखिर नहरें बनती हैं और जब नई-नई नहरें बन रही हैं तो उनमें पानी जमा होता होगा और वह पानी खेतों में पहुंचता ही होगा और खेतों को उससे फायदा पहुंचता ही होगा। नहरें जब बनती हैं तो उनसे पानी मिलता ही होगा। हां, यह सही है कि अभाव है, कमी है। हम भी इसको मानते हैं।

इसको हमें समझना चाहिये कि जो तस्वीर उत्तर प्रदेश की परिस्थिति की अपने सामने बनी है उसी को सामने रखना चाहिये। ग़लत तस्वीर बना कर कह देना कि अभाव की अपार वृद्धि हो गई, यह उचित नहीं है। यह सही है कि कहीं कहीं भाव बढ़ गये हैं और फसल के वक्त ऐसा होता भी है कि जब तक फसल नहीं आती है भाव बढ़ जाते हैं।

श्री नारायण दत्त जी माननीय राज्यपाल जी के भाषण में से एक शब्द पकड़ लिया और उसके आगे पढ़ने की कोशिश नहीं की जिसके बारे में उन्होंने लिखा है कि फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसको पकड़ लिया। इसको समझा नहीं कि माननीय राज्यपाल के वाक्य एक दूसरे से सम्बद्ध होते हैं। ऐसे नहीं ऐसे जैसे कि सामने की स्पीचेज में होता है। इसमें कहा यह गया कि हमारे यहां इस वक्त भविष्य की बाबत कुछ नहीं कहा जा सकता है लेकिन यह आशा अवश्य होती है कि अगली रबी की फसल अच्छी होगी और यदि यह आशा पूरी हुई तो हमारे यहां की फूड सिचुएशन इम्प्रूव होगी इसको उन्होंने नहीं पढ़ा "Nothing can be said about future" प्लानिंग कमीशन ने यह कहा है कि किसी चीज की सरटेंटी होनी चाहिये। यह नहीं कहा कि राज्यपाल ज्योतिष की भी बात कहें। प्लानिंग कमीशन भी कोई जादूगर नहीं है कि जो यह कहे कि अब इतना पानी बरसेगा...

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी पूरा उद्धरण पढ़ने की कृपा करेंगे जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने पढ़ दिया है। आप अंग्रेजी मुझसे कम थोड़े ही जानते हैं। अगली रबी की फसल अच्छी होगी और अगर ऐसा हुआ तो हमारे यहां की फूड सिचुएशन आसानी में हो जायगी। हर आदमी यह अच्छी तरह से समझता है कि रबी की फसल के सामने कई विपत्तियां होती हैं जब कि खरीफ की फ़सल के लिये एक ही विपत्ति होती है। खरीफ के फसल के लिये केवल एक पानी की विपत्ति होती है। लेकिन रबी की फसल के लिये जो वर्षा होनी थी हो ली, जो पत्थर पड़ने थे पड़ लिये, लेकिन इस रबी में कभी कभी ऐसा होता है, फसल तैयार होती है और पानी आ जाता है। फसल कट कर खलिहान में आ जाती है पानी आ जाता है। जिससे अंकुर जम जाता है। इसलिये रबी की फ़सल के अभी भी कई दुश्मन मौजूद हैं, क्योंकि अभी वह घर में नहीं आयी हैं। इसलिये आगे के लिये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कहा यह गया कि खेती की जो इस समय हालत है उसको देख कर यह कहा जा सकता है कि फसल अच्छी होगी और उसकी वजह से फूड सिचुऐशन अच्छी हो जायगी।

इसके बाद उन्होंने न जाने कैसे कह दिया कि शोषण में अपार वृद्धि हुई है। क्योंकि जब शोषण होता है तो एक ओर शोषक होता है और दूसरी ओर शोषित होता है। यदि शोषण बढ़ा है तो शोषकों में भी वृद्धि होनी चाहिये। शोषण के दो ही जिम्मेदार होते हैं एक तो जमींदार और दूसरे पूंजीपति। जहां तक जमींदारों की बात है, चाहे अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वह तो चले गये। १,२ या ४ लाख का जो वर्ग था वह अपने आप ही खत्म हो गया उनका वह अधिकार ही चला गया।

उनको कितना ही गुस्सा क्यों न हो, लेकिन वे अत्याचार करने में समर्थ नहीं हैं। अब रहा मिल मालिकों का वर्ग। अगर यहां ऐसा हुआ होता कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ गयी होती तो यह कहा जा सकता था कि बहुत से नये शोषक बढ़ गये हैं। हजार, दो हजार नयी मिलें खुली नहीं हैं इसलिये अगर पुराने सब मिल मालिक रह ही गये हों तो शोषक उतने ही हैं जितने कि पहले थे। तो 'अपार वृद्धि' तो क्या थोड़ी भी वृद्धि उनमें नहीं हुई है। जैसा कि बहुगुना जी ने कहा, जो कि मजदूरों में काम करते हैं, और राजनारायण जी तो मजदूरों में काम करते नहीं हैं, उन्होंने ठीक ही कहा कि उत्तर प्रदेश में मिल मालिकों के परकैंच कर होते जा रहे हैं, उनके अधिकारों में बहुत ज्यादा कमी हो गयी है। और मिल मालिकों की शिकायत किसी हद्द तक ठीक ही हो सकती है। किसी को अपने काम में अभिमान तो नहीं होना चाहिये लेकिन इसमें कोई संदेह भी नहीं है और उत्तर प्रदेश की सरकार यह कह सकती है कि मजदूरों के मामलों में वह देश की किसी गवर्नमेंट से क्या, दुनिया की किसी गवर्नमेंट से वह पीछे नहीं है। जब इस सदन में राजा-राम जी शास्त्री से जो कि मजदूरों के बीच में बरसों से काम करते चले आते हैं, उन्होंने कह था कि मुझको तो ऐसा मालूम होता है कि चीन के लेबर लाज को यू० पी० के लेबर लाज देखा कर बनाया गया है। अतः हम इस बात का गौरव कर सकते हैं। हां यह ठीक है कि मजदूरों के मामले में जितनी भी बातें होनी चाहिये, वे सब अभी तक नहीं हो पायी हैं और न मैं इस बात का दावा ही कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों को कोई तक़लीफ़ ही नहीं है। इन बातों को सामने रख कर यह कहना भी ठीक न होगा कि शोषण में वृद्धि हुई है बल्कि यह कहना कि अपार वृद्धि हुई है, बिलकुल अतिशयोक्ति है।

उन्होंने ने यह भी कहा कि अत्याचार में वृद्धि हुई है। किस तरह से हुई यह नहीं बताया गया। बहुत ज्यादा अत्याचार पुलिस के कारण कहे जा सकते हैं और भी बहुत से अत्याचारी हो सकते हैं लेकिन एक बात को सुनकर सदन को खुशी होगी कि हमेशा इस सदन में कहा गया कि पटवारियों के द्वारा बहुत ज्यादा अत्याचार होते हैं। एक बात मैं जरूर समझता हूं कि उन्होंने इस संबंध में धोखा खाया कि पटवारियों के मामले में खामख्वाह हाथ लगाया। पटवारियों का आन्दोलन एक ऐसा आन्दोलन है जिसके साथ पब्लिक की कोई सहानुभूति प्राप्त होने वाली नहीं है। बहरहाल, जहां तक पटवारियों के अलाहदा करने की बात है वह एक ऐसी बात है कि हमने अत्याचारियों के एक बड़े वर्ग को खत्म करने का बीड़ा उठाया है तो उस पर अत्या-चार की कोई बात नहीं कही जा सकती है। एक भाई एक किस्सा कह रहे थे कि एक मर्तबा कोई साधु महात्मा थे जो स्वर्ग चले गये। वहां उन्होंने बहुत से लोगों को देखा तो वहां उन्हें एक भेड़िया भी दिखाई दिया। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि यहां भेड़िया कैसे आगया। उन्होंने पूछा कि कहिये आप कैसे आ गये? इस पर उस भेड़िया ने कहा कि क्या बतलाऊं, एक बार मैंने एक पटवारी को खा लिया था और उसी के पुण्य प्रताप से मैं यहां पहुंच गया हूं। तो आप समझें कि जहां एक पटवारी के खाने से भेड़िया स्वर्ग पहुंच गया तो यहां तो २८ हजार पटवारियों को खत्म कर के सरकार अक्षय पुण्य ले रही है। तो ऐसी हालत में यह कहना कि अत्याचार की वृद्धि किस प्रकार से हुई है यह खामख्वाह ग़लत है।

एक बात और हुई है कि हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने नेशनलाइजेशन का जिक्र किया। यहां पर मुझे एक फ़ारसी का शेर याद आता है:

"आंकस कि न दानद व बे दानद कि दानद।
दर जहले मुरक्कब ऊ दर दहर मानद॥"

जो आदमी किसी विषय को नहीं जानता वह उसके बारे में घोर अन्धकार में डूबा रहता है। किसी विषय का ज्ञान हो या न हो उस पर बोलने के लिये खड़े हो गये और हमारे विरोधी दल के नेता श्री राजनारायण जी ने रेशनलाइजेशन की बात कही और उसका उन्होंने अपना अलग ही अर्थ किया। हर शख्स को इस बात का अधिकार है कि वह उसका मनमाना अर्थ लगाये लेकिन इनसाइक्लोपीडिया हो या कोई भी ऐसी पुस्तक हो, जहां तक मुझे मालूम है रेशनलाइ-जेशन का एक ही अर्थ दिया हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर महात्मा जी के जीवन काल में

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

श्री नारायण जी का सजेश्चन महात्मा जी को प्राप्त होता तो वे शायद राम राज्य की जगह पर जो कि एक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है 'रेशनलाइजेशन' शब्द का ही प्रयोग करते। मैं नहीं समझता हूं कि जो अर्थ उन्होंने किया वह किस आधार पर किया। कैसे उन्होंने समझा कि इससे अनइम्पलायमेंट होगा। न तो यह श्री राज्यपाल के भाषण में है, न माननीय मुख्य मंत्री जी ने कभी कहा, न लेबर मिनिस्टर ने कभी कहा, न लेबर सेक्रेटरी ने कभी कहा और न लेबर कमिश्नर ने ही कहा। फिर कैसे उन्होंने अपने विकृत दिमाग़ से खामख्वाह के लिये ऐसा अर्थ निकाला? इस बात का सब को अधिकार है कि जिस शब्द का जैसा अर्थ निकालना चाहे निकाले लेकिन यू० पी० गवर्नमेंट के लिये यह कहना कि वह यह करना चाहती है कि अनइम्पलायमेंट हो बिलकुल ग़लत है। रेशनलाइजेशन का मतलब यह है कि तमाम लेबर का यूटिलाइजेशन हो। यह हो सकता है कि जहां ५ मजदूर काम करते हैं वहां पर १० मजदूर लगाये जा सकें और उन पर वर्क लोड ज्यादा हो और दूसरी जगह जहां १० मजदूर काम करते हैं वहां ५ मजदूरों के लिये ही काम करने की गुंजायश हो। इसका मतलब यह है कि मजदूरों में प्रापर डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिये। जहां तक हो सके मजदूरों की मजदूरी बढ़े लेकिन अनइम्पलायमेंट नहीं बढ़ना चाहिये। मैंने स्पष्ट शब्दों में यहां पर भी और बाहर कान्फ्रेंसेस में बराबर कहा है कि रेशनलाइजेशन का अर्थ यही है कि अनइम्पलायमेंट न बढ़े, मजदूरों की आमदनी बढ़े। यह कहना तो ठीक है कि जहां तक हो सके मजदूरों की आमदनी बढ़ानी चाहिये लेकिन बिना मतलब जाने, बिना समझे ग़लत बयान करना और ग़लत चीज के आधार पर गवर्नमेंट पर कटाक्ष करना यह किसी तरह से न उचित है और न क्षम्य हो सकता है।

और कई बातों का भी जिक्र किया गया है। डिस्ट्रिब्यूशन आफ लैंड की भी चर्चा की गयी, लेकिन यह चर्चा की बात नहीं है। आखिर डिस्ट्रिब्यूशन आफ लैंड का क्या माने होता है? इसमें बहुत सी दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को दूर करना आवश्यक है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन यह जो कहा गया कि श्री राज्यपाल के संबोधन में उसका जिक्र नहीं है तो ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिनका इस सम्बोधन में जिक्र नहीं है लेकिन इसी बिना पर वे लोग इससे हमेशा के लिये कैसे त्याज्य समझते हैं कि ऐसी बात है जैसा कि कल हमारे एक मित्र ने कहा कि डिस्ट्रिब्यूशन आफ लैंड का विषय हम अपने सामने रखें। डिस्ट्रिब्यूशन हम भी समझते हैं कि किस अवस्था में शुरू हो सकता है। जब उसकी जरूरत होगी तो वह चीज की जायगी। इस बात को आप सही जानें कि जब से जमींदारी अबालिशन का कानून बनाया गया है तब से यह बात बराबर सामने है कि किसको जमीन दी जाय और किसको न दी जाय। लैंडलैस लेबरर्स का प्राविजन भी उसके अन्दर किया गया है और इस तरह से डिस्ट्रिब्यूशन आफ लैंड का प्रबंध उसके अन्दर है। लेकिन एक बात जरूर समझना चाहिये कि डिस्ट्रिब्यूशन आफ लैंड एक ऐसा साधन है जिसको हमेशा के वास्ते चलना कठिन मालूम होता है। किसी भी जमीन के बांटने का सवाल उस समय उठता है जब कि जमीन ज्यादा हो। जमीन के बोने वाले जिस वक्त ज्यादा होते हैं उस वक्त यह सवाल नहीं उठता है। यह सवाल उस समय पैदा नहीं हुआ करता है जब कि जमीन कम हो और जमीन के ऊपर प्रैशर बढ़ गया हो। कोई भी तरीका चाहे वह साइन्टिफिक हो या दूसरा हो, उससे आप जमीन का बटवारा कर लें लेकिन इस बात की क्या गारन्टी है कि २०, २५ साल के बाद यह सवाल फिर पैदा नहीं होगा? किस तरह से यह सवाल पैदा नहीं होगा? पापुलेशन की वृद्धि फिर भी होगी तो फिर कैसे काम चलेगा? आज आप ५ एकड़ या ४ एकड़ जो भी समझें बांट लें लेकिन आगे चल कर जब पापुलेशन बढ़ेगी तो फिर किस तरह से आप इसको नीचे लायेंगे? यह एक साधन हो सकता है लेकिन इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। हमारे देश में यह होना चाहिये कि हरएक के पास थोड़ा सा या ज्यादा कोई साधन ऐसा होना चाहिये जिससे उसका काम किसी प्रकार चलता रहे। इसमें अगर इस बात का जिकर नहीं किया गया है तो कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग का जिकर किया गया है। इसके बारे में पहले भी जिकर आ चुका है। अगर मैं भूलता नहीं हूं तो राज्यपाल महोदय का जो पहला भाषण हुआ था उसमें इसका जिकर आ चुका है। इसलिये अब उसको फिर से

दोहराने की जरूरत नहीं है। आगे भी अगर आवश्यकता होगी तो कोआपरेटिव फार्मस से काम लिया जायगा। किसी मौके पर अगर आवश्यकता होगी तो डिस्ट्रिब्यूशन आफ लैंड से भी काम लिया जायगा।

एक तीसरा तरीका है उसका चर्चा करना भी आवश्यक था। उसका चर्चा भी किया गया है वह है कोआपरेटिव तरीके पर कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स। इससे लोगों को बहुत लाभ होगा और पैदावार भी बढ़ेगी। यह भी एक साधन होगा, साध्य नहीं हो सकता है। अवसर को देखकर काम लेना चाहिये। इस वास्ते इस बात पर जोर देना कि फलां चीज का इसमें जिकर नहीं आया और वह चीज इसमें क्यों नहीं आयी यह ग़लत बात है। हमको अपने सामने सभी तरीकों को रखना चाहिये और यही बुद्धिमानी की बात है कि जिस मौके पर जिस चीज की जरूरत हो उसको उसी जगह पर उसी तरीके से काम में लाया जाय।

नारायण दत्त जी ने कहा कि इसमें "जनतान्त्रिक समाजवाद" का जिकर नहीं है। जहां तक इस बात का संबंध है इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सी चीजों की कमी है। मैं खुद इस राय का हूं और कई बार अपनी राय इस सदन में जाहिर कर चुका हूं कि हमारे संविधान में कई बातों की कमी है। मगर इन सब बातों का उसमें जिकर न होने से हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर मौके पर इसके भीतर रहता हुआ अपनी राय जाहिर करता रहता हूं और करता रहूंगा। मैंने कई बार कहा है कि इसमें 'वेल फेयर स्टेट, का शब्द इसके अन्दर नहीं आया है। मगर इसके साथ ही एक बात समझने की है और हर चीज जो समझी जाय वह हर मौके पर नहीं कही जा सकती है। हर वक्त उसी बात को नहीं कहा जाता है। हर समय 'राम राम' भी कहना उचित नहीं मालूम होता है। समझदार आदमी उसका समय और अवसर देख कर प्रयोग करते हैं। हमारी स्टेट का क्या रूप होना चाहिये, वैल फेयर स्टेट का रूप होना चाहिये, या कम्युनिस्ट स्टेट का रूप होना चाहिये या सोशलिस्ट स्टेट का रूप होना चाहिये, जो कुछ भी रूप हो उसके लिये इस इंडियन यूनियन के भीतर किसी स्टेट के गवर्नर को यह अधिकार नहीं है कि वह इस क़िस्म की बात कहे। अगर इस बात के कहने का मौक़ा हो सकता है तो वह दिल्ली में ही हो सकता है। यहां पर इस बात का जिकर करना बिलकुल ग़लत बात है। चाहे यहां की गवर्नमेंट या गवर्नर नारायण दत्त की बात से सोलह आना मुत्तफिक हो, लेकिन यहाँ पर उसके कहने का अवसर नहीं है कि हमारी स्टेट का यह रूप होना चाहिये। उसके लिये तो कहने का अवसर दिल्ली में ही हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि अगर शब्दों की ही बात हो तो सही है कि "वेलफ़ेयर स्टेट" एक गोल चीज हो सकती है लेकिन "जनतांत्रिक समाजवाद" भी एक गोल चीज है क्योंकि उसमें न तो उसके कार्यक्रम और न उद्देश्यों की व्याख्या होती है। तो शब्दों के फेर में बहुत नहीं पड़ना चाहिये। 'सोशलिज्म' बड़ा सुन्दर शब्द है लेकिन इतना तो सब लोग जानते हैं कि जब स्टैलिन साहब सोशलिज्म की बात करते हैं तो उसका कुछ और अर्थ होता है और जब आचार्य नरेन्द्र-देव जी सोशलिज्म की बात करते हैं तो उसका अर्थ दूसरा होता है। तो केवल शब्द के प्रयोग कर देने से काम नहीं चलता। 'नेशनल' बड़ा सुन्दर शब्द है लेकिन 'नेशनल सोशलिज्म' का जब हिटलर साहब प्रयोग किया करते थे तो उनका जनतांत्रिक समाजवाद बिल्कुल भिन्न हुआ करता था। तो शब्दों के चक्कर में पड़ने से कोई खास फ़ायदा नहीं होता, काम देखना चाहिये।

पंचवर्षीय योजना में बहुत सी कमियां हैं लेकिन उनको दूर करने का तरीक़ा यह तो नहीं है कि उससे दूर भागें। यह तो दुर्भाग्य की बात है और उनको भी अफ़सोस होगा कि हमारे मदन-मोहन जी किसी कारणवश अल्मोड़े में जो काम हुआ उसमें शरीक न हो सके, न हरगोविन्द जी शरीक हो सके और न दूसरे साहब शरीक हो सके। लेकिन इन सब बातों के होते हुये भी काम हो रहा है।

श्री विष्णु शरण दुब्लिश (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, माननीय संपूर्णानन्द जी के भाषण के बाद और दूसरे माननीय सज्जनों के भाषण के बाद मुझको ज्यादा कुछ नहीं कहना है और बहुत थोड़े से समय में कुछ बातों का जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष—मैं यह पूछ सकता हूं कि राधामोहन सिंह जी का जो संशोधन है उसे आप स्वीकार करते हैं या नहीं ?

श्री विष्णु शरण दुब्लिश—जी हां, उसको मैं स्वीकार करता हूं। दो क़िस्म के अमेंडमेंट्स इस प्रस्ताव के ऊपर आये। एक तो स्पेक्टेकुलर तरह का जैसा माननीय नेता विरोधी दल का प्रस्ताव है और कुछ सैद्धान्तिक संशोधन हैं। मैं उन सभी संशोधनों का उत्तर देना तो इस वक्त आवश्यक समझता नहीं, दो तीन संशोधनों को मैं लेना चाहता हूं। उनके ऊपर भी काफ़ी कह दिया गया है। मसलन् श्री गेंदा सिंह जी का जो संशोधन है रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ़ लैंड के बारे में तो इससे तो मैं सहमत हूं और कांग्रेस में बहुत से लोग सहमत हैं और मैं समझता हूं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और प्लानिंग कमीशन भी इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं कि मैकसिमम होल्डिंग की कोई तादाद मुक़र्रर कर दी जाय। यहां तक तो मैं उनसे सहमत हूं लेकिन रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब शायद उनका इससे नहीं है। उनकी पार्टी की तरफ से तो जब कभी कोई ऐसा संशोधन रखा गया तो ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आफ़ लैंड के लिये रखा गया अगर ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आफ़ लैंड से उनका अभिप्राय है तो मैं समझता हूं कि इतनी छोटी छोटी होल्डिंग्ज़ में ज़मीन बंटेगी, अगर सिर्फ़ उन्हीं काश्तकारों में बांटी जाय जो अपने हाथ से हल चलाते हैं और उसमें लैंडलेस लेबरर्स भी ले लिये जायं क्योंकि विनोबा जी के सिद्धांत का भी वह समर्थन करते हैं और वह ज्यादातर भूमिहीन मजदूरों को ज़मीन देने की बात करते हैं, तो सारी होल्डिंग्ज़ अनएकोनामिक होल्डिंग्ज़ हो जायंगी और देश रसातल में चला जायगा और अगर वह यह समझते हैं कि ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, तो अगर मैकसिमम होल्डिंग निर्धारित हो जाय तो उसके बाद अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आफ़ लैंड तो फिर भी रहेगा। कोई ज्यादा फायदा दुबारा बटवारे से नहीं होगा। यह एक स्लोगन मात्र है। उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस न कभी उन्होंने सोचे और न उनकी पार्टी ने ही सोचे। और मैंने देखा है जनरल इलेक्शंस के पहले जब कभी उनकी पार्टी के लोग गांवों में तक़रीर करने जाते थे तो इस स्लोगन का गांव वालों के सामने ज़िक्र नहीं करते थे। जयप्रकाश जी के सभापतित्व में मेरठ ज़िले में एक कानफ्रेंस हुई। उनका बड़ा नाम था। आठ हज़ार आदमी आये। लेकिन जब उन्होंने लैंड डिस्ट्रिब्यूशन का मसला उठाया तो अंत में केवल २७ आदमी रह गये। इसलिये यह एक प्रकार का स्लोगन हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल स्लोगन नहीं है। कभी यह नहीं हो सकता।

दूसरी चीज़ यह है कि अभी राज नारायण जी ने यह संशोधन रखा कि बड़ा भय है, बड़ा शोषण है, बड़ा अभाव है और बड़ा अत्याचार है। राजनारायण जी यहां हैं नहीं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे मित्र झारखंडे राय जी को साथ में लेकर दुनिया के जो दो सब से बड़े वेलफेयर स्टेट्स कहलाते हैं उनमें वह जरा जांय और एक प्रेस कानफ्रेंस वहां बुलायें या पब्लिक मीटिंग करें और अपने विचारों को वहां पर रखें वहां की जनता के सामने। उसके बाद वहां से अगर वापस आयें यदि उन्हें आने दिया गया, तो यहां देखें कि कितना भय है और कितना दुनिया की उन दो वेलफेयर स्टेट्स में है। जहां तक आर्थिक शोषण की बात है हम एक के बाद दूसरे शोषक वर्ग को ख़त्म कर रहे हैं, जैसे हमने ज़मींदारी हटायी। लेकिन एक प्रकार का शोषण बढ़ता जा रहा है। वह है राजनैतिक शोषण। बेचारे मिल के मजदूरों को, लैंड-लेस लेबरर्स को, पटवारियों को या चपरासियों को या मेहतरों को जो भी हाथ लग जाय उनको पालिटिकल पर्पजेज़ के लिये एक्सप्लायट करें। उनको परेशानी में डालकर उनके बच्चों को कष्ट में डाल कर अपनी लीडरशिप और पालिटिकल पर्पजेज़ को अचीव करें। यह चीज़ बढ़ती जा रही है और मैं समझता हूं कि अगर यह चीज़ रुकेगी नहीं तो इससे देश का बड़ा भारी अहित होगा।

श्री झारखंडे राय जी ने पंचवर्षीय योजना से अपना इख़्तलाफ ज़ाहिर किया। उस इख़्तलाफ से यहां किसी को ताज्जुब नहीं हुआ। उनका तो माना हुआ सिद्धांत है कि इस देश में

या किसी देश में सोशलिज्म या कम्युनिज्म बिना शस्त्रीय क्रांति के नहीं आ सकता। उसके लाने के लिये भूखमरी और ग़रीबी उनके सबसे बड़े मित्र हैं। वह जानते हैं कि अगर यह पंचवर्षीय योजना कामयाब हो गयी तो ग़रीबी और भुखमरी जो उनके सब से बड़े मित्र हैं वह गायब हो जायंगे और इस तरह से वह अपने ध्येय में सफल न होंगे। उनकी पोजीशन को मैं अच्छी तरह स समझता हूं। उनके विरोध से मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। हमारे देश में अभी पिछले दिनों में बहुत से मुल्कों से गुडविल मिशन आये हैं, पब्लिक लीडर्स भी आये। उन्होंने हमारे उन्नति के जो काम हो रहे हैं उनको देखा और देखकर उन्होंने उनकी पूरी तरह से प्रशंसा की। हमारी जो पंचवर्षीय योजना है इसकी सभी ने तारीफ की। सभी ने यह कहा कि इससे ज्यादा अपने मौजूदा रिसोर्सेज को रखते हुये भारत कर नहीं सकता। पंचवर्षीय योजना हमारी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की एक नीति है। उस पर हमारा प्रान्त चल रहा है और मुझे आशा है कि हमारा प्रान्त आगे बढ़ेगा। हमारा लक्ष्य यह है कि हमारे ६,३२ लाख आदमियों में से कोई भी मेहनत करने वाला आदमी भूखों न मरे, उसे स्वस्थ और भरपेट भोजन मिले, उसे पहिनने के लिये चाहे सादा ही क्यों न हो लेकिन पर्याप्त कपड़ा मिले। उसे रहने के लिये मकान मिले, अपने बच्चों को वह तालीम दे सके। चलने के लिये अच्छे रास्ते मिलें। आपस में सब सद्भावना से रहें। यदि उनके घर में कोई रोगी हो जाय तो आसानी से दवा मिल सके और बड़े प्रेम से सब रहें। गांव गांव के, जिले जिले के लोग प्रेम से रहें। यही हमारी वेल्फेयर स्टेट का नक्शा है। इसे चाहे सोशलिस्ट कह लो या पीपिल्स डिमोक्रैसी कह लो। मैं तो उसको पीपुल्स डिमोक्रेसी मानता हूं जिसमें गवर्नमेंट को पीपिल बना सकें, पीपुल बिगाड़ सकें। वह पीपिल्स गवर्नमेंट नहीं है जहां पर अगर पीपिल भिन्न विचार जाहिर करें तो वह दुनिया में न रहने दिये जायं। मैं उसको डिक्टेटरशिप मानता हूं। लेकिन हमारी तो वेल्फेयर स्टेट है, चाहे उसे किसी नाम से पुकारो। हमको एक मार्ग मिल गया है और उस मार्ग के ऊपर हमने चलना शुरू कर दिया है। हम आशा के साथ, हिम्मत के साथ, उत्साह के साथ अपने उस मार्ग पर पं० गोविन्द वल्लभ पंत के नेतृत्व में चल करके आगे बढ़ते चले जायंगे। लोग डाउटर्स भी होंगे, लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, पर हम उनके क्रिटिसिज्म की परवाह न करके अपने रास्ते पर बढ़ेंगे, जो पूज्य बापू जी का रास्ता है, जो राम राज्य का रास्ता है। और तब तक चले जायंगे जब तक कि हमारे लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है।

जो हमारे विरोधी दल के साथी हैं मैं उनसे कहता हूं कि उनमें से बहुत से देश की आजादी के लिये महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे तिरंगे झंडे के नीचे हमारे साथ लड़े। कई एक के साथ मुझे जेल में रहने का मौका मिला है। मैं कहता हूं कि आप का थोड़ा सा मतभेद होते हुये भी आप इस कांस्ट्रक्टिव वर्क में मुल्क का साथ दें। उसको उन्नत बनाने में मदद दें। अगर नहीं देंगे तो जैसे उस वक्त भी कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी मुल्क की आजादी हुई और जो डाउटर्स थे वह अलग खड़े रहे, और अब पछताते हैं, उसी तरह से आपको भी पछताना होगा। जो दिक्कतें हमारे सामने आवेंगी हम उनका हल निकालेंगे, जो रुकावटें आयेंगी उनका मुक़ाबला करेंगे और अपनी योजना को सफल बनायेंगे।

मैं आखिर में जो मेरे साथी यहां हैं, जिन्होंने अमेंडमेंट्स मूव किये हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह अपने अपने अमेंडमेंट्स वापस ले लें और जो मेरा प्रस्ताव है उसको इत्तफ़ाक़ राय से पास करें।

श्री अध्यक्ष--मूल प्रस्ताव इस प्रकार है--

"उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं राज्यपाल के संबोधन के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, हार्दिक धन्यवाद प्रकट करते हैं"

इसके ऊपर एक एक संशोधन के ऊपर मैं राय लूंगा। उसके पश्चात् मूल प्रस्ताव के ऊपर राय ले लूंगा। इसमें श्री राधामोहन सिंह जी का तो कुछ शाब्दिक परिवर्तन है, इसलिये उसको अन्त में लूंगा। जो शब्द जोड़ने के बारे में संशोधन है उनको मैं पहले ले लेता हूं।

[श्री अध्यक्ष]

श्री राजनारायण जी का यह संशोधन है कि "प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:—

"किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल ने जहां जनता को भय, अभाव, शोषण तथा अत्याचार से मुक्त रह कर जीवनयापन करने की शुभ कामना व्यक्त की है, वहां वर्तमान शासन में जिस प्रकार भय, अभाव, शोषण तथा अत्याचार की अपार वृद्धि हुई है उससे सदन को अवगत नहीं कराया; और न वर्तमान सरकार को उन रास्तों को अख्तियार करने का संकेत ही किया जिनपर चल कर जनता भय, अभाव, शोषण तथा अत्याचार से विमुक्त होकर समान सुविधा प्राप्त करे और प्रत्येक प्रकार की विवशता पर विजय पाकर सच्चे जनतांत्रिक समाजवादी समाज की रचना करे।"

प्रश्न यह है कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—दूसरा यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"किन्तु सदन को नम्रतापूर्वक खेद है कि श्री राज्यपाल ने बड़े वेग से बढ़ने वाली नैतिक स्तर की गिरावट को रोकने के लिये कोई उपाय नहीं बतलाया है जो कि दलबन्दी का अत्यन्त भयानक दुष्परिणाम है।"

प्रश्न यह है कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

अध्यक्ष—तीसरा माननीय श्री गेंदा सिंह का है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल ने कृषि व्यवस्था के पुनः संगठन की कोई निश्चित रूप-रेखा नहीं उपस्थित की और विशेष रूप से इस दिशा में अत्यावश्यक क़दम अर्थात् भूमि के पुनर्वितरण का उल्लेख तक नहीं किया है।"

प्रश्न यह है कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—श्री रणंजय सिंह का संशोधन यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में चरित्र निर्माण तथा शारीरिक उन्नति के संबंध में विशेष रूप से कुछ नहीं कहा है।"

प्रश्न यह है कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--पांचवां संशोधन यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं--

"किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल ने--

(क) अपने संबोधन में २८ हजार पटवारियों के त्यागपत्र के संबंध में चर्चा नहीं की।

(ख) प्रान्तव्यापी मेहतरों की हड़ताल के संबंध में चर्चा नहीं की।

(ग) गन्ना उत्पादकों का मूल्य अब तक मिल मालिकों के यहां पड़ा हुआ है उसके संबंध में चर्चा नहीं की।

(घ) अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन में मजबूती एवं सक्रियता लाने के लिये धरती के बटवारे की चर्चा नहीं की।

(ङ) गत अकाल के समय बनायी गई सड़कों, बन्धों आदि को स्थिर बनाये रखने के लिये किसी योजना का संकेत नहीं किया।

(च) अभाव-ग्रस्त पूर्वी जिलों में सिंचाई का प्रबंध शीघ्र कराने की व्यवस्था नहीं की।

(छ) छोटे-छोटे कर्मचारियों के वेतन-वृद्धि के संबंध में चर्चा नहीं की।

(ज) अभाव-ग्रस्त पूर्वी जिलों की जिला बोर्डों और शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में चर्चा नहीं की।"

प्रश्न यह है कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--छठां संशोधन इस प्रकार है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:--

"किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल ने राज्य की दिन ब दिन गिरती हुई आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिये गम्भीर योजना नहीं बनायी है और विशेष रूप से बेकारी की भयंकर समस्या को हल करने के लिये ठोस क़दम उठाने का उल्लेख नहीं किया।"

प्रश्न यह है कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--सातवां संशोधन यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं-

"किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल ने हरिजनों और पिछड़ी जातियों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिये ठोस क़दमों का सुझाव देना तो दूर रहा, उनका उल्लेख तक नहीं किया।"

प्रश्न यह है कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अगला संशोधन इस प्रकार है कि-

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जांय--

"किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल ने सम्बोधन के दूसरे पैरा में शब्द 'कल्याण-कारी' के स्थान पर शब्द 'जनतांत्रिक समाजवादी' प्रयुक्त नहीं किये।"

प्रश्न यह है कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अगला संशोधन श्री गजेन्द्र सिंह का है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:--

"किन्तु खेद है कि सम्बोधन में राज्य के निम्न कर्मचारियों जैसे मेहतरों, भिश्तियों, पटवारियों, और स्कूल मास्टरों की हड़तालों को रोकने के लिये उनके असन्तोष के मूल कारणों को दूर करने का कोई सुझाव नहीं रखा गया है।"

प्रश्न यह है कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब श्री राधामोहन सिंह जी का प्रस्ताव है जिसे मैं संशोधन के रूप में उपस्थित किये देता हूं।

प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश" शब्द की जगह "यह" शब्द रखा जाय और "विधान सभा" के पश्चात के शब्द "के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं," निकाल दिये जावें और "प्रकट करते हैं" की जगह "देती है" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि श्री विष्णुशरण दुब्लिश जी का यह संशोधित प्रस्ताव स्वीकार किया जाय:--

"यह विधान सभा श्री राज्यपाल के संबोधन के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, हार्दिक धन्यवाद देती है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१८ फ़रवरी, १९५३ ई०।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १७२ एल० ए०--१९५३--८५०